लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Fumigation Unit
Fumigated On
Parliament Library

[खंड 39 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XXXIX Contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 38, बृहस्पतिवार, 16 अप्रैल, 1970/26 चैत्र, 1892 (शक)
No.—38, Thursday, April 16, 1970/Chaitra 26, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
निधन संबंधी उल्लेख	OBITUARY REFERENCE	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
1021. दण्डकारण्य परियोजना में फालतू कर्मचारी	Surplus Staff in Dandakaranya Project	3—7
1025. उत्तरी भारत में चीनी मिलों की गन्ना पेरने में असमर्थता	Inability of Sugar Mills to Crush Sugar-Cane in North India	7—14
1026. मुख्य मंत्रियों को गेहूँ जोनों को समाप्त करने की तथा अन्य सिफारिशें	Abolition of Wheat Zones and other Recommendations of Chief Ministers	14—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
1022. गौ रक्षा के सम्बन्ध में सरकारी पुस्तकों में मुद्रित गांधी जी के लेख	Gandhiji's Writings on Cow Protection Printed in Government Books	17
1023. बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में सरकारी क्षेत्र की डेरियों में उत्पादन तथा इण्डियन डेरी कारपोरेशन के कार्य में प्रगति	Production of Public Sector Dairies in Bombay, Calcutta, Madras and Delhi and Progress of work done by Indian Dairy Corporation	17—18

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1024. केंद्र तथा राज्यों द्वारा सहायता प्राप्त रूपक चल चित्र	Central and State Subsidised Feature Films	19
1027. भारत में टेलीविजन प्रसार में सहयोग देने के बारे में पश्चिम जर्मन सरकार का प्रस्ताव	West German Proposal to Collaborate in T. V. Expansion in India	19—20
1028. आकाशवाणी के बुलेटिनों में संसद सदस्यों के नामों का उल्लेख करने में कथित भेदभाव	Alleged Discrimination in Mentioning Names of M. Ps. in AIR Bulletins	20
1029. राष्ट्रीय विकास तथा उद्योगों में श्रमिकों को भाग दिया जाने की योजनायें	Schemes for Labour Participation in National Development and Industries	20—21
1030. वास्तविक मजूरी तथा उत्पादिता के सम्बन्ध राष्ट्रीय श्रम आयोग का मत	National Labour Commission's Observation on Real Wage and Productivity	21
1031. वनस्पति घी के मूल्यों को स्थिर रखने के लिये उपाय	Measures for Stablishing Prices of Vanaspati	21—22
1032. राज्यों में कृषि क्रान्ति	Green Revolution in States	22—23
1033. 1968-69 और 1969-70 में उर्वरक का आयात तथा उसका वितरण	Import of Fertilizers during 1968-69 and 1969-70 and their Distribution	23—24
1034. सरकार द्वारा ली जाने वाली चीनी की कीमत में वृद्धि	Increase in Price of Levy Sugar	24
1035. पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार	Land Reforms in West Bengal	24—25
1036. बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में फिल्म सेंसर व्यवस्था के बारे में सेमिनार	Seminars on Film Censorship Held at Bombay, Calcutta and Delhi	25
1037. राजस्थान में अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिये विदेशी सहायता	Foreign Aid for Famine Affected Area in Rajasthan	25—26

ता० प्र० सख्या S. Q Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1038. फिल्म परिषद् की स्थापना का विरोध	Opposition to Formation of Film Council	26
1039. राजस्थान में अकाल राहत के लिये अधिकतम सीमा	Ceiling for Famine Relief in Rajasthan	26—27
1040. खाद्यान्नों के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Wholesale Trade in Foodgrains	27
1041. खेतिहर श्रमिकों के मजूरी ढांचे के बारे में एक निकाय की स्थापना	Setting up a Body on Wage Structure of Agricultural Labour	27
1042. विश्व रोजगार कार्यक्रम के लिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की योजना	International Labour Organisation Scheme for World Employment Programme	27—28
1043. पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का बड़ी सख्या में पश्चिम बंगाल, आसाम तथा त्रिपुरा में आना	Influx of East Pakistani Refugees into West Bengal, Assam and Tripura	28—29
1044. जोत के आकार सम्बन्धी आंकड़े	Statistics Regarding Size of Holdings	29—30
1045. प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प में परिकल्पित बड़े पैमाने का औद्योगिक आवास कार्यक्रम	Massive Programme of Industrial Housing Envisaged by First Industrial Policy Resolution	30—31
1046. पोस्टल सुपरिंटेंडेन्ट सर्विस क्लास 2 के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों का चयन	Selection of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Candidates to Postal Superintendent Service Class II	31
1047. चल-चित्र वित्त निगम द्वारा वित्तपोषित नये ढंग के चल-चित्रों की संख्या	Number of Off Beat Films Financed by Film Finance Corporation	32
1048. सऊदी अरब में भारतीय चलचित्रों के प्रदर्शन पर रोक	Exhibition of Indian Films Prohibited in Saudi Arabia	32—33

तां० प्र० सख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1049.	पश्चिम बंगाल में बिड़ला प्रतिष्ठानों को कब्जे में लाने का अनुरोध — Request for Taking over of Birla Concerns in West Bengal	33
1050.	सरकार द्वारा मिलों से वसूल की जाने वाली चीनी के वितरण की नीति में विभिन्नता — Variation in the Policy of Release of Levy Sugar	33—34

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

6368.	महाराष्ट्र को भेजे जाने वाले चावल और गेहूं की बोरियों का मध्य प्रदेश में पकड़ा जाना — Seizure of Bags of Rice and Wheat in Madhya Pradesh for Despatch to Maharashtra	34
6369.	बेरोजगार तकनीकी व्यक्ति संघ की मांगें — Demands of Technical Unemployed Persons Association	34
6370.	नगरान्तर (ट्रंक) स्वचालित एक्सचेंज — Trunk Automatic Exchanges	34—35
6372.	कर्मचारी भविष्य निधि का नियमों का पुनरीक्षण — Revision of Employees Provident Fund Rules	35
6373.	फिल्म इन्सटीच्यूट पूना पर व्यय — Expenditure on Film Institute, Poona	35—36
6374.	वर्ष 1968 और 1969 में सरकारी क्षेत्र में हड़तालें — Strikes in Public Sector in 1968 and 1969	36
6375.	दिल्ली में हाल ही में हुई ओलावृष्टि के सम्बन्ध में दिल्ली विकास आयुक्त का वक्तव्य — Statement by Delhi Development Commissioner on Recent Hailstorm in Delhi	37
6376.	सोयाबीन के बीज खरीदने के लिये महाराष्ट्र में किसानों को ऋण — Loans to Farmers in Maharashtra for Purchase to Soyabean Seeds	37
6377.	बिना लाइसेंस के रेडियो सेटों के नवीकरण के लिये छूट देना — Amnesty for Renewal of Unlicensed Radio Sets	37—38

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
6378. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में स्थायी पदों की संख्या	Number of Permanent Posts in Information and Broadcasting Ministry	38
6379. दिल्ली प्रसारण के दुकान तथा संस्थान निरीक्षक द्वारा इम्पैक्ट पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली का निरीक्षण	Visit to Impact Publications, New Delhi by Inspector of Shops and Establishment, Delhi Administration	38—39
6380. अन्दमान प्रशासन के अन्तर्गत जिला पंचायत अधिकारी	District Panchayat Officer under Andaman Administration	39—40
6381. भारत नेपाल के मैत्री पूर्ण सम्बन्धों के विरुद्ध बिल्ट्स की कहानी	Blitz Story against Cordial Indo-Nepal Relations	40
6382. केंद्रीय पुशु चिकित्सा औषध भण्डार	Central Veterinary Drug Stores	40—41
6383. सूरतगढ़ में केंद्रीय कृषि फार्म के लिये राजस्थान नहर से जल संभरण	Water Supply from Rajasthan Canal for Central Agricultural Farm at Suratgarh	41
6384. टेलीफोन कनैक्शनों की मांग को पूरा करने हेतु टेलीफोन उपकरणों का उत्पादन	Production of Telephone Equipment to Meet the Demand of Telephone Connections	41
6385. ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुई हानि के कारण किसानों को सहायता	Assistance to Farmers due to Damage to Crops by Hailstorm	42
6386. रेलवे बोर्ड द्वारा नैमित्तिक श्रमिकों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजूरी अधिनियम की क्रियान्विति न होना	Non-Implementation of Minimum Wages Act in Respect of Casual Labourers by Railway Board	42—43
6387. लद्दाख में छोटे किसानों के विकास सम्बन्धी अभिकरण	Small Farmers Development Agency in Ladakh	43
6388. ग्रामीण कार्यक्रम के लिए चौथी योजना में व्यय	Fourth Plan Outlay for Rural Works Programme	43—45
6389. वनस्पति घी की चोर बाजारी	Blackmarketing of Vanaspati Ghee	45—47

ता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
6390. क्योंझरगढ़ डाक घर के डिवीजनल सुपरिटेंडेंट के के कार्यालय के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Staff Quarters for Divisional Superintendent's Office of Keonghar Garh Post Office	47
6391. दिल्ली में राष्ट्रीय चलचित्र अभिलेखागार	National Film Archive in Delhi	47 - 48
6392. दण्डकारण्य परियोजना	Dandakaranya Project	48
6393. दण्डकारण्य परियोजना में कार्यान्वित की जा रही योजनाएं	Schemes under Execution in Dandakaranya Project	48—49
6394. पशुओं को हत्या से पूर्व यातना देना	Mishandling of Animals before Slaughter	49
6395. पशुओं की हत्या से पूर्व उन पर की जाने वाली निर्दयता तथा यंत्रणाओं को रोकना	Check on Cruelty and Torture of Animals before their Slaughter	50
6396. उड़ीसा में आकाशवाणी के केन्द्र	AIR Station in Orissa	50
6397. फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट देने के बारे में दिल्ली प्रशासन की नीति	Policy followed by Delhi Administration Regarding Exemption of Films from Entertainment Tax	50—51
6398. अधिक प्रोटीन वाले नये अनाज का विकास	Evolution of a New Central with High Protein Contents	51
6399. बकाया राशि का भुगतान न करने पर चीनी के कारखानों की सम्पत्ति की कुर्की	Attachment of Properties belonging to Sugar Factories for Non-Payment of Dues	51—52
6400. केरल में आकाशवाणी के केन्द्रों की संख्या	AIR Stations in Kerala	52
6401. स्वर्गीय श्री माणिक्य लाल वर्मा की स्मृति में स्मारक टिकट जारी करना	Issue of Commemorative Stamp in the Memory of Late Shri Manikya Lal Verma	52

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय Subject	पृष्ठ Pages
6402. बिना आयल मिल वाले क्षेत्रों में पशुओं के लिये खाली के स्थान पर दूसरी व्यवस्था	Substitute to Oil Cakes for Cattle in Non-Oil Mill Areas	52
6403. हड्डी के उर्वरक के अधिक विक्रय मूल्य	High Sale Price of Bone Fertilizer	53
6404. 1970-71 के लिये अनाज की वसूली के निर्धारित लक्ष्य	Target of Procurement of Foodgrains Fixed for 1970-71	53
6405. अलाटी द्वारा मालवीय नगर, नई दिल्ली में मकानों के लिये पूरा भुगतान न किया जाना	Houses not Fully Paid for by Allottees in Malaviya Nagar, New Delhi	54
6406. टेलीफोन कनेक्शन के लिये आवेदन पत्र शुल्क लगाये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन	Representations against Imposition of Application Fee for Telephone Connections	54
6407. पंजाब तथा हरियाणा के खाद्य क्षेत्रों में सम्मिलित क्षेत्र	Areas Included in Food Zones of Punjab and Haryana	55
6408. चण्डीगढ़ तथा दिल्ली के लिये टेलीफोन सलाहकार समितियां	Telephone Advisory Committees for Chandigarh and Delhi	55—56
6409. रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा बेरोजगारी के सम्बन्ध में सर्वेक्षण	Survey of Unemployment by D. G. E. and T.	56
6410. अफगानिस्तान में कृषि केन्द्र स्थापित करने के लिये सहायता	Help for Setting up Agricultural Stations in Afghanistan	56—57
6411. जयपुर आकाशवाणी द्वारा एक आपत्तिजनक ड्रामा का प्रसारण	Broadcasting of an Objectionable Drama at Jaipur AIR Station	57
6412. अलीगढ़ में उच्च शक्ति वाले शार्ट वेव ट्रांसमिटर	High Power Short Wave Transmitters at Aligarh	57

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6413.	केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ (राजस्थान) का अमरीकी तथा एक रूसी दलों द्वारा दौरा किया जाना	Visit by American and Soviet Teams to Central Agricultural Farm, Suratgarh (Rajasthan)	58
6414.	मरुस्थल तथा बंजर भूमि खेती करने हेतु इसराइल की तथा अन्य विदेशी राष्ट्र का प्रस्ताव	Israeli or other Foreign Offer of Help to Bring Desert and Arid Land under Cultivation	58—59
6415.	आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को खाद्यान्न की राज सहायता	Food Subsidy to Andhra Pradesh and Orissa	60
6416.	केरल में लगाये गये नल-कूपों के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Grant for Tube Wells in Kerala	60
6417.	देलचोरी स्थित डाक घर को उप-डाकघर में बदलने के लिये उसके लेखों की लेखा परीक्षा	Auditing of Accounts of Post Office at Delchauri for Converting it into a Sub-Post Office	60—61
6418.	गुजरात के बंसकांठा जिले में कमी की स्थिति	Scarcity in Banskantha District of Gujarat	61—62
6419.	टेलीफोन बिलों का भुगतान न करने के कारण गोआ में सरकारी टेलीफोनों के कनेक्शन काटना	Disconnection of Government Telephones in Goa due to Non-Payment of Telephones Dues	62—63
6420.	मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश शिविरों से शरणार्थियों के अभ्यावेदन	Representations from Refugees from Madhya Pradesh and Andhra Pradesh Camps	63
6421.	बिजली मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये उत्तर प्रदेश बिजील कर्मचारियों का आन्दोलन आरम्भ करने का निर्णय	Decision by U. P. Electricity Workers to Launch a Movement for Implementation of Electricity Wage	63—64
6422.	कानपुर में कपड़ा मिलों द्वारा भविष्य निधि तथा कर्मचारियों राज्य बीमा की बकाया राशि न दी जाना	Non-payment of EPF and ESI Dues by Textile Mills in Kanpur	64

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
6423. मध्य प्रदेश के लिये आकाशवाणी प्रसारण केन्द्र	AIR Relaying Stations for Madhya Pradesh	64—65
6424. सिंचाई जल की बर्बादी को रोकने के लिये राज्यों के सिंचाई विभागों द्वारा अधिक कृषि इंजीनियरों की नियुक्ति	Appointment of more Agricultural Engineers by Irrigation Departments in States to Check Waste of Irrigation Water	65
6425. संघ की धमकियों का नियोजकों पर दबाव तथा मजदूर संघों का दुरुपयोग	Pressure on Employees of Union Tyranny and Abuse of Trade Unions	66
6426. हरियाणा के लिये एक पृथक पोस्ट मास्टर जनरल सर्कल	Separate Post Master General's Circle for Haryana	
6427. टेलीविजन केन्द्र, बम्बई, के कार्य में प्रगति	Progress of T. V. Station, Bombay	67
6428. सहकारी समितियों द्वारा ऋण नीतियों का पुन-निर्धारण	Reorientation of Loan Policies by Co-operatives	67
6429. भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Employees of Food Corporation of India	67—68
6430. आस्ट्रेलिया द्वारा गेहूँ की सप्लाई करने का करार	Agreement for Supply of Wheat by Australia	68
6431. ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवा का विस्तार	Extension of Telephone Service in Rural Areas	68—69
6432. विश्वमित्र पटना के कर्मचारियों को कानूनी सुविधायें	Legal Facilities to Employees of Vishwamitra Patna	69
6433. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, बिहार का प्रधान कार्यालय स्थापित करना	Setting up Headquarters of Rajendra Agricultural University, Bihar	69—70
6435. दण्डकारण्य परियोजना में कथित पक्षपात	Alleged Favouritism in Dandakaranya Project	70—71
6436. चौथे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में डैम्ड को सर्वोत्तम पुरस्कार	Best Film Award to ~~Demand~~ at the Fourth International Film Festival	71

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
6437. नगर पालिका कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड की मांग	Demand for a Wage Board for Municipal Employees	71
6438. मध्य प्रदेश की साप्ताहिक तथा दैनिक पत्र पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन दिया जाना	Government Advertisements to M. P. Weeklies and Dailies	72
6439. मध्य प्रदेश में अनधिकृत वायरलैस सेटों का पकड़ा जाना	Seizure of Unauthorised Wireless Sets in Madhya Pradesh	72
6440. आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के वेतन में मंहगाई भत्ता मिलाना	Merger of D. A. with Pay of AIR Staff Artistes	73
6442. विदेशी भाषाओं में आकाशवाणी से समाचार प्रसारण	AIR News Service in Foreign Languages	73
6443. सीमावर्ती राज्यों में आकाशवाणी केन्द्र	AIR Stations in Border States	73
6444. सिफारिशों की क्रियान्विति को सुनिश्चित करने के संविहित मजूरी बोर्ड	Statutory Wage Boards to Ensure Implementation of Recommendations	74
6445. अफ्रीकी देशों से स्वदेश लोटने वाले भारतीय और उनका फिर से बसाया जाना	Repatriates from African Countries and their Rehabilitations	74
6446. पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को बसाने के कार्य में प्रगति	Progress of Rehabilitation of Refugees from East Pakistan	75
6447. एसोसिएशन आफ वालंटरी एजेंसीज फार रूरल डिवलपमेंट तथा सोसायटी फार डेवलपिंग ग्रामदान द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Association of Voluntary Agencies for Rural Development and Society for Developing Gramdan	75—76
6448. साउथ एवेन्यू में टेलीविजन लगाना	T. V. in South Aveneue, New Delhi	76 77

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
6449. पश्चिम बंगाल में रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज बेरोजगार महिलायें	Unemployed Women Enlisted with Employment Exchanges in West Bengal	77—78
6450. बुरे औद्योगिक सम्बन्धों के कारण संयुक्त मोर्चा सरकार की शासन अवधि में पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी	Unemployment in West Bengal under UF Government due to bad Industrial Relations	78—79
6451. पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन के अन्तर्गत बेरोजगारी की स्थिति	Employment Position in West Bengal under United Front Rule	79—80
6452. कालकाजी एक्सटेंशन, दिल्ली नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Civic Amenities in Kalkaji Extension, Delhi	80—81
6453. डाक तथा तार विभाग में हिन्दी के उत्तरोतर प्रयोग के लिये हिन्दी कर्मशाला	Hindi Workshop in Posts and Telegraph Department for Progressive Use of Hindi	81
6454. दिल्ली में कुछ उद्योगों में हड़ताल करने पर प्रतिबन्ध	Ban on Strike in Certain Industries in Delhi	81
6455. राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों का मिश्रित राष्ट्रीय संघ	Formation of Camposite National Union by Employees of Nationalised Bank	82
6456. औद्योगिक संगठनों द्वारा व्यापार प्रशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत प्रशिक्षण	Training by Industrial Organisations under Trade Apprenticeship Act	82—83
6457. शाप फ्लोर और खानों में दुर्घटनाओं की वृद्धि और कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना	Increase in Accidents on Shop Floors and Mines and Safty Consciousness Among Workers	83
6458. बम्बई महाराष्ट्र के शेष भाग के लिए एक अलग महा डाक पाल का प्रस्ताव	Proposal for Separate Post Master General for Bombay and Residual Portion of Maharashtra	84
6459. उत्तर प्रदेश में जिला परिषदों की समाप्ति	Abolition of District Councils in U. P.	84

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
6460. निर्यातित तथा भारत में प्रदर्शित भारतीय चलचित्रों में रूपभेद	Export Versions of Indian Films Different from those Released in India	84—85
6461. भारतीय चलचित्रों का परीक्षण	Censoring of Indian Films	85—86
6462. ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यक्रम की विफलता	Failure of Programme of Rural Industrial Training Institutes	86
6463. विभिन्न प्रदेशों में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार	Dispersal of Training Facilities in Different Regions	87
6464. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अन्य मंत्रालयों के उच्चस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ तालमेल	Dovetailing of Training Programme with Training at Higher Levels by other Ministries	87
6465. तीन पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न उद्योगों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के व्यावसायिक ढांचे का रूख	Trend of Occupational Structure of S. C. S. T. and Backward Classes in Different Industries in the Three Plans	88
6466. तांबे की तार की चोरी के सम्बन्ध में डाक तार अधिनियम में संशोधन	Amendment in P and T Act in Connection with Copper Wire Theft	88
6467. अलमाड़ी में भैंस पालन केन्द्र	Buffalo Breeding Centre at Alamadi	89
6468. चीनी का उत्पादन और चीनी मिलें	Productions of Sugar and Number of Sugar Factories	89—90
6469. उत्तर प्रदेश में बन्द हुई चीनी मिलें	Sugar Factories Closed in U. P.	90
6470. चलचित्र सेंसर बोर्ड द्वारा स्वीकृत तमिल चलचित्र	Tamil Films Approved by Board of Film Censors	90

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
6471. राजस्थान डाक तार सर्किल के अन्तर्गत रिवाड़ी में रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप में बीमारी की छुट्टी ली जाना	Sick Leave Reported En-Masse by R. M. S. Staff at Rewari in Rajasthan P and T Circle	90—91
6472. कोयला मजदूर सभा, बेरमो, जिला हजारी बाग (बिहार) के सचिव का भूतपूर्व श्रम मंत्री को पत्र	Letter from Secretary Koyla Mazdoor Sabha Bermo District Hazaribagh, (Bihar) to the Former Labour Minister	91—92
6473. मजदूरों कोयला खान भविष्य निधि अंशदायी योजना में शामिल करना	Inclusion of Mazdoors as Members of Coal Mines Provident Fund Contribution Scheme	92
6474. राज्यों में छोटी सिंचाई परियोजनाएं	Minor Irrigation Projects in States	93—94
6475. अगली खरीफ और रबी फसलों से अधिक उपज वाली गेहूं, चना, धान, की किस्मों की उपलब्धता	Availability of High Yielding Variety of Wheat, Gram, Paddy from Next Kharif and Rabi Season	94—95
6476. दण्डकारण्य परियोजना को बन्द करने का प्रस्ताव	Proposal to Discontinue Dandakaranya Project	95
6477. राज्य डाक तथा तार सेवाओं को एक अलग महाडाकपाल के अन्तर्गत लाने का मापदण्ड	Criteria for Vesting Control of P and T Services in States under Separate P. M. G.	95
6478. चलचित्र वित्त निगम द्वारा चलचित्र निर्माताओं को दिया गया ऋण	Loans Advanced by Film Finance Corporation to Film Producers	96
6479. चलचित्र वित्त निगम द्वारा अपने वितरण विभाग के माध्यम से वितरित किये गये चलचित्र	Film Released by Film Finance Corporation through their Distribution Department	96—97
6480. महानगरों में आकाशवाणी की रंगशालाएं	A. I. R. Theaters in Metropolitan Centres	97—98

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6481.	चावल की खेती को बढ़ाया देने के लिये एक विशेषज्ञ दल की सिफारिशें	Recommendations of an Expert Team for Break through in Rice Cultivation	98
6482.	मंगलौर में नये डाकघर के निर्माण के लिये भूमि का अर्जन	Land Acquisition for Construction of a New P and T Office at Mangalore	98—99
6483.	मंगलौर में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Quarters for P and T Staff at Mangalore	99—100
6484.	मंगलौर में सूक्ष्म तरंग केन्द्र	Micro Wave Station at Mangalore	100—101
6485.	कांगड़ा में बड़े डाकघर से सम्बद्ध उपडाकघर तथा शाखा डाकघर	Sub Post Offices and Branch Post Offices Attached with Head Office at Kangra	101
6486.	पश्चिम बंगाल में घेरावों के कारण बन्द हुए कारखानों का फिर से खोला जाना	Re-Opening of Factories Closed as a Result of Gheroas in West Bengal	101
6487.	खुले बाजार की और वसूली वाली चीनी का मूल्य	Price of Free Market Sugar and Levy Sugar	101—102
6488.	1967 से वसूली वाली चीनी महीनेवार बाजार में भेजना तथा इसका निर्यात	Monthly Release of Levy Sugar and its Export Production Since 1967	102—103
6492.	आकाशवाणी से चीनी भाषा में समाचारों का गौणढ़ंग से प्रसारण	Broadcast of Chinese News by AIR in Casual Manner	103—104
	अतारांकित प्रश्न संख्या 2693 दिनांक 12-3-70 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Correcting Statement to Unstarred Question No. 2693 dated 12-3-1970	104
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	105
	पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के सलाहकारों में से एक सलाहकार का कथित त्यागपत्र	Reported Resignation of One of the Advisers to the West Bengal Governor	105—108

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	108
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	108
48 वां प्रतिवेदन	Forty-Eighth Report	108—110
अनुदानों की मांगें, 1970-71	Demands for Grants, 1970-71	110
औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय	Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs	110
श्री मृत्युंजय प्रसाद	Shri Mritunjay Prasad	110—111
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Vedabrata Barua	111—112
श्री रा० कृ० बिरला	Shri R. K. Birla	112—114
श्री सीताराम केसरी	Shri Sitaram Kesri	114—115
श्री बाबूराव पटेल	Shri Baburao Patel	115—117
श्रीमती इला पालचौधरी	Shrimati Ila Palchoudhuri	117—119
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	119—121
श्री य० अ० प्रसाद	Shri Y. A. Prasad	121—123
श्री कमलनाथन	Shri Kamalanathan	123—124
श्री प्र० कु० घोष	Shri P. K. Ghosh	124—125
श्री विश्वनाथ मेनन	Shri Viswanatha Menon	125—126
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati Lakashmikanthamma	126—127
श्री श्रीनिबास मिश्र	Shri Srinibas Misra	127—128
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy	128—129
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	129—131
श्री नगेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedy	131
श्रीमती जयाबेन शाह	Shrimati Jayaben Shah	131—132
6 अप्रैल, 1970 को दिल्ली में पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज में घायल हुए संसद् सदस्यों की स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Condition of M. Ps. Injured in the Police Lathi Charge in Delhi on 6th April, 1970	132

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	132
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	132
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	133—139
इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय	Ministry of Steel and Heavy Engineering	139—144
श्री मु० न० नाघनूर	Shri M. N. Naghnoor	145—147
श्री हनुमन्तय्या	Shri Hanumanthaiya	147—148

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 16 अप्रैल, 1970/26 चैत्र, 1892 (शक)
Thursday, April 16, 1970/Chaitra 26, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को डा० उदयकर मिश्र के दुखद निधन की सूचना देनी जिनका स्वर्गवास 62 वर्ष की आयु में 13 अप्रैल, 1970 को मास्को में हुआ। वह वर्ष 1962-67 के दौरान तीसरी लोक सभा के सदस्य थे। वह एक महान स्वाधीनता सेनानी थे तथा भारत छोड़ो आन्दोलन से पूर्व, उसके दौरान तथा उसके पश्चात् भी जेल गये ।

इस मित्र के निधन पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मुझे विश्वास है कि उनके शोक सन्तप्त परिवार को संवेदना सन्देश भेजने में यह सभा मेरे साथ शरीक है ।

प्रधान मंत्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : श्रीमन्, डा० उदयकर मिश्र के निधन का समाचार पाकर हम सभी को बहुत दुःख हुआ है। वह 1921 में आजादी की लड़ाई में शामिल हुए थे तथा राजनैतिक तथा सामाजिक कार्य क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले व्यक्ति थे। वह एक नेक इन्सान के रूप में प्रसिद्ध थे। श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में उनकी बड़ी रूचि थी तथा कई वर्षों तक वह जमशेदपुर मजदूर संघ के उप-प्रधान रहे। वह एक लोकप्रिय चिकित्सक थे। वह मजदूरी वर्ग के लोगों की सेवा तथा निःशुल्क चिकित्सा सहायता करते थे।

उनके निधन से हम ने एक मूल्यवान राजनैतिक तथा सामाजिक कार्यकर्त्ता खो दिया है ।

मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इस सभा का शोकपूर्ण संवेदना सन्देश उनके परिवार के सदस्यों तक पहुंचा दें ।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : विपक्ष की ओर से, मैं डा० उदयकर मिश्र के निधन पर उनके परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। डा० मिश्र जमशेदपुर के लोक प्रिय नेता थे तथा सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा सामाजिक गतिविधियों में भाग लिया करते थे। वह जमशेदपुर श्रमिक संघ के उप-प्रधान तथा जमशेदपुर स्थित भारतीय चिकित्सा संस्था शाखा के प्रधान भी थे। छात्र या अन्य जो कोई उनके पास आता था वह उसके प्रति बड़े सहृदय रहते थे। डा० उदयकर मिश्र के निधन से जमशेदपुर, विशेष कर बिहार ने अपना एक चिरस्मरणीय नेता खो दिया है। विपक्ष की ओर से एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप डा० मिश्र के परिवार के सदस्यों को हमारा सवेदना सदेश पहुंचा दें।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं उनमें अपने दल की ओर से मैं भी शरीक होता हूं।

Shri Shiv Chandrika Prasad (Jamshedpur) : Although the Leader of the House and also the leader of the opposition have expressed condolences on the sad demise of Dr. Udayakar Ji, yet since he belonged to my constituency and I had an opportunity to contest election against him, I also consider it my duty to express condolences on his sad demise.

Dr. V. Mishra was a great freedom fighter and took active part in the 1942 movement. He also took part in a strike against Tata's in 1958 and consequently, he had lost his job. He then contested Lok-Sabha election in 1962 and won it. In 1967 also when I contested election against him, he welcomed it as it was a fight between two freedom fighters. But we remained good friends even after election, giving no place to any malice against each other. He kept ill health and I used to go to see him quite often It is however a matter of pity that because of being communist party workers, none of his sons could get a job in India.

We offer our tribute to the departed soul and express our grief and sorrow to the members of his bereaved family. May God give peace to the departed soul.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपने दल की ओर से डा० मिश्र की मृत्यु पर प्रधान मंत्री तथा सभा में अन्य दलों के नेताओं द्वारा व्यक्त भावनाओं में स्वयं को शामिल करता हूँ। डा० उदयकर मिश्र एक स्वाधीनता सेनानी थे। यद्यपि टाटा बंधुओं ने उनका बहुत शोषण किया परन्तु वह उनके दबाव में आकर कभी नहीं झुके। 1958 में जब टाटा बंधुओं के प्रभाव के कारण पुलिस ने चार मजदूरों को मार डाला ताकि उनकी हड़ताल को दबाया जा सकता, तो इतने आतंक के समय भी डा० उदयकर मिश्र ने हड़ताल का नेतृत्व किया। वह एक महान व्यक्ति थे। वह सादगी की मूर्ति थे तथा जमशेदपुर के केवल मजदूरों के ही नहीं बल्कि वहां के प्रत्येक नागरिक के नेता थे। 1962 में संसद को उन्होंने ही यह सूचित किया था कि स्वाधीनता के 15-16 वर्ष बाद भी जमशेदपुर का तीन चौथाई भाग टाटा बंधुओं के अधिकार में था और हमें खुशी है कि यद्यपि डा० उदयकर मिश्र हमारे मध्य नहीं हैं तो भी शायद केन्द्र सरकार के कहने से बिहार सरकार ने वहां से टाटा बंधुओं की जमींदारी समाप्त करने का निर्णय किया है।

डा० मिश्र एक धर्म निरपेक्ष व्यक्ति थे। साम्प्रदायिक दंगों के समय उन्होंने सदैव ही अल्पसंख्यकों की रक्षा की। उनके निधन से, न केवल साम्यवादी दल ने ही एक साहसिक सिपाही खो दिया बल्कि जमशेदपुर के नागरिकों तथा कर्मचारी संघ ने भी एक निर्भीत सेनानी से हाथ धो

लिया है । अपने दल की ओर से मैं उनके परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक शोक संवेदना व्यक्त करता हूं ।

Shri Rabi Ray (Puri) : Four or five days earlier when I went to the hospital, it was found that his elder daughter had taken him to U.S.S.R. for treatment.

Shri V. Misra was a leader of the national movement and after that he developed so much of self respect that he left his job under the Tata's and devoted the rest of his life in the service and welfare of the Labour Union in Tata Nagar. And resultantly, he was elected to the Lok Sabha in 1962. He was very popular as in oriya speaker and he had no objection to the girls and boys taking part in politics.

He was a revolutionary and always believed in social revolution. On behalf of Samyukt Socialist Party I offer our sincere condolences and request you, Sir, to convey our deep sense of sympathy and sorrow to the members of his family.

श्री स० कुण्डू (बालाघाट) : प्रधान मंत्री तथा इस सभा ने जो भावनायें व्यक्त की हैं मैं भी उनमें शरीक हूँ । यद्यपि मैं डा० मिश्र को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था परन्तु उनके बारे में सुना बहुत कुछ था । वह केवल श्रमिकों के हितों के ही हिदायती नहीं थे बल्कि वह बिहार और उड़ीसा के लोगों के बीच एक शान्ति के एक सूत्र भी थे आप उनके दुःखी परिवार के प्रति हमारी शोक भरी सम्वेदनायें भिजवादें ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं अपने दल की ओर से यहां सभा में सदस्यों द्वारा डा० मिश्र के दुखद निधन पर व्यक्त की गई भावनाओं में शरीक होता हूं । हम में से जिन्होंने उनके साथ तीसरी लोक सभा में कार्य किया वे जानते हैं कि वह मजदूर वर्ग के लिये कितने निधड़क होकर लड़ते थे । मैं निवेदन करता हूँ कि आप हमारा संवेदना संदेश दुःखी परिवार के सदस्यों तक पहुंचा दें ।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : I express my heart felt grief on the sad demise of a national worker like Shri V. Misra and on behalf of my party offer tribute to him.

अध्यक्ष महोदय : सभा शोक प्रकट करने के लिये कुछ क्षण के लिये मौन खड़ी हो ।

इसके पश्चात् सदस्य कुछ मौन खड़े रहे ।

The Members then stood in silence for a short while

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Surplus Staff in Dandakaranya Project

+

*1021. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Shri Gopal Sabeo :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of employees declared surplus since the 1st January, 1968 till date in the Dandakaranya Project by the Staff Inspection Unit ;

(b) the number of Gazetted and non-Gazetted officers out of them :

(c) whether it is a fact that some of the said non-Gazetted employees who were from the Ministry of Home Affairs Cell have been absorbed in the said project ;

(d) whether it is also a fact that the posts of some of the absorbed employees are being down-graded ; if so, the reasons therefor ; and

(e) the reasons for which the employees whose posts are being down-graded have not been sent back to the Ministry of Home Affairs Cell and whether their consent has been taken in respect of down-grading of their posts ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

As per information available at present, I would like to add that, in all, 106 employees in Class III and 48 in Class IV are surplus and they are on the "Cell" of the Home Ministry.

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether these persons have been declared surplus because the Government do not have any money to pay them ?

On the one hand they are retrenching Class IV employees but on the other, they are increasing the salaries of officers and also granting them promotions. The officers are being appointed afresh These two things are contradictory, I want to know why the hon. Minister has done so and under what circumstances, and also why has he increased the number of officers ? Some of the persons who were declared surplus have been taken back but the pay of those Class IV employees have been reduced from Rs. 140.00 to Rs. 75.00. May I know how many of such persons are Harijans and Adivasis.

Shri Bhagwat Jha Azad : It is wrong to say that owing to paucity of funds only these employees have been declared surplus. The fact is that the Dandakaranya Project is a temporary project. At present we have not only to consider the rehabilitation cases but we have also to carry on the work on this project keeping in view the land given to us by the Government of Orissa and Madhya Pradesh. So, that action was not taken for want of funds but it was done after the inspection carried out by Staff Inspection Unit third : First of all it was done in October November, second time in August-September 1967 and third time in January-February, 1968. Action of declaring some persons surplus was taken after considering the report of this Staff Inspection Unit.

Shri Hukam Chand Kuchwai : I have asked about the number of Harijans and Tribals thus affected, but he has not cared to reply. Secondly, I had asked as to how many new officers were appointed and promoted ; what was the basis for the same ? Let my above question, be answered and then I will put my next question.

Shri Bhagwat Jha Azad : As I said, it is not correct to say that on the S.I.V. report we increased the number of officers and curtailed the number of the rest of the employees.

Secondly, as regards the Harijans and Tribals, I had stated that the S.I.V. took decisions on the basis of work and procedure and I do not know. The number of Harijans and Tribals affected by it.

Shri Hukam Chand Kuchwai : He has stated that the number of officers has not been increased. But let me tell him that one Shri Mazumdar has been appointed as Director on a very high salary. There have been various allegation against him including the one against his character and this matter was raised in this House also some three years ago. But no action was taken against him. The same is the case with other officers. This is

also wrong to say that the Government is short of funds. There is one Shri Rai who is the Chief Director. He draws his travelling allowance equal to double the amount of his pay and thus he earns Rs. 10,000 as travelling allowance.

I would like to say in reference to the enhancement of the expenditure that there are fifteen such people in Madhya Pradesh who are drivers and good mechanics but today they are without a job. They have ten years service at their credit and they have been turned out without any reason. As such the Hon. Minister may reply to my question that why they have been turned out from the service when they are drivers and good mechanics and with ten years service to their credit ? On the one hand such things are being done and on the other hand officers are being given handsome salaries and the some are being increased. Although the rule legs down that an officer cannot work for more than three years at one place but he has been working for more than ten years at one place. Once the Government had stated that an officer cannot work at one place for more than five years although as a rule it is three years but as I told that the said officer is working for the last ten years at one place. I have record to show that the officer has been there for the last ten years.

Shri Bhagwat Jha Azad : I think the manner in which the Hon. Member has made allegations against the officer and has spoken about him is not proper. At least I have not received any complaints regarding his characters and other things.

Secondly he has stated that our Chief Administrative officer took Rs. 10,000, I have no information about this and I would like to know whether it is a fact. I would also like to state that there is no such thing that we are in state the officers or retrench the employees on the basis of availability of funds or otherwise. As I have stated at the outset it is a temporary Project. All the work such as promotion or demotion, retrenchment of officers or employees are done in accordance with the Programme. Whatever who have done, is in compliance with the recommendations of Staff Inspection Unit. The retrenchments, in accordance with the recommendations, are done from the Junior most level.

Shri Bansh Narain Singh : What is the number of Harijans and tribal people among the retrenched staff ?

Shri Bhagwat Jha Azad : I beg apology for this. I cannot give the information regarding the number of Harijans and tribals because the Staff Inspection Unit does not declare the staff as surplus after examining it on the basis of the numbers of tribals and Harijan but take them on the basis of a single Programme.

Shri Yajna Datt Sharma : May I know whether the Hon. Minister will lay on the Table the House the information which has been asked ?

Shri Bhagwat Jha Azad : That I will try.

Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Hon. Minister please state whether the association of those employees has sent any memorandum to the Government ? If so, then what are the demands and when did the Government receive the memorandum and what action they have taken over it ?

Shri Bhagwat Jha Azad : How can I tell all this in reference to this question. But it is a fact that the employees have sent us memoranda occasionaly. We have looked into them and taken action accordingly as was felt necessary.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे विश्वास है कि आपने आज के समाचारपत्र में उन शरणार्थियों के बारे में यह चिंताकुल समाचार देखे हैं कि जो कि कुछ दिनों से काफी बड़ी संख्या में पूर्वी

पाकिस्तान—पश्चिमी बंगाल सीमा से यहां आ रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ यदि इन नए शरणार्थियों को बसाना और उनका पुनर्वास करना है, और निश्चय ही उनमें से कुछ को दंडकारण्य क्षेत्र में भेजा जायेगा, तो इस परियोजना की कटौती का प्रश्न, जिनमें कर्मचारियों की छंटनी का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है, किस प्रकार इस समय उठ सकता है? मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि दंडकारण्य परियोजना के एफ० ए० एण्ड सी० ओ० ने एक प्रतिवेदन दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि :

"स्पष्टत: फाल्तू कर्मचारियों की संख्या 82 बताई गई है"

आगे यह कहता है :

"इन कर्मचारियों को कार्य पर लगाये रखने का औचित्य तब हो सकता है जब कि हमारे पास एक वर्ष में 60 लाख और इससे अधिक का अतिरिक्त कार्य और हो, अभिच्छिन्न आधार पर इतना अधिक बजट आवंटन न होने के कारण इन फाल्तू कर्मचारियों की छंटनी करके इस कार्य की शुरूआत करनी है।"

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है बजट आवंटन के न होने और वित्तीय कठोरता होने के आधार पर वे उस समय तथाकथित फाल्तू कर्मचारियों की छंटनी करने को तैयार हैं जबकि सीमा से और अधिक शरणार्थी आ रहे हैं और वास्तव में उनकी देखभाल करने के लिए उनको और अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी ?

श्री भगवत झा आजाद : यह सच है कि हाल के वर्षों में पूर्वी पाकिस्तान से बहुत से शरणार्थी आ रहे हैं और हमें उनका पुनर्वास करने के लिए मार्ग ढूंढ़ना पड़ेगा। दंडकारण्य परियोजना हमारी एक अच्छी परियोजना है और वहां जाने को लोग इच्छुक नहीं है। इस मामले में हमारा छंटनी करने का कोई विचार नहीं है। प्रश्न यह है कि इस परियोजना को मध्य प्रदेश और उड़ीसा से भूमि लेनी है। हमने उनको लिखा है। इस समय दंडकारण्य परियोजना का लक्ष्य, जिसमें सही भी कर सकते हैं, एक वर्ष में 2000 परिवार लेना है, हम उनका पुनर्वास करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जब तक हम मध्य प्रदेश और उड़ीसा से इस परियोजना के लिए भूमि प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारे लिए इस परियोजना में और अधिक परिवारों का पुनर्वास करना सम्भव होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मेरा एफ०ए० एण्ड सी०ओ० के प्रतिवेदन के बारे में पूछे गये पहले प्रश्न का क्या हुआ ?

श्री भगवत झा आजाद : उस प्रश्न पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं इस मामले की जांच करूंगा और तब माननीय सदस्य को बताऊंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : क्या उनका तथाकथित फाल्तू व्यक्तियों को निकालने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री राम स्वरूप विद्यार्थी।

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : क्या मैं कह सकता हूँ...

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले वाले प्रश्न पर कहना था. मैंने अब अगले प्रश्न के लिए कहा है।

Inability of Sugar Mills to Crush Sugar-Cane in North India

*1025. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the number of such sugar mills in North India as would not be able to crush the entire quantity of sugar-cane in their area during the current season upto the 30th April, 1970 ; and

(b) whether it is a fact that sugar-cane loses weight in North India in May-June and the ratoons also do not sprout ; if so, the manner in which Government propose to compensate the farmers who supply sugar-cane ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) According to information received from State Governments, three factories in Harvana, nine in Bihar and all factories in Uttar Pradesh except about 10 are likely to continue crushing beyond 30th April, 1970. Latest information from other States in North India has not been received.

(b) It is true that Sugar-cane loses some weight in the months of May and June and ratoons also do not sprout well in these months. However, the minimum statutory price for sugar-cane fixed by Central Government remains the same throughout the season.

Shri Maharaj Singh Bharati : The area of the sugarcane was increased often the price of sugarcane came to Rs. 18 per quintal two years ago. But this year the situation became such that people are burning sugarcane in their fields. Their is no arrangement for their sale, You are saying the price will decrease and the ratoons will not sprout but the statutory price will be given then may I know which is the guarantee that this will be done ? The recovery will fall and Mill owners will make demands on the basis of recovery then will you exempt. Excise duty or remove the tax on sugarcanes ? What steps will be taken and under which laws the Mill owners will be compelled to give full rate inspite of less recovery ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह सच है कि पहले गन्ने का बहुत आकर्षक मूल्य होने के कारण गन्ने की प्रति एकड़ उपज बढ़ गई है, गत वर्ष लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि थी और इस वर्ष प्रति एकड़ उपज में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। समस्या यह आ गई है कि कारखानों के पास अपेक्षाकृत अधिक गन्ना है, परन्तु सरकार ने इस पर विचार किया है और पहले ही चीनी कारखानों को यह रियायत देने की घोषणा की है कि यदि उन्होंने गत वर्ष के 105 प्रतिशत उत्पादन से अधिक उत्पादन किया तो उनको वर्तमान दर पर 8 रुपये प्रति क्विंटल की छूट दी जायेगी।

श्री रंगा : इसको शेष भारत में नहीं बढ़ाया है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वर्तमान गन्ना नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत कोई भी कारखाना सांविधिक न्यूनतम मूल्य से कम नहीं दे सकता है अन्यथा यह दण्डनीय अपराध माना जाता है। राज्य सरकारों को ऐसे अधिकार दिये गये हैं जिससे वे उनके विरुद्ध सांविधिक न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य देने पर कार्यवाही कर सकें।

Shri Maharaj Singh Bharati : The recovery of 9.4 percent is linked with the Minimum price as announced by you. When the crystallization will not be proper then

the recovery will come to 7 and 6 percent instead of 9.4 percent and the price will automically decrease to Rs. 4.50 in place of Rs. 7.37. I mean to say the sugarcanes will not be crushed and the same will remain in the fields and the second crop will not come up. It will be his loss and the less recovery will result in this decrease in the prices. Again the Mills but it Rs. 20 per quintal and the sugar will be sold Rs. 10 per quintal which no body will be ready to pay. I want to ask how you are going to remove the defect in your formula inspite of the less recovery. A guarantee to this effect may be given that the recovery price will not be less than Rs. 8 per quintal. You give this assurance that the recovery price will not be less than Rs. 7.37 as stated by you.

श्री अन्नासाहिब शिंदे : मुझे दुःख है कि माननीय सदस्य ने न्यूनतम मूल्य के प्रति सरकार की नीति को नहीं समझा है । यदि वसूली 9.4 प्रतिशत से कम है तो न्यूनतम मूल्य देने का सिद्धान्त लागू होता है इसका मतलब यह है कि यदि वसूली 8 या 7.5 प्रतिशत है तो न्यूनतम मूल्य वही रहेगा। उनका प्रस्ताव ऊंची वसूली से संबंध जोड़ना है और यदि यह 9.5 प्रतिशत है तो गन्ना उत्पादकों को कुछ अधिक मूल्य मिलेगा। जहां तक निम्न मूल्य से संबंध जोड़ने का प्रश्न है तो कम प्राप्ति के बावजूद मूल्य वही रहेगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The cane growers are facing a great danger and the facilities given by the Government are not sufficient. The cane growers cannot prepare Gur because its prices are falling. I want to know from the Hon. Minister whether he would direct the Mill owners to keep running their Mills, till the whole sugarcane is crushed? And in case of their suffering loss, will the Government compensate it by doing away with the Excise duty ?

श्री अन्नासाहिब शिंदे : मेरे विचार में जिस रियायत की घोषणा की गई है वह काफी है । इसके अतिरिक्त, आंशिक विनियंत्रण है और कुछ चीनी कारखानें अपेक्षाकृत ऊंची कीमत पर चीनी बेचने की स्थिति में हैं और उनको हानि की क्षतिपूर्ति करने में समर्थ होना चाहिए यदि उनको कुछ महीने पूर्व अधिक कीमत वसूली के कारण हानि हुई हो ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : My question has not been replaced to. Will the Government state the time by which the Mill owners will continue their work after 30th April ?

श्री अन्नासाहिब शिंदे : हम चाहते हैं कि वे यथासंभव अधिक से अधिक गन्ना पेरें, यहां तक कि वे सभी गन्ना जो कि कारखाने में है उसे पेरें ।

Shri Tulshidas Jadhav : Today the labour, expenditure and the hopes of the canegrowers are of no avail due to many reasons and he does not want to grow sugar-canes. So in order to guarantee a certain price why do the Government not lay down that no one should grow more than a limited quantity of sugar-cane ? Why the Government leave the canegrowers to their fate by not resorting to planning ?

श्री अन्नासाहिब शिंदे : यह कहना सच नहीं है कि गन्ना उत्पादकों को उनके भाग्य पर छोड़ा जाता है। वास्तव में गन्ना नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत न्यूनतम मूल्य का सिद्धान्त लागू है और क्रियान्वित किया जाता है ।

उत्पादकों द्वारा गन्ना उत्पादन की लागत, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता, गन्ना से उत्पादित चीनी की लागत और उत्पादकों द्वारा उसकी बिक्री का मूल्य और

गन्ना से चीनी निकालने की लागत तथा इन सब बातों के वैज्ञानिक मापदंड पर विचार किया जाता है । हम न्यूनतम मूल्य घोषित करने से पूर्व इस मामले को कृषि मूल्य आयोग के समक्ष पेश करते हैं । यहां तक कि राज्य सरकार और उद्योगों से भी सलाह ली जाती है ।

Shri S. M. Banerjee : Shri Vajpayee asked a question whether the Government would issue orders that Mill owners would not close their Mills till the whole sugar cane is crushed. This has not been answered. This should be replied to. The Uttar Pradesh Government or the Central Government had taken a decision that sugar Mills of Uttar Pradesh should be taken over or they should be nationalised. Since then the Mill owners have been trying to create a situation to harm the Government and sugar-cane growers. It has come to my knowledge that Mill owners would close down Mills in May even if the cane growers may have to burn their sugar-canes. May I know whether Government would issue order asking them not to do this and if they defy this then the Government would run them by taking them over so that the cane-growers may not be harassed ?

श्री अन्नासाहिब शिंदे : मैं चाहूँगा कि माननीय सदस्य और सभा इस तथ्य को ध्यान में रखें कि इस देश में केवल 30 प्रतिशत गन्ने का प्रयोग चीनी बनाने में होता है और शेष 70 प्रतिशत का प्रयोग गुड़ और खांडसारी बनाने में होता है । स्वभावत: यदि माननीय सदस्य यह चाहें कि देश में सारे गन्ने को कारखानों द्वारा पेरा जाये तो मैं यह कहूंगा कि उनकी क्षमता सीमित है ..(**व्यवधान**)...इसका उत्तर देते समय मैंने कहा था कि जहां तक सरक्षित क्षेत्र में गन्ने का संबध है, हम मिल मालिकों से कहेंगे कि वे गन्ने को अपने क्षेत्र में लायें और यथासंभव अधिक से अधिक पेरें । जहां तक उनके क्षेत्र से बाहर ये गन्ने का संबंध है, हम इसका स्वागत करेंगे यदि कारखानें स्वयं उसको पेरने की स्थिति होंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या आप आदेश जारी कर रखे हैं ? यह मेरा प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है ।

श्री चेंगल राया नायडू : मंत्री महोदय ने कहा है कि यदि उन्होंने गत वर्ष की मात्रा से अधिक पेरा तो वे उत्पादन शुल्क में 8 रुपये की छूट देंगे । कारखानों ने गत वर्ष की तुलना में अधिक गन्ने को पेरा है । अब वे इस लक्ष्य से आगे नहीं जा सकते । कारखाने की वर्तमान क्षमता को देखते हुए इस वर्ष लाख मे अधिक गन्ने को पेरने की कोई संभावना नहीं है । और छूट के रूप में 8 रुपये मिलने की कोई आशा नहीं है ।

क्या सरकार पिराई की जाने वाली मात्रा पर लगभग 16 रुपये की छूट देने की इच्छुक है ताकि मिल मालिकों को इस वर्ष गन्ने की अधिक पिराई करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके ?

श्री अन्नासाहिब शिंदे : सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यह कहना ठीक नहीं है कि मिलें गत वर्ष से अधिक पिराई करने की स्थिति में नहीं है । हमारे वर्तमान आंकड़ों से भी पता चलता है कि गत वर्ष इसी समय में चीनी का उत्पादन लगभग 27 लाख मीटरी टन था और अब यह उत्पादन 32 लाख मीटरी टन तक पहुंच गया है और हम आशा करते हैं कि गत वर्ष की 35.5 लाख मीटरी टन चीनी के उत्पादन की तुलना में इस वर्ष का उत्पादन 41-42 लाख

मीटरी टन से भी बढ़ जाएगा । मुझे दक्षिणी उत्तरी आदि विभिन्न जोनों से आंकड़े प्राप्त हुए हैं जिनसे पता चला है कि विभिन्न क्षेत्रों ने गत वर्ष से अधिक पिराई की है । अतः अधिकाँश मिलें अधिक गन्ने की पिराई करने की स्थिति में हैं । माननीय सदस्यों के मन पर छाये हुए भय को दूर करने के लिए राज्य सरकार से विभिन्न जोनों में स्थित मिलों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जाएगी । और हम देखेंगे कि किसान के हितों की रक्षा करने लिए सम्भव उपाय किए जाएं ।

श्री विश्वनाथ राय : इस वर्ष तक गन्ना उत्पादकों पर गन्ने के अतिरिक्त बांड भरने के लिए 23 से 40 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से दंड उगाया जाता था किन्तु इस वर्ष उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री चन्द्र भानु गुप्त के नेतृत्व में बनी सरकार ने यह राशि 40 पैसे प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है । क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को यह सुझाव दिया है कि विभिन्न राज्यों में गन्ने के अतिरिक्त बांड पर लगने वाली दंडराशि में एकरूपता रखी जाए ?

श्री अन्नासाहिब शिंदे : मैंने माननीय सदस्य की बात को पूरी तरह समझा नहीं लेकिन मैं दोहराना चाहूंगा कि कारखानों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे रक्षित क्षेत्रों में ऐसे सारे गन्ने की पिराई करें जिसका बांड भरा जा चुका है । सरकार ने कुछ और कार्यवाहियां भी की हैं । वास्तव में हमने अक्तूबर, 1969 से पहले ही यह आशा की थी कि इस वर्ष प्रति एकड़ गन्ने की अतिरिक्त उपज होगी । इसलिए सरकार ने राज्य सरकारों को मिल क्षेत्र में गन्ने से खांडसारी एवं गुड़ बनाने पर लगाए गए प्रतिबन्धों को हटाने एवं रक्षित क्षेत्रों में बिजली से चलने वाले कोल्हू लगाने की सलाह दी है । कुछ राज्य सरकारों ने कुछ समय पहले विशिष्ट प्रतिबन्ध लगाए थे । सरकार ने उन्हें प्रतिबन्ध हटाने की सलाह दी है । इसी प्रकार गुड़ को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जाने पर प्रतिबन्ध लगाए गए थे । गुड़ से मादक द्रव्य बनाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । गुड़ को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जाने पर लगाए गए प्रतिबन्ध हटा लिए गए हैं परन्तु गुड़ से मादक द्रव्य बनाने पर लगाए गए प्रतिबन्ध को नहीं हटाया गया है । इसके अतिरिक्त, यदि कुछ मिलें गुड़ से चीनी बनाना चाहती हैं तो उसकी अनुमति भी भारत सरकार के अनुदेशों के अधीन दी जा सकती है ।

श्री विश्वनाथ राय : मेरा प्रश्न बिल्कुल भिन्न था । मैंने गन्ना उगाने वालों पर लगाए गए दंड की एकरूपता के बारे में प्रश्न पूछा था । दंडस्वरूप उगायी जाने वाली धनराशि विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है ।

श्री अन्नासाहिब शिंदे : मैं पूरी स्थिति जानने एवं कठिनाईयों का पता लगाने की कोशिश करूंगा ।

श्री एस० एम० कृष्ण : मैं मैसूर का रहने वाला हूँ जो कि गन्ना उत्पादक प्रदेश है । मेरे चुनाव-क्षेत्र में चीनी की 4 मिलें हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जब भी यह प्रश्न आता है, उसपर चर्चा में प्रश्न काल समाप्त हो जाता है । इस विषय पर न केवल इस बार बल्कि प्रत्येक सत्र में चर्चा करने की अनुमति दी गई है ।

श्री एस० एम० कृष्ण : इस सत्र में अनुमति नहीं दी गई है।

Shri Molahu Prasad : Through you, I would like to know from the Government whether they have any proposal to constitute a Tariff Commission to assess the cost of production of sugarcane just as they have constituted a Tariff Commission to assess the cost of production of sugar, so that after realising the cost of production and profit of sugarcane growers, price of sugarcane may be fixed ? Are the Government considering this matter or is there any alternative before them in this regard ?

श्री अन्नासाहिब शिंदे : गन्ने की कीमतें नियत करने के सिद्धांत गन्ना नियंत्रण आदेश में दिये हुये हैं। इसे किसी की मर्जी या स्वेच्छा पर नहीं छोड़ा गया है बल्कि कीमतें नियत करना सरकार के वैधानिक आदेश के अधीन है। यह लागत खर्च आदेश के आवश्यक अंग हैं। स्वभावतः जब आप कृषि मूल्य आयोग से अमुक मूल्य नियत करने के लिये कहते हैं, तो उन्हें उन सभी कारणों पर विचार करना पड़ता है जिनका हवाला माननीय सदस्य ने दिया है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : What is the balance of the amount of last year's season to be paid to farmers by mill owners ? May I know whether Government have received such complaints that Mill owners of U.P. have not made payment for sugarcane to farmers for the last three or three and a half months ? If so, whether hon. Minister would make such arrangement that farmers are given paid arrears according to the rate of interest prevailing in the market ?

श्री अन्नासाहिब शिंदे : राज्य सरकारों को वह सलाह दी गई है कि वे जिस प्रकार भूमि राजस्व की वसूली करते हैं उसी प्रकार वे गन्ना उगाने वालों को किये जाने वाले भुगतान के सम्बन्ध में भी कार्रवाही करें। जैसा कि माननीय सदस्य को स्वयं पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कई मिलों को कुर्क कर लिया है और उन्हें अपने हाथ में ले लिया है। क्योंकि उन मिलों ने गन्ना पैदा करने वाले व्यक्तियों को गन्ने के मूल्य का बकाया पैसा नहीं चुकाया था। मैं राज्य सरकारों को यह सलाह दूंगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि गन्ना उगाने वालों को निर्धारित समय के अन्दर ही गन्ने के मूल्य का भुगतान किया जाए और अगर मिल वाले समय के अन्दर भुगतान न करें तो उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाही की जाए।

श्री शिव कुमार शास्त्री : ब्याज के बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : ब्याज दिया जा सकता या नहीं इसपर विचार करना पड़ेगा परन्तु मेरे विचार में ब्याज दिया जा सकता है।

Shri M. A. Khan : Hon. Minister has just stated that U.P. Government have taken some step regarding recovery of the amount to be paid to cane-growers and have attached a number of factories. Is he also aware of the fact that attachment of factories was not given effect to by the Government after issuing attachment orders without the amount being paid to the care-growers ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इसके लिये नोटिस दिया जाना चाहिये।

श्री रंगा : कुछ समय पूर्व मंत्री महोदय ने उपभोक्ता मूल्य के सम्बन्ध में कृषि मूल्य आयोग एवं टैरिफ आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर पुनर्विचार करने की कृपा की थी। मांगों

के औचित्य पर सरकार द्वारा देर से विचार करने के सम्बन्ध में हम लम्बे समय से यह मांग करते आ रहे हैं कि उत्पादन शुल्क में कुछ नर्मी की जाए। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार 8 से 9 रुपये तक दी जाने वाली छूट को बढ़ाकर 15 या 16 रुपये करने की इच्छुक है? दूसरे, क्या यह छूट-नियम केवल गंगा-घाटी पर लागू होगा या सम्पूर्ण भारत वर्ष पर? तीसरे, चूंकि दक्षिण में भी वे भुगतान न करने के कई मामले हो चुके हैं, क्या सरकार ने राज्य सरकारों से गन्ना उगाने वालों को यह आश्वासन देने को तैयार है या आश्वासन दे चुकी है कि उनका पैसा चीनी मिलों वाले इकठ्ठा नहीं कर रहे हैं और वह राशि वित्तीय वर्ष या चीनी के उत्पादन काल में ही दे दी जायेगी जैसा कि मिल मालिकों ने पहले ही नियत किया हुआ है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : उत्पादन-शुल्क में दी जाने वाली छूट देश के चीनी उत्पादक क्षेत्रों में समान रूप से लागू होती है। जहाँ तक इस छूट की मात्रा में बढ़ौतरी करने का प्रश्न है, इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है। जहां तक गन्नों के भुगतान का प्रश्न है, गन्ना नियन्त्रण आदेश मे कहा गया है कि चीनी मिलों को गन्ना प्राप्त होने के कुछ दिन पश्चात् करना ही पड़ेगा और इस आदेश में भुगतान की अवधि नियत कर दी गई है और यदि ये मिलें भुगतान नहीं करती हैं तो राज्य सरकारों द्वारा उन चीनी मिलों के विरुद्ध कार्रवाही की जा सकती है। राज्य सरकारों को आवश्यक अधिकार दिए गए हैं। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता हूँ कि भुगतान गन्ना नियन्त्रण आदेश में निर्धारित अवधि में किया जाए।

श्री एस०एम० कृष्ण : टैरिफ आयोग ने हाल ही में चीनी के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं और सरकार ने ऐसी सिफारिशों को मान लेने का अस्थायी निर्णय किया है जो सिफारिशें मैसूर, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के लिये हानिकारक हैं। क्योंकि वहां चीनी की पर्याप्त मिलें हैं। क्या सरकार ने महाराष्ट्र, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश के माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये ज्ञापन को ध्यान में रखते हुये पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार किया है?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह मामला विचाराधीन है।

श्री एस० एम० कृष्ण : लेकिन कितने समय तक? आप कब तक निर्णय लेंगे?

Shri A. S. Saigal : Have Government prepared any plan on all India basis regarding growing of sugar-cane? If so, what is that plan?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह एक विस्तृत प्रश्न है।

श्री अ० सिं० सहगल : मंत्री महोदय को इसका ज्ञान होना चाहिए।

Mr. Speaker : Hon. Member is right but this cannot be discussed during Question-Hour.

श्री क० लक्कप्पा : किसानों के लिए मंत्रालय के हृदय में कोई जगह नहीं है और वह केवल झूठे आंसू बहाता रहा है। किसानों पर अत्यधिक कर लगाया गया है और यह नीति समाजवाद की ओर नहीं ले जा सकती। माननीय मंत्री का कहना है कि गन्ने की मात्रा के 30 प्रतिशत भाग का प्रयोग चीनी बनाने के लिए किया जाता है। शेष मात्रा से गुड़ बनाया जाता

है और यह काम छोटे काश्तकार करते हैं। हमें यह मानना ही पड़ेगा कि सरकार जब भी बड़े व्यापारियों एवं मिल-मालिकों के हाथ में है। क्या सरकार ने गुड़ बनाने वाले छोटे काश्तकारों पर ध्यान देने के लिए कोई व्यवस्था की है? क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम को आदेश देगी कि वह बड़े-बड़े व्यापारियों एवं मिल-मालिकों की उंगलियों पर नचाने की बजाये सारा गुड़ खरीद ले? भारत सरकार की नीति क्या है?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह सच है कि अधिक उत्पादन के कारण इस वर्ष गुड़ के दाम बहुत कम रहे हैं। यह खराब हो जाने वाली वस्तु है किन्तु वैज्ञानिकों और तकनीशियनों ने अभी तक कोई ऐसा उपाय नहीं खोजा है जिससे गुड़ को अधिक दिन तक रखा जा सके। अतः खाद्य निगम को गुड़ खरीदने का सुझाव नहीं दिया जा सकता।

श्री क० लक्कप्पा : मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए सरकार ने क्या किया है? सरकार गुड़ का उत्पादन करने वाले छोटे स्तर के काश्तकारों की कैसे सहायता करेगी? सरकार को इस ओर भी कुछ ध्यान देना चाहिये।

क्या सरकार छोटे किसानों की सुरक्षा की ओर इस कारण ध्यान नहीं देती क्योंकि वह बड़े-बड़े मिल-मालिकों के हाथों में खेल रही है? इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री क्या आश्वासन देते हैं?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : गुड़ के बाजार की स्थिति में सुधार करने के लिये जो उपाय किये गये हैं मैं उनका उल्लेख कर चुका हूं। अतः अब उनको दुहराने की आवश्यकता नहीं हैं।

Shri Sharda Nand : As the nationalisation of sugar industry is in the air the owners of sugar factories have refrained from replacing any parts in their factories as a result of which the mills are unable to function regularly. The sugar mills, therefore, remain closed very often for two days and more after they function for a little time. Last year, it was observed that so many sugar mills closed down earlier because of the non-availability of sugar-cane while certain mills were busy in crushing the cane even upto the month of July. May I know whether it would be ensured by the Governmen that no factory is closed down before time due to the non-availability of sugar-cane and no mill is suppled such a huge quantity of sugar-cane as could not be processed by the concerned mill even in the month of July? May I also know whether the steps would be taken by the Government by which the entire quantity of sugar-cane could be supplied to the sugar mills?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति भिन्न है। यदि किसी क्षेत्र में गन्ना उपलब्ध नहीं है तो कारखानों को बन्द करना ही पड़ेगा किन्तु यदि किसी क्षेत्र में गन्ना उपलब्ध है तो कारखाने चलते रहेंगे। गन्ने को अधिक दूर तक ले जाना लाभप्रद नहीं रहता। 20 से 30 मील के अर्धव्यास के अन्तर्गत तो गन्ने को ले जाना लाभप्रद हो सकता है किन्तु इससे अधिक नहीं। अतः किसी क्षेत्र से बहुत दूर तक अधिक मात्रा में गन्ना नहीं ले जाया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

Shri Suraj Bhan : Mr. Speaker, Sir, one question pertaining to Haryana should be allowed. The farmers of Ambala are being cheated as the advance at the rate of Re. 1

is being collected from them. The cane is being purchased from them at the price of Rs. 7.35 per quintal but because of this advance the actual price of cane will came to Rs. 6.35

Mr. Speaker : Please take your seat. We have devoted much time to this question. I have accommodated more than one from your party. This question has taken half-an hour. Next question.

Shri Suraj Bhan : The advance at the rate of Re. 1 is being charged from them...

Mr. Speaker : The hon. Member should realise that after three or four supplementaries on a question the time of the House should not be wasted unnecessarily. I think more than twenty supplementaries have been put on this particular question and yet the hon. Member is not satisfied. Should there be a debate on this question ? It is not justified to spend the whole of Question-Hour by allowing irrelevant questions on one subject.

Abolition of Wheat Zones and other Recommendations of Chief Ministers

*1026. **Shri Shri Chand Goyal :** **Shri Dandapani :**
Shri Onkar Lal Bohra : **Shri S. M Banerjee :**
Dr Sushila Nayyar :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Ministers at National Development Council Meeting held in March, 1970 have favoured the abolition of wheat zones in the country ;

(b) what other recommendations were made by the Chief Ministers ; and

(c) the reaction of Union Government thereto and whether any final decision has been taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The Chief Ministers and Food Ministers of Rabi State met on the 22nd March. 1970, after the meeting of the National Development Council, to discuss rabi policy for the 1970-71 season. The consensus of opinion at the Conference was that the entire country (except for statutorily rationed areas of West Bengal and Maharashtra) be made one zone for wheat.

(b) and (c). Two statements are laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT-I

Other Recommendations made at the Chief Minister's Conference held on the 22nd March, 1970

1. All possible efforts should be made to achieve the procurement target of 3.7 million tonnes of wheat recommended by the Agricultural Prices Commission.
2. The procurement price of wheat fixed for 1969-70 should be continued in 1970-71 also.
3. The issue price of wheat for 1970-71 be maintained at the level of 1969-70.

STATEMENT-II

After considering the recommendations made at the Chief Minister's Conference the Central Government have taken the following decisions for the 1970-71 season :

1. That all possible efforts will be made to achieve the procurement target of 3.7 million tonnes wheat recommended by the Agricultural Prices Commission ;

2. That the procurement prices of wheat fixed for 1969-70 season will be maintained in 1970-71 also ;

3. That the issue price of red (indigenous and Mexican) and imported varieties of wheat will be maintained at the existing level of Rs. 78 per quintal. The issue price of amber-coloured indigenous varieties will be Rs. 84 per quintal. The issue prices of wheat to Roller Flour Mills will be maintained at Rs. 78 per quintal for all varieties.

4. That entire country (excepting the statutorily rationed areas of West Bengal and Maharashtra) will be made one zone for wheat.

All the decisions mentioned above have been implemented except for the issue price of amber-coloured indigenous variety of wheat. The increase in issue price of amber-coloured wheat will be effective from 3rd May 1970.

Shri Shri Chand Goyal : Sir, two days before, it was stated by the Minister of Food and Agriculture that the main policy of the Government was that the interest of the consumers and the producers should be protected. May I know whether it can be expected that the production of wheat will be over and above the total consumption in the country as a result of the green revolution ?

If it is so, may I also know whether the Government is prepared to purchase wheat from the farmers even after procuring the fixed quantity of wheat at the same price which has been announced by the Government in order to check the fall in prices ? Afterwards, the Government may release wheat from their stocks at the time when the prices tend to increase in order to maintain the stability of prices. By doing so, the Government can protect the interest of the consumers as well as the producers. May I know whether the Government will adopt this policy ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि किसान जितना भी गेहूँ बेचना चाहेंगे सरकार उस सभी को खरीदने के लिए तैयार है। 3.7 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की वसूली का लक्ष्य प्राप्त करने के उपरांत भी सरकार निर्धारित मूल्य पर गेहूं खरीदने के लिए तैयार रहेगी।

जहां तक गेहूं के सरकारी मूल्य का सम्बन्ध है सरकार निर्धारित मूल्य पर ही गेहूँ देना जारी रखेगी।

Shri Shri Chand Goyal : I want to know whether the question of prices of rice was also discussed at the conference of Chief Minister and the Food and Agriculture Minister ? The production of rice in the country does not meet the requirements of the country and therefore there remains vast disparity in the prices of rice. May I know whether certain policy was formulated there in the regard so that the rice would be available to the people of all the parts of the country at reasonable prices ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुख्य मन्त्रियों के गत सम्मेलन में इस बात पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि सामान्यत: वर्ष में दो सम्मेलन किये जाते हैं। चावल सम्बन्धी कठिनाइयों पर विचार करने के लिए खरीफ की फसल के आरम्भ के समय ही सामान्यत: मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया जाता है। यह बैठक केवल गेहूँ के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के लिए बुलाई गई थी।

श्री स० मो० बैनर्जी : मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि गेहूं क्षेत्रीय प्रतिबन्ध को समाप्त करने का निर्णय कर लिया गया है क्योंकि यह प्रतिबन्ध केवल रात्रि के 11 बजे तक

ही कारगर होते थे। इसके पश्चात् खाद्यान्न का एक राज्य से दूसरे राज्य में चोरी-छिपे ले जाना खूब चलता था। किन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें कलकत्ता और बम्बई को ही सम्मिलित क्यों नहीं किया गया ? क्या इस सम्बन्ध में वहां के मुख्य मंत्रियों ने कोई आपत्ति की थी और यदि हां, तो उन्होंने क्या आपत्ति की थी तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि कलकत्ता और बम्बई बहुत बड़े नगर हैं। इन नगरों के निवासियों की क्रम-क्षमता बहुत अधिक है। इन क्षेत्रों में राशन लागू है। वहां के उपभोक्ताओं के हितों की पूरी तरह रक्षा की जाती है क्योंकि उनको सभी प्रकार का खाद्यान्न जिसमें गेहूँ और चावल भी सम्मिलित हैं नियन्त्रित मूल्य पर मिलता है। यदि इन क्षेत्रों में भी गेहूं लाने-ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध न रखा गया तो इन क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों से भारी खाद्यान्न चला जायेगा तथा सम्भवत: ऐसी स्थिति में अन्न वसूली पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह भी सम्भावना है कि खाद्यान्न के मूल्यों में भी वृद्धि हो जाये तथा यह स्थिति उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के हित में नहीं रहेगी।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या यह सच है कि गेहूं के क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को समाप्त करने के उपरांत भी जम्मू-काश्मीर तथा पंजाब और अन्य क्षेत्रों में अब भी गेहूं के लाने-ले जाने पर रोक लगी हुई है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जी नहीं। ऐसी कोई रोक नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Is it a fact that we will be able to produce more wheat this year than what we require ? If so, may I know the quantity required for consumption and the quantity likely to be produced ? May I also know whether the Government will give any assurance to abolish the foodgrain zones totally and if not the reasons therefor ? I want to know the reasons for which the Government are not giving any guarantee to the effect that after the end of 1970 wheat will not be imported in the country ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वह दिन बड़ा भाग्यशाली होगा जब हम देश में अपनी आवश्यकता से अधिक अन्न का उत्पादन करेंगे। उपभोग की सही मात्रा बताना बड़ा कठिन कार्य है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि हम इस वर्ष 200 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होगा। मांग के बारे में सही अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। जहां तक क्षेत्रों को समाप्त करने का प्रश्न है अब इस सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। गेहूं के लाने-ले जाने के सम्बन्ध में कलकत्ता तथा बम्बई को छोड़ कर शेष सारे देश को एक क्षेत्र मान लिया गया है। अब गेहूँ के बारे में कोई रुकावट नहीं है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : अपने इस लक्ष्य को सामने रखते हुए कि 1971 में अमरीका से पी०एल०-480 के अन्तर्गत खाद्यान्न का आयात किया जायेगा क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है कि देश तब तक गेहूँ और चावल में आत्म-निर्भर हो जाएगा ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सरकार की ओर से यह कहा गया है तथा मैं पुन: इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्ष 1971 के अन्त तक तथा उसके पश्चात् सरकार खाद्यान्न का

रियायतों पर कोई आयात नहीं करना चाहिए। अतः सरकार ने फालतू भण्डार बनाने के सम्बन्ध में तथा आम बातों के सम्बन्ध में कार्यवाही कर ली है।

Shri Ramavatar Shastri : It is worth appreciating that the wheat zones have been abolished. The famine affected areas will be benfitted now. May I know whether after this decision the prices of wheat in different States have been affected and if so, the details thereof ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : गत पखवाड़े में गेहूँ के मूल्यों में कमी हुई है। बिहार में भी गेहूं के मूल्यों में गिरावट आई है। 11 मार्च को समाप्त होने वाले सप्ताह में गेहूँ का मूल्य 125-134 रुपये था किन्तु 1 अप्रैल को समाप्त होने वाले सप्ताह में मूल्य स्तर 95-115 रुपये रह गया। इस से मूल्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUFSTIONS

Gandhiji's writings on Cow-Protection printed in Government Books

*1022. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two books "Gandhiji and Goraksha" and "Gandhiji on Cow Protection" have been published by the Publications Division of his Ministry in April, 1967 and June, 1967 respectively ;

(b) if so, the number of the copies of the said publications distributed and whether only some quotations from Gandhiji have been given in the said publications and not his complete views ; and

(c) if so, the objectives of publishing these books ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communication (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). One lakh copies of the book "Gandhiji and Goraksha" in Hindi and 14,000 copoies of the publication "Gandhiji on Cow Protection" in English were produced for free distribution. These contain selected quotations from Gandhiji's writings on the subject. The object of bringing out these books was to acquaint the public with Gandhiji's ideas in the matter.

बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में सरकारी क्षेत्र की डेरियों में उत्पादन तथा इण्डियन डेरी कारपोरेशन के कार्य में प्रगति

1023. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के चार नगरों में सरकारी क्षेत्र की डेरियों (दुग्धशालाओं) की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या चार नगरों में सफाई से तैयार किये गये दूध की सप्लाई में वृद्धि करने वाली परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए स्थापित इण्डियन डेयरी कारपोरेशन ने इस बीच अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त कारपोरेशन के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास की सरकारी क्षेत्र की दुग्धशालाओं की दुग्ध परिसंस्करण की क्षमता निम्न लिखित है :—

	(लिटरों में प्रति दिन)
(1) बम्बई	500,000
(2) कलकत्ता	150,000
(3) दिल्ली	300,000
(4) मद्रास	50,000
कुल	1,000,000

(ख) भारतीय डेरी निगम की स्थापना 13-2-1970 को हुई थी और उसने कार्य शुरू कर दिया है ।

(ग) अब तक इस कार्य में जो प्रगति हुई है वह निम्न प्रकार है :

(1) भारतीय डेरी निगम ने 5 मार्च, 1970 को सूचित किया कि वह परियोजना को शुरू करने के लिए तैयार है ।

(2) विश्व खाद्य कार्यक्रम के अधिकारियों को मई और जून में भारत को दो किश्तों में क्रमशः 6,300 मीटरी टन सप्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा 2,100 मीटरी टन घी को तरल दूध में परिवर्तित करने के लिए भेजने को कहा गया है ।

(3) निगम ने बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के चारों महा नगरों में दुग्ध परिसंस्करण संयन्त्रों के विस्तार की प्रथम अवस्था के लिए अपेक्षित 1.04 करोड़ रुपये के मूल्य के डेरी परिसंस्करण तथा स्टेनलैस उपकरणों के आयात की अपनी आवश्यकताओं का अनुमान लगा लिया है । इन प्रार्थनापत्रों पर तकनीकी विकास के महा निदेशालय और आर्थिक मामलों के विभाग के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

(4) निगम अपने मुख्य कार्यालयों और प्रादेशिक कार्यालयों के लिए आवश्यक स्टाफ की भर्ती करने में लगा हुआ है और 8 विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करने के लिए भी, जिनके लिए आर्थिक मामलों के विभाग से परामर्श करके कार्यवाही की जा रही है, प्रार्थनापत्र भेज दिया है ।

केन्द्र तथा राज्यों द्वारा सहायता प्राप्त रूपक चल-चित्र

*1024. **श्री अदिचन :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रूपक चलचित्रों के नाम क्या है जिन के निर्माण के लिए गत तीन वर्षों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा धन अथवा राज सहायता दी गई है ;

(ख) उन पर कितना धन खर्च हुआ तथा उनसे सरकार को कितनी आय हुई ; और

(ग) चल-चित्रों के लिए धन अथवा राज सहायता देने के लिए यदि कोई नीति बनाई गई है, तो वह क्या है और ऐसी नीति बनाने वाले निकाय के सदस्य कौन-कौन हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). फीचर फिल्मों के निर्माण के लिए अनुदान देने की केन्द्रीय सरकार के पास कोई योजना नहीं है । जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, तत्सम्बन्धी सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मगर, निर्मित की जाने वाली फिल्मों की स्तर ऊंचा करने की दृष्टि से बढ़िया और उच्च स्तर की फिल्मों के निर्माण के लिए चलचित्र वित्त निगम, बम्बई, ऋण प्रदान करता है । निगम के निदेशक मण्डल द्वारा ऋण स्वीकृत किये जाते हैं । बोर्ड का गठन प्रति वर्ष सरकार द्वारा किया जाता है और उसमें कम से कम दो तथा अधिक से अधिक 10 निदेशक होते हैं । चल-चित्र वित्त निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में (केवल कथा-चित्रों के लिए) स्वीकृत किये गये, बांटे गये और वसूल किये गये ऋणों को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जाता है ।

भारत में टेलीविजन प्रसार में सहयोग देने के बारे में पश्चिम जर्मन सरकार का प्रस्ताव

*1027. **श्री नि० र० लास्कर :** **श्री बे० कु० दासचौधरी :**
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री सामिनाथन :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मन सरकार देश में टेलीविजन के प्रसार के लिए सहयोग देने को सहमत हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार द्वारा निर्णय न किये जाने के कारण टेलीविजन प्रसार-कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है ;

(ग) निर्णय में विलम्ब किये जाने के क्या कारण थे ; और

(घ) टेलीविजन प्रसार के बारे में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ई० कु० गुजराल): (क) जर्मन संघ गणराज्य की सरकार ने दिल्ली में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने में कुछ समय पूर्व सहायता दी थी और पिछले वर्ष उनके साथ एक करार हुआ था, जिसके अन्तर्गत वह बम्बई में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने में सहायता देगी। इस केन्द्र की स्थापना का कार्य चालू है।

(ख) चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित देश में टेलीविजन के विस्तार का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है ; इसे स्थगित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

आकाशवाणी के बुलेटिनों में संसद सदस्यों के नामों का उल्लेख करने में कथित भेदभाव

*1028. **श्री शारदा नन्द :**
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 23 फरवरी, 1970 से 12 मार्च, 1970 तक की अवधि में आकाशवाणी से मुख्य समाचार बुलेटिनों में किन-किन संसद सदस्यों के नामों का उल्लेख किया गया ;

(ख) इन समाचार बुलेटिनों में किन-किन केन्द्रीय मन्त्रियों के नामों का उल्लेख किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि इन मुख्य समाचार बुलेटिनों में अन्य विरोधी दलों के सदस्यों की अपेक्षा कांग्रेस (आर०) के सदस्यों के नामों का ही अधिकतर बार-बार उल्लेख किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई नियम अथवा संहिता लागू करने का है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ई० कु० गुजराल) (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(घ) आकाशवाणी के अनुदेश है कि संसदीय कार्यवाही समेत सभी समाचारों को सन्तुलित रूप में प्रस्तुत किया जाये।

Scheme for Labour Participation in National Development and Industries

*1029. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Atam Das : **Shri Brij Raj Singh :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a scheme for seeking co-operation of and participation by the labourers in national development and industries ;

(b) whether Government have formulated any model scheme for providing legal rights and financial benefits to labour class in the country ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) The cooperation and participation of workers is obtained at various levels through tripartite and other forums with which representatives of workers organisations are associated.

(b) and (c). While no specific model scheme has been formulated, various Labour Acts confer on the workers covered by these Acts, various legal rights and benefits.

वास्तविक मजूरी तथा उत्पादिता के सम्बन्ध में राष्ट्रीय श्रम आयोग का मत

*1030. **श्री स० कुन्दू** : क्या श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपने प्रतिवेदन में टिप्पणी की है कि वर्ष 1939 की तुलना में वर्तमान श्रमिक की वास्तविक मजूरी कम है, परन्तु प्रति घण्टा उत्पादिता में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने आवश्यकता पर आधारित मजूरी के बारे में कुछ मानदण्ड निर्धारित करने का अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है ; और

(ग) क्या उन्हें ज्ञात है कि मजूरी में वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि संभव होगी ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) आयोग ने इन शब्दों में विचार व्यक्त नहीं किया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) अधिक मजूरी से यदि उनसे उत्पादिता में वृद्धि हो तो अधिक उत्पादन होना संभव है ।

वनस्पति घी के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए उपाय

1031. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 में और अब तक वनस्पति घी के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या टीन के कनस्तरों पर नया उत्पाद शुल्क लगने के कारण मुख्य रूप से इसके मूल्य में वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या वनस्पति घी के मूल्यों में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई ऐसी स्थायी कार्यवाही करने के बारे में विचार कर रही है जिससे बनस्पति घी के मूल्य भविष्य में स्थिर हो सकें ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जनवरी, 1969 से वनस्पति के मूल्यों में दस बार-आठ बार बढ़ोतरी और तीन बार घटाने की दिशा में संशोधन किया गया है ।

(ख) वनस्पति के मूल्य में पिछली बार बढ़ोतरी 18 मार्च, 1970 को की गयी थी जिस में वनस्पति के डिब्बों पर लगी नई उत्पादन शुल्क लेवी की थोड़ी सी राशि भी शामिल है।

(ग) और (घ). वनस्पति के मूल्यों में स्थिरता लाने के प्रश्न पर हाल ही में विचार-विमर्श किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि जब तक कि किसी पखवाड़े में कच्चे तेलों के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती तब तक वनस्पति के मूल्यों में पाक्षिक परिवर्तन की बजाय दो महीनों के अन्तराल पर परिवर्तन किया जाए। उद्योग द्वारा प्रयुक्त देशी तेलों के मूल्यों में घट-बढ़ को यथा सम्भव रोकने के लिए वनस्पति के निर्माण में सस्ते आयातित तेलों का भी प्रयोग किया जाता है। क्योंकि वनस्पति के मूल्य इसके बनाने में प्रयुक्त होने वाले खाने योग्य कच्चे तेलों के मूल्यों पर निर्भर करते हैं, इसलिये उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि उनकी सप्लाई बढ़ाई जा सके और मूल्यों में स्थिरता लाई जा सके।

राज्यों में कृषि क्रान्ति

1032. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1969 में सभी फसलों के उत्पादन के मामले में कृषि क्रान्ति समान रूप से सफल रही है ;

(ख) यदि हां, तो उन फसलों का ब्यौरा क्या है जिनमें कृषि क्रान्ति आन्दोलन आशा से अधिक सफल रहा है ;

(ग) क्या किसी फसल के मामले में आशा से कम सफलता मिली है, यदि हां, तो इन फसलों के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या कृषि क्रान्ति सभी राज्यों में सफल रही है ;

(ङ) यदि नहीं, तो किन राज्यों में यह सफल नहीं रही और इसके क्या कारण हैं ; और

(च) 1970 के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (च). भारत सरकार यह नहीं समझती है कि समस्त फसलों का उत्पादन सन्तोषजनक हुआ है। अधिक उत्पादनशील किस्मों का प्रयोग कृषि विकास की नई नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है।

1969-70 वर्ष में अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत आवृत्त क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हुई है। परन्तु, खरीफ, 1969 मौसम की प्राप्त रिपोर्टों से यह पता चलता है कि प्रायः सभी राज्यों में धान और बाजरे दोनों के क्षेत्रों में अच्छी प्रगति हुई है। इसी प्रकार रबी, 1969-70 मौसम की प्रारम्भिक रिपोर्टों से पता चलता है कि गेहूँ के मामले में समस्त प्रमुख गेहूँ उत्पादक राज्यों में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। संकर मक्का और संकर बाजरे के मामले में सामान्य तौर पर समस्त राज्यों में आशा से कम सफलता मिली है। इसका कारण अनिश्चित मौसम का होना है।

1970-71 के लिए अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रमों के अन्तर्गत 340 लाख एकड़ क्षेत्र का अस्थायी लक्ष्य रखा गया है। शीघ्र ही राज्यों का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल ब्यौरे को अन्तिम रूप देंगे।

1968-69 और 1969-70 में उर्वरक का आयात तथा उसका वितरण

*1033. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 और 1969-70 में कितने तथा कितने मूल्य के उर्वरक का आयात किया गया ;

(ख) उक्त दो वर्षों में आयातित उर्वरकों के राज्य-वार वितरण का ब्यौरा क्या है ;

(ग) आयातित उर्वरकों का वितरण किन अभिकरणों द्वारा किया गया था ;

(घ) आयातित उर्वरकों के वितरण के लिये जिन राज्य भण्डागार निगमों को अभिकरणों के रूप में नियुक्त किया गया था उनके नाम क्या हैं ; और

(ङ) कुछ राज्य भण्डागार निगमों को अभिकरणों के रूप में नियुक्त न किये जाने के क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) 1968-69 तथा 1969-70 में एन० पी० और के० के अनुसार आयात किए गये उर्वरकों की मात्रा और मूल्य इस प्रकार है :—

नाइट्रोजन	1968-69 (टनों में)	मूल्य
P_2O_5	8,41,833	162.92 करोड़ रुपये
	1,37,505	
K_2O	2,13,000	
नाइट्रोजन	1969-70 (टनों में)	मूल्य
P_2O_5	6,67,188	166.77 करोड़ रुपये
	93,510	
K_2O	1,20,231	

(ख) नाइट्रोजन तथा P_2O_5 तथा K_2O के सम्बन्ध में आयातित उर्वरकों के राज्य-वार वितरण का विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3222/70]

(ग) तथा (घ). भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्रों को पूल से उर्वरकों का आवंटन किया था और इसके बाद उर्वरकों का राज्यों में पुनः वितरण का कार्य, सम्बद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का उत्तरदायित्व होने के नाते, उनके द्वारा प्रमुख रूप से सहकारी समितियों द्वारा किया गया । ऐसी दशा में जब कि राज्य सरकारों द्वारा उर्वरकों की मांग न की जाए भारतीय खाद्य निगम अथवा राज्य भण्डागार निगम/केन्द्रीय भण्डागार निगम जैसे भारतीय सरकार द्वारा नियुक्त वितरण अभिकरणों को यह अधिकार दिया गया था कि वे गैर सरकारी/लाइसेंस/पंजीकृत वितरकों से उर्वरकों के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उन्हें सीधे रूप से उर्वरकों को बेच सकते हैं । इसलिए भारत सरकार ने किसी राज्य भण्डागार निगम को वितरण अभिकरण के रूप में नियुक्त नहीं किया ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकार द्वारा ली जाने वाली चीनी की कीमत में वृद्धि

1034. **श्री यशपाल सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के चीनी उत्पादकों ने सरकार द्वारा ली जाने वाली चीनी की कीमतों में वृद्धि की मांग की है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र ने उनकी मांगों का समर्थन किया है ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) जी हां । 1969-70 मौसम में उत्पादित लेवी चीनी के निर्धारित मूल्यों में बढ़ोतरी करने के लिए विशेषतया महाराष्ट्र, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश में सहकारी तथा ज्वाइन्ट स्टाक क्षेत्र के चीनी कारखानों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह मामला विचाराधीन है ।

Land Reforms in West Bengal

*1035. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether any further progress has been made in respect of implementation of land reform laws in West Bengal ;

(b) whether it is a fact that some political parties are getting undue benefit out of it and are encouraging violence and disorder in the State ; and

(c) if so, whether Government propose to take some necessary steps in this regard at an early date ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Intermediary tenures in West Bengal have been abolished. The State Government is engaged in completing preparation of compensation assessment rolls in respect of interests of ex-intermediaries.

Rent receiving interests of raiyats and under-raiyats have also been taken over. The share-croppers have not been given the status of tenants except in the transferred territories of Purulia and Islampur. Pending finalisation of the proposals for conferment of substantial rights on share-croppers (Bargadars) an Ordinance was promulgated in June 1969 which was replaced by an Act of the State Legislature for temporarily staying eviction for a period of one year. Further measures of interim relief are under consideration.

In the transferred territories of Purulia and Islampur where tenency rights had accrued to the sharecroppers under the Bihar Tenancy Act, the sharecoppers are being brought in direct contact with the State under the West Bengal Estates Acquisition Act.

With regard to ceiling on holdings, special drive has been launched for investigation of evasions and benami transactions and for taking over of surplus land and its distribution to landless agriculturists. It is estimated that more than 3 lakh acres of land have been so unearthed for distribution among eligible categories of landless cultivators. The work of distribution of land is being impeded by unnecessary ligigation. Proposals are under consideration for setting up of special agencies for disposal of such cases and barring jurisdiction of civil courts in respect of enquiries relating to benami transactions.

(b) During the last one year groups of peasants and landless agricultural workers have taken forcible possession of what they considered to be surplus lands of substantial holders. Very few cases of such occupation of land in organised manner or with show or use of force have been reported since inception of President's rule.

(c) Problems of forcible occupation of land are engaging the attention of the State Government.

बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में फिल्म सेंसर व्यवस्था के बारे में सेमिनार

*1036. श्री रवि राय : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म संचार-व्यवस्था सम्बन्धी जाँच समिति के बम्बई, कलकत्ता तथा दिल्ली के दौरे के समय इन नगरों में सेमिनार हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो इन सेमिनारों के क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) उनका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ई० कु० गुजराल) (क) से (ग). फिल्म सेंसर सम्बन्धी जांच समिति के तीन फिल्म केन्द्रों अर्थात मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता के दौरे के अवसरों पर क्रमश: मद्रास फिल्म सोसाइटी, फिल्म फोरम तथा कलकत्ता फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म सेंसर पर स्थानीय सेमीनार आयोजित किये गये थे। समिति के सदस्यों ने इन सेमीनारों में भाग नहीं लिया, किन्तु वे इनमें पर्यवेक्षकों के रूप में गए थे। सेमीनारों में सामान्यत: फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित करने की वर्तमान सेंसर व्यवस्था पर चर्चा की गई थी।

Foreign Aid for Famine-Affected Areas in Rajasthan

*1037. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the extent of aid received from various foreign countries during the last three years for famine-affected areas in Rajasthan separately ;

(b) the nature of aid received ;

(c) the agency through which the said aid was distributed : and

(d) the districts in which the said aid was utilised ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No assistance specifically earmarked for famine-stricken areas in Rajasthan was received by the Government of India from foreign countries during this period.

(b) to (d). Do not arise.

फिल्म परिषद की स्थापना का विरोध

*1038. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के फिल्म संघ तथा अन्य फिल्म संगठनों ने सरकार द्वारा फिल्म परिषद बनाये जाने का घोर विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को देखते हुए कि फिल्म उद्योग से सहयोग नहीं मिलेगा, सरकार प्रस्तावित फिल्म परिषद के निर्माण का विचार त्याग देने पर विचार करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो फिल्म परिषद बनाये जाने के क्या कारण हैं और इसके उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) अधिकांश फिल्म संगठनों ने फिल्म परिषद् के निर्माण का समर्थन किया है । तथापि, फिल्म फेडरेशन आफ इण्डिया तथा अन्य कुछ संगठनों ने प्रस्तावित ढांचे में कुछ संरक्षण के लिए मांग की है ।

(ख) और (ग). प्रस्तावित फिल्म परिषद् के निर्माण के लिए आगे कार्रवाई करने का प्रस्ताव है, क्योंकि सरकार यह समझती है कि ऐसा करना जनता तथा स्वयम् फिल्म उद्योग के हित में होगा । प्रस्ताव का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है । प्रस्तावित परिषद् का उद्देश्य फिल्म उद्योग के कार्यों को विनियमित करना तथा फिल्मों के निर्माण एवं वितरण से सम्बन्धित मामलों में सरकार को सलाह देना तथा फिल्मों आदि की क्वालिटी के लिये मानक निर्धारित करना है ।

राजस्थान में अकाल राहत के लिये अधिकतम सीमा

1039. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में अकाल राहत के लिये अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से कहा है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिकतम सीमा कितनी है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि,सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) से (ग). राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को 1970-71 में सूखा-राहत उपायों के बारे में खर्चे की सीमा का अब तक ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया है। तथापि स्थिति का जायजा लेने और इस मामले में उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए अधिकारियों का एक केन्द्रीय दल नियुक्त करने का निर्णय किया गया है। यह दल शीघ्र ही राज्य का दौरा करेगा।

खाद्यान्नों के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण

1040. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1969 में बम्बई में सत्तारूढ़ दल के प्रस्ताव के अनुसरण में खाद्यान्न के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस खाद्यान्न व्यापार को अपने हाथ में लेने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) और (ख). सरकारी व्यापार की व्यवस्था खाद्यान्न व्यापार के उल्लेखनीय भाग को खरीदने के लिये लागू कर दी गई है। भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा अधिप्राप्त किये जा रहे खाद्यान्नों का वितरण सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है ताकि उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों के हितों की सुरक्षा की जा सके।

खेतिहर श्रमिकों के मजूरी ढांचे के बारे में एक निकाय की स्थापना

*1041. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतिहर श्रमिकों के मजूरी ढांचे पर विचार करने का काम किसी राष्ट्रीय निकाय को सौंपा गया है, यदि हां, तो इस निकाय के सदस्य कौन हैं और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसे निकाय का गठन किया जा रहा है ; और यदि हां, तो इस निकाय का प्रस्तावित गठन किस प्रकार किया जायेगा और इसके विचारार्थ विषय क्या होंगे ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी नहीं।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

International Labour Organisation Scheme for World Employment Programme

*1042. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether the International Labour Organisation has formulated a scheme for the implementation of World Employment Programme in the decade beginning from the year 1970 ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the extent of help India is likely to get under the said programme to solve the unemployment problem in the country ?

The Minister of Labour Employment and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) Yes.

(b) According to the ILO publication "World Employment Programme" the main contribution of the ILO under the Programme will be in the form of technical assistance in formulating National Employment Programmes and carrying them out. Regional teams of experts will visit individual countries to survey the practical possibilities in each country of formulating national employment and manpower programmes, and providing services and resources for giving practical effect to such programmes. The teams will also make recommendations concerning technical assistance to be provided by the ILO, UNDP and other agencies. Large scale pilot employment projects may also be launched in some countries in each of the three regions namely Asia, Africa and Latin America.

(c) The nature and extent of assistance needed by India under the Programme has not yet been settled.

पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल आसाम तथा त्रिपुरा में आना

*043. **श्री समर गुह :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में पूर्वी पाकिस्तान से हजारों शरणार्थी पश्चिम बंगाल त्रिपुरा तथा आसाम में आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और वे पूर्वी पाकिस्तान से भारत किन-किन स्थानों पर आये ;

(ग) क्या सरकार ने उनको राहत देने के लिये और उनके अस्थायी निवास तथा बाद में पुनर्वास के लिए समुचित प्रबन्ध किया है ; और

(घ) यदि हां तो उस प्रबन्ध का ब्यौरा क्या है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) जनवरी, 1970 से, पश्चिम बंगाल, आसाम तथा त्रिपुरा की सरकारों द्वारा सूचित किये गये प्रवाह के आंकड़े नीचे दिये गये हैं : -

राज्य		व्यक्ति
पश्चिम बंगाल	15818	(3-4-1970 तक)
आसाम	2220	(15-3-1970 तक)
त्रिपुरा	801	(28-2-1970 तक)
योग :—	18,839	

पश्चिम बंगाल में, कुछ हरीदासपुर पड़ताल चौकी से आये किन्तु अधिकांश हसनाबाद तथा बसीरहट से आये। आसाम में, वह गोआलपाड़ा, गारो पहाड़ियों, तथा यूनाइटेड खासी तथा जैंतिया पहाड़ियों से और, त्रिपुरा में, सदर उप-मंडल से आये।

(ग) और (घ). हाल ही में हसनाबाद, बसीरहट तथा मालदा में आने वाले 14,408 व्यक्तियों मे से 6 अप्रैल, 1970, तक 11689 व्यक्तियों को या तो सीधे चान्दा, महाराष्ट्र, के पुनर्वास स्थलों को या माना के केन्द्रीय शिविर को भेज दिया गया है। शेष परिवार भी यथा शीघ्र माना भेजे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में उनके थोड़े से समय के ठहराव के अन्तर्गत, राज्य सरकार, हसनाबाद के स्वागत केन्द्र में पहले से ही उपलब्ध आवास के प्रयोग द्वारा या तम्बू लगाकर उन्हें अस्थायी निवास प्रदान कर रही है। माना में उपलब्ध स्टाक में से राज्य सरकार को 500 तम्बू दे दिये गये हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी कदम उठाये हैं और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था कर दी है।

जोत के आकार सम्बन्धी आंकड़े

*1044. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के प्रतिवेदन ही एकमात्र ऐसे साधन हैं जो देश में जोत के आकार के बारे में विश्वसनीय आंकड़े देते है ; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नवीनतम प्रतिवेदनों के अनुसार देश में जोत के वितरण सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिंदे) : (क) देश में जोत के आकार तथा वितरण सम्बन्धी सूचना राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (जुलाई 1954-अप्रैल 1955) के आठवें दौर तथा (जुलाई 1960-जून 1962) के सोलहवें तथा सत्रहवें दौरों में एकत्रित की गई है। कुछ दूसरे सर्वेक्षण में भी यह जानकारी मिलती है।

(ख) सोलहवें तथा सत्रहवें दौरों में, जोत के आकार के अनुसार, कृषि जोत की संख्या तथा खेतों के क्षेत्र के वितरण का संचयी प्रतिशत निम्न प्रकार से संक्षेप रूप में दिखाया गया है :

क्रम संख्या	जोत आकार (एकड़)	सोलहवां तथा सत्रहवां दौर (औसत)	
		संख्या	क्षेत्र
1.	0.50 से नीचे	9.71	0.35
2.	1.00 से नीचे	18.25	1.29
3.	2.50 से नीचे	39.87	6.79
4.	5.00 से नीचे	62.31	19.04
5.	7.50 से नीचे	74.67	30.35

1	2	3	4
6.	10.00 से नीचे	81.65	39.37
7.	15.00 से नीचे	89.44	53.39
8.	20.00 से नीचे	93.14	62.89
9.	25.00 से नीचे	95.37	70.19
10.	30.00 से नीचे	96.70	75·70
11.	50.00 से नीचे	98.95	88.11
12.	सब आकार	100.00	100.00

प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प में परिकल्पित बड़े पैमाने का औद्योगिक आवास कार्यक्रम

*1045 **श्री शशि भूषण** : क्या श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प में औद्योगिक आवास के बड़े पैमाने के कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी ;

(ख) क्या अब तक राज सहायता से कार्यान्वित की जा रही औद्योगिक आवास योजना से इस समस्या के समाधान में कोई प्रगति नहीं हुई है ;

(ग) यदि हां, तो भविष्य में स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ;

(घ) क्या ऐसे मजदूरों के लिए मकानों के स्तर के बारे में पुराने विचारों की तुलना में पुनः विचार किया गया है और क्या इस संबंध में मजदूरों के, उद्योग के तथा सरकार योगदान पर भी विचार किया गया है ; और

(ङ) क्या शीघ्र प्रगति सुनिश्चित करने के लिए कोई कानून बनाने का सरकार का विचार है?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) संकल्प में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर श्रमिकों के मकानों के निर्माण का प्रश्न विचाराधीन था ;

(ख) से (घ). औद्योगिक और बागान श्रमिकों के लिए राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना का उद्देश्य इस समस्या का आंशिक रूप से समाधान करना है । इसके अतिरिक्त कुछ और कार्यक्रम भी रहे हैं—जैसे कोयला, अभ्रक तथा कच्चा लोहा खानों के श्रमिकों के लिए और गोदी श्रमिक बोर्ड के अन्तर्गत गोदी श्रमिकों के लिए आवास योजनायें । कुछ राज्य सरकारों ने अपनी अलग योजनायें बनाई हैं । श्रमिकों के लिए "अपना मकान स्वयं बनाओ" योजनायें भी हैं । फिर भी, जैसा कि राष्ट्रीय श्रम आयोग ने कहा है समस्या के विस्तार के सम्बन्ध में कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, हालांकि कमी चल रही है ।

(ङ) श्रमिक आवास के लिए वैधानिक अनिवार्यता के अनुभव को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय श्रम आयोग ने, खानों के मामले को छोड़ कर वैधानिक अनिवार्यता के वर्तमान क्षेत्र का विस्तार करने की सिफारिश नहीं की । इस सिफारिश पर सरकार ने विचार करना है ।

पोस्टल सुपरिटेंडेंट सर्विस क्लास 2 के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों का चयन

*1046. **श्री सूरज भान** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 के लिए पोस्टल सुपरिटेंडेंट सर्विस क्लास 2 के चयन के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए किस तारीख को कहा गया था और उक्त वर्ष के लिए अन्तिम रूप से चयन किस तारीख को किया गया था ;

(ख) सर्किलों द्वारा (सर्किल-वार पृथक पृथक) चयन के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के जिन उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी उसके नाम क्या हैं ;

(ग) पोस्टल सुपरिटेंडेंट सर्विस क्लास 2 के लिए चयन संबंधी नियमों का पुनरीक्षण सरकार द्वारा किस तारीख को किया गया था और उक्त नियमों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) 1966 के चयन के लिए उन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव से लागू किये जाने के कारण अयोग्य हुए अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उन उम्मीदवारों के नाम क्या हैं जिनका उल्लेख भाग 'ग' में किया गया है ; और

(ङ) सरकार का विचार उन अधिकारियों को हुई हानि को किस प्रकार पूरा करने का है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) 15 अप्रैल, 1967 को सर्कल-अध्यक्षों को नामांकन करने के लिए कहा गया था और 6 दिसम्बर, 1967 को विभागीय पदोन्नति समिति ने अन्तिम रूप से चयन कर लिया था ।

(ख) चूंकि गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1-12-67-एक्ट्स (सी), दिनांक 11-7-68 के जारी किये जाने से पहले श्रेणी II के पदक्रमों में चुनाव द्वारा भरे जाने वाले पदों पर पदोन्नति के समय अनुसूचित जाति/आदिम जाति के उम्मीदवारों के बारे में विशेष ध्यान दिये जाने का कोई विचार नही था, इसलिए यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि जिन उम्मीदवारों के चयन पर विचार किया गया था उनमें से कौन कौन अनुसूचित जाति के थे ।

(ग) डाक अधीक्षक सेवा श्रेणी II में पदोन्नति के लिए चयन करने संबंधी भर्ती नियमों को 17 मई 1967 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था । इनके प्रकाशित होने के बाद चयन पूर्णतः इन नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया गया था । इन नियमों को पूर्व प्रभावी तौर पर लागू नहीं किया गया था ।

(घ) और (ङ). प्रश्न ही नहीं उठता ।

चलचित्र वित्त निगम द्वारा वितपोषित नये ढंग के चलचित्रों की संख्या

*1047. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चलचित्र वित्त निगम ने हाल ही में नये ढंग के कितने चलचित्रों का वित्तपोषण किया है और प्रत्येक वितरक को कुल कितना धन दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इन चलचित्रों के प्रदर्शनार्थ वितरण के लिए कोई प्रबन्ध किये हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि नये ढंग के इन चलचित्रों के निर्माताओं द्वारा तैयार किये गये ये कलापूर्ण चलचित्र व्यापारी वितरकों द्वारा वितरित नहीं किये जायेंगे ; और

(घ) क्या सरकार इन कलापूर्ण चलचित्रों को प्रदर्शित करने के लिए महानगरों में कम लागत के छविगृहों की स्थापना करने का विचार करेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ई० कु० गुजराल) : (क) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है। [ग्रथालय में रखा गया। देखिये सख्या एल० टी० 3203/70]

(ख) जी नहीं। तथापि फिल्म वित्त निगम ने ऐसी फिल्मों के वितरण के लिए जलन्धर में अपना एक वितरण कार्यालय खोला है।

(ग) इस प्रकार की सूचना सरकार के ध्यान में औपचारिक रूप से नहीं लाई गई है, परन्तु अनौपचारिक रूप से सरकार को इस कठिनाई का पता है।

(घ) निगम ने महानगरों समेत देश में बड़ी संख्या में छोटी कीमत के सिनेमाघरों को स्थापित करने की एक योजना तैयार की है। तथापि, सरकार ने उस योजना पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

सऊदी अरब में भारतीय चलचित्रों के प्रदर्शन पर रोक

*1048. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सऊदी अरब में भारतीय चलचित्रों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) भारतीय चलचित्रों को वहां पर दिखाये जाने के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). जी, हां। सऊदी अरब सरकार के विनियमों के अन्तर्गत सऊदी अरब में किसी भी फिल्म को, चाहे वह भारत की हो या अन्य किसी देश की, सार्वजनिक रूप से दिखाने की अनुमति नहीं है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में बिड़ला प्रतिष्ठानों को कब्जे में लेने का अनुरोध

*1049. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के कार्मिक संघों ने केन्द्रीय और राज्य सरकार से पश्चिम बंगाल स्थित बिड़ला प्रतिष्ठानों को अपने कब्जे मे लेने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल में स्थित बिड़ला प्रतिष्ठानों ने सरकार से अनुरोध किया है कि उनके प्रतिष्ठानों को केन्द्रीय सरकार के अधीन लाया जाये ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में श्रमिक अशान्ति पर नये सिरे से विचार कर रही है जिसके कारण उनके लिए अपने उद्योगों को शान्तिपूर्वक चलाना कठिन हो गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

सरकार द्वारा मिलों से वसूल की जाने वाली चीनी के वितरण की नीति में विभिन्नता

1050. **श्री मधु लिमये** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीनी मिलों से कहती है कि वे प्रतिमाह अपने उत्पादन का 70 प्रतिशत सरकार को दें और शेष 30 प्रतिशत उत्पादन को खुले बाजार में बेचने के लिये सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करें ;

(ख) यदि उसमें घटबढ़ होती है अथवा सरकार ऐसा करने देती है, तो किन-किन कारखानों को 2 प्रतिशत से अधिक घटबढ़ मंजूर की गई ;

(ग) क्या चीनी मिलों को प्रत्येक पिराई सीजन के अन्त तक इस 70:30 अनुपात को पू ा करने के लिए बाध्य किया जाता है ;

(घ) किन-किन चीनी मिलों ने 1967-68 के पिराई सीजन अथवा 1968-69 के पिराई सीजन के अन्त तक या 1969-70 के मार्च के पिराई सीजन के अन्त तक इस निर्धारित अनुपात को पूरा नहीं किया ; और

(ङ) दोषी मिलों को यदि कोई दण्ड दिया गया है, तो क्या ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास, सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). वर्ष 1967-68 से लागू की गई चीनी की आंशिक विनियंत्रण की नीति में यह व्यवस्था है कि चीनी मिलों द्वारा उत्पादित चीनी का 70 प्रतिशत (वर्ष 1967-68 के लिए 60 प्रतिशत) निर्धारित मूल्यों पर सरकार को सुलभ किया जायेगा और उत्पादन का शेष 30 प्रतिशत (1967-68 के लिए 40 प्रतिशत) चीनी मिलों को खुले बाजार में बिक्री के लिए दिया जाएगा लेकिन सरकार इसका विनियमन करेगी । लेवी और खुले बाजार की बिक्री की चीनी के बीच अनुपात चीनी फैक्टरियों से मासिक निर्मुक्ति पर पूर्णतया लागू नहीं होता है लेकिन सुरक्षा और निर्यात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने और पिछले वर्ष के शेष स्टाक पर विचार करने के बाद वर्ष भर के उत्पादन के सम्बन्ध में बनाये रखा जाता है ।

(घ) और (ङ). क्योंकि लेवी चीनी तथा खुले बाजार मे बिक्री की निर्मुक्ति सरकार द्वारा प्राधिकृत होती है, इसलिए प्रश्न ही नही उठते ।

Seizure of Bags of Rice and Wheat in Madhya Pradesh for Despatch to Maharashtra

6368. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the Madhya Pradesh Government seized in the months of December, 1969 and January, 1970 many bags of rice and wheat being sent to Maharashtra ;

(b) if so, the details in this regard ; and

(c) the reasons for which the said bags were seized ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c). The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is available.

Demands of Technical Unemployed Persons Association

6369. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether Technical Unemployed Persons Association has been established in the country and if so, the details of the 15-point demands, of the said Association ; and

(b) whether the members of the said Association are staging a dharna in front of the Employment Exchange in Jabalpur ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b). Information is not available. The same is being collected.

Trunk Automatic Exchanges

*6370. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) the names of the places in the country where trunk automatic exchange has been tried and the extent of success achieved therein ; and

(b) the type of modern equipment used in those exchanges with a view to providing additional facilities of Communications ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Trunk Automatic Exchanges have been installed at Bombay, Delhi, Kanpur and Madras and the following stations have been connected to them :

(i) Bombay Tax – Bombay, Ahmedabad, Poona and Surat

(ii) Delhi Tax—Delhi, Agra and Chandigarh.

(iii) Kanpur Tax—Kanpur and Lucknow.

(iv) Madras Tax—Madras, Bangalore and Coimbatore.

With the installation of these Trunk Automatic Exchanges, subscribers of one station connected to a Trunk Automatic Exchange are able to dial subscribes of other stations connected to the same Trunk Automatic Exchange. These are operating satisfactorily and they have resulted in reduction in delays on calls on several routes.

(b) The type of modern equipment in these exchanges is the "Pentaconta" crossbar switching equipment.

कर्मचारी भविष्य निधि (का) नियमों का पुनरीक्षण

6372. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि नियम जिनके अनुसार कर्मचारियों को अपने बच्चों के विवाह के लिए अपनी निधि में से धन निकलवाने की अनुमति दी जाती है बहुत पुराने हैं और उनमें कोई संशोधन नहीं किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विवाह के प्रयोजन के लिए धन निकलवाने के नियमों में निर्धारित अधिकतम सीमा विवाह के खर्च को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है जो कि मूल्यों में वृद्धि के कारण बहुत बढ़ गया है ; और

(ग) क्या इन नियमों में संशोधन करने का सरकार का विचार है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० सजीवैया) : (क) जी नहीं । पुत्री के विवाह के लिए पेशगी की मंजूरी संबंधी उपबन्ध कर्मचारी भविष्य निधि योजना में जुलाई, 1969 में ही सम्मिलित किया गया ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत वापिस न की जाने वाली जो अन्य पेशगियां दी जाती हैं, उनसे संबंधित सभी सुविधाओं को ध्यान में रखकर उच्चतम सीमा निश्चित की गई है ।

फिल्म इन्स्टीच्यूट, पूना पर व्यय

6373. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म इंस्टीच्यूट, पूना के संचालन पर कितना वार्षिक व्यय होता है ;

(ख) उपर्युक्त फिल्म इंस्टीच्यूट में आरम्भ से लेकर अब तक कुल कितने व्यक्ति प्रशिक्षित किये गये हैं और उनमें से सरकारी सेवा में कितने व्यक्ति भर्ती किये गये हैं ;

(ग) क्या फिल्म इंस्टीच्यूट का क्षेत्र बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का मुख्य ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) संस्थान पर आरम्भ से लेकर अब तक हुए वास्तविक व्यय के आधार पर, वार्षिक औसतन खर्चा 10,69,370/- रुपये आता है ।

(ख) अप्रैल, 1969 तक फिल्म संस्थान द्वारा प्रशिक्षित किये गये व्यक्तियों की कुल संख्या	281
प्रशिक्षण प्राप्त जिन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी मिली, उनकी संख्या	41

(ग) और (घ). फिल्म संस्थान में टेलीविजन में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है । प्रस्तावों का ब्यौरा अभी विचाराधीन है ।

वर्ष 1968 और 1969 में सरकारी क्षेत्र में हड़तालें

6374. **श्री बाबू राव पटेल :**
श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में सरकारी क्षेत्र में कुल कितनी, किस-किस तारीख को और कितनी अवधि के लिए हड़तालें हुई और प्रत्येक मामले में हड़ताल करने के कारण क्या थे और उन हड़तालों में कुल कितने कर्मचारियों ने भाग लिया था ;

(ख) कितने व्यक्ति मारे गये तथा घायल हुए ;

(ग) सम्पत्ति की क्षति और काम करने के घण्टे कम हो जाने के कारण कितनी हानि हुई और उत्पादन में कितनी कमी हुई ; और

(घ) हड़तालों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० सजीवैया) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में हाल ही में हुई ओलावृष्टि के सम्बंध में दिल्ली विकास आयुक्त का वक्तव्य

6375. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली विकास आयुक्त द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिन्होंनें ओलावृष्टि को, जिससे मार्च के महीने में दिल्ली में फसलों की काफी क्षति हुई थी, ब्लेसिंग इन डिसगाइज (वरदान सिद्ध हुआ) कह कर उसका स्वागत किया था जैसा कि 13 मार्च, 1970 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो एक अधिकारी द्वारा इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण बात कहे जाने के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि विकास आयुक्त ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

सोयाबीन के बीज खरीदने के लिए महाराष्ट्र में किसानों को ऋण

6376. **श्री ज० मं० काहानडोल** : क्या **खाद्य** तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में नासिक जिले के सतना के किसानों को राष्ट्रीय बीज निगम ने सोयाबीन के बीज सप्लाई किये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने एकड़ भूमि के लिए बीज सप्लाई किये गये थे ;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने काश्तकारों ने ऋण लिए थे ;

(घ) क्या उन्हें सोयाबीन के बीजों के लिए ऋण दिया गया था ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसका भुगतान कब किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही नहीं होते ।

बिना लाइसेंस के रेडियो सैटों के नवीकरण के लिए छूट देना

6377. **श्री अदिचन** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बिना लाइसेंस के टेलीविजन सेटों और रेडियो सेटों के मालिकों के लिये बिना कोई जुर्माना या दंड दिये और बिना उनके स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज दिखाये लाइसेंस प्राप्त करने के लिये तीन महीने की अवधि बढ़ाई है ;

(ख) यदि हां तो बिना लाइसेंस के कितने सेटों के लाइसेंस उपर्युक्त अवधि में अब तक बनवाये गये हैं ; और

(ग) क्या लाइसेंस वाले रेडियो, टेलीवीजन सेटों के मालिकों को भी, जिन्होंने गत कुछ वर्षों में अपने लाइसेंसों का नवीकरण नहीं करवाया था, इस प्रकार की अवधि के लिये कोई जुर्माना/अधिभार का भुगतान नहीं करना था ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) आम माफी के आधार पर जो व्यक्ति अपने बिना लाइसेंस के रेडियो/टेलीविजन सेटों के लाइसेंस प्राप्त करेंगे, उनकी संख्या समूचे भारत से एकत्रित की जाएगी और और आम माफी की अवधि समाप्त होने पर इसे लोक-सभा पटल पर पेश कर दिया जाएगा ।

(ग) जी हां । जिन व्यक्तियों ने हाल के पिछले वर्षों में अपने टेलीविजन और रेडियो के लाइसेंस नये कराये, वे भी आम माफी के दौरान बिना जुर्माना/अधिभार देने के सामान्य शुल्क दे कर अपने लाइसेंस नये करा सकते हैं ।

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय में स्थायी पदों की संख्या

6378. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय के विभिन्न प्रसारण केन्द्रों में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित स्थायी पदों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से कितने पदों पर अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार नियुक्त किये गये हैं ; और

(ग) उपर्युक्त मन्त्रालय में कितने उम्मीदवार अभी भी अस्थायी कर्मचारियों के रूप में कार्य कर रहे हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली प्रशासन के दुकान तथा संस्थान निरीक्षक द्वारा इम्पेक्ट पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली का निरीक्षण

6379. **श्री सरदार अहमद अली** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के दुकान तथा संस्थान निरीक्षक ने इम्पेक्ट पब्लिकेशंस (प्राइवेट) लिमिटेड के पंजीकृत तथा मुख्य कार्यालयों का निरीक्षण पिछली बार कब किया था ;

(ख) क्या सी० 7, निजामुद्दीन नई दिल्ली स्थित संस्थापन ने अपनी साप्ताहिक छुट्टी, काम करने के घण्टों और सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा की है ; और

(ग) गैर-पत्रकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिये दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (डा० संजीवैया) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

अन्दमान प्रशासन के अन्तर्गत जिला पंचायत अधिकारी

6380. **श्री के० आर० गणेष** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान प्रशासन के अन्तर्गत एक जिला पंचायत अधिकारी नियुक्त किया गया है ;

(ख) पंचायतों के क्षेत्र तथा उनके प्रबन्ध के बारे में उसका क्या अनुभव है ;

(ग) उसने कितनी पंचायतों का निरीक्षण किया है और उनको क्या परामर्श दिया गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि इस अधिकारी को मजिस्ट्रेट जैसी शक्तियां दी गई हैं, और यदि हां, तो उसकी शक्तियां क्या हैं ;

(ङ) क्या जिला पंचायत अधिकारी द्वारा उचित मार्गदर्शन प्राप्त न होने के कारण पंचायतें उचित ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं ; और

(च) क्या सरकार का विचार इस अधिकारी की मजिस्ट्रेट जैसी शक्तियों को वापिस लेने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डा० एरिंग) : (क) जी हां ।

(ख) जिला पंचायत अधिकारी को वर्तमान पद पर लगभग एक वर्ष हो गया है । उन्हें राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान, हैदराबाद में जुलाई, 1969 में पंचायती राज में एक महीने के अनुस्थापन पाठ्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था ।

(ग) अब तक जिला पंचायत अधिकारी ने अन्दमान द्वीपसमूह की कुल 36 ग्राम पंचायतों में से 19 का निरीक्षण किया है । उन्होंने पंचायतों की बैठकों में भाषण दिए और ग्रामीणों को उनके वित्तीय साधनों को बढ़ाने के लिए कर तथा शुल्क लगाने आदि के बारे में प्रस्ताव देने हेतु प्रेरित किया । उन्होंने पंचायतों को अपने मतभेदों, जब कभी भी वे पैदा हों, को तय करने के लिए भी कहा । उन्होंने आकाशवाणी पोर्टब्लेयर से समय-समय पर पंचायतों के लाभ के लिए वार्ताएं भी प्रसारित की हैं ।

(घ) जी हां। जिला पंचायत अधिकारी को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई हैं।

(ङ) सूचित किया गया है कि पंचायतें संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं।

(च) जी नहीं।

भारत नेपाल के मैत्री पूर्ण सम्बन्धों के विरुद्ध 'बिल्टिस' की कहानी

6381. **श्री बलराज मधोक** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय साप्ताहिक 'बिल्टिस' ने अपने 14 मार्च, 1970 के अंक में 'नेपाल इन्सल्ट्स इंडिया' शीर्षक के अन्तर्गत एक कहानी प्रकाशित की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह भारत-नेपाल के सम्बन्धों को बिगाड़ने का एक विद्वेषपूर्ण प्रयास है ; और

(ग) यदि हां, तो भारत-नेपाल के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को समाप्त करने के उद्देश्य से लिखे गये ऐसे कटुभाषी लेखों को निरुत्साहित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). लेख किसी भी तरह भारत सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता और न ही समाचार पत्र में छपे लेख के लिये सरकार किसी भी तरह जिम्मेदार है।

केन्द्रीय पशु चिकित्सा औषध भण्डार।

6382. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पशु चिकित्सा औषध भण्डार का दिसम्बर, 1969 में घेराव किया गया था और पशु चिकित्सा सेवा का सारा कार्य ठप्प हो गया था ; और

(ख) यदि हां, तो भण्डार का घेराव करने के क्या कारण थे और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) पश्चिम बंगाल, पशुचिकित्सा सेवा निदेशालय का केन्द्रीय मैडिकल स्टोर, जो बंगाल पशु चिकित्सा महाविद्यालय बेलगाचिया के कैम्पस में स्थित है, दिसम्बर, 1969 में काम नहीं कर सका, क्योंकि महाविद्यालय के सब द्वार जबरन बन्द कर दिये थे। अतः प्रयोग के लिये स्टोर से दवाइयां बाहर नहीं ले जाई जा सकीं। हड़ताल के दौरान तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये यथा सम्भव बाहर कार्य करने वाले अमले को दवाइयां सिलिगुडी सब-डिपों से सप्लाई की गई और वैक्सीन आदि साथ वाले राज्यों से प्राप्त की गई।

(ख) विद्यार्थियों ने पशु चिकित्सा महाविद्यालय को कल्याणी से पुनः बेलगारिया ले जाने की मांग की थी और इसी बात को लेकर उन्होंने हड़ताल कर दी । राज्य सरकार ने 1969 70 के शैक्षणिक वर्ष से बी० वी० एस० सी० और पशुपालन के पाठ्यक्रमों की प्रथम और दूसरे वर्ष की श्रेणियां बंगाल पशु चिकित्सा महाविद्यालय बेलगाचिया में और परी वैटेनरी पाठ्यक्रम निकटवर्ती मोती झील महाविद्यालय, डमडम में शुरू कर दिया है और हड़ताल समाप्त कर दी गई है ।

Water Supply from Rajasthan Canal for Central Agricultural Farm at Suratgarh

6383. **Shri K. Mahukar :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government have made arrangements under which Central Agricultural Farm of Suratgarh in Rajasthan may continue to get adequate water supply for irrigation purposes from the Rajasthan Canal for number of years ;

(b) if so, the details in this regard ;

(c) if not the time by which such arrangements are likely to be completed ; and

(d) if Govervment do not intend to make such arrangements, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The present authorised supply of irrigation water for the Suratgarh farm is 81 cusecs as against the total estimated requirement of irrigation water for the farm at 200 cusecs. This consists of 66 cusecs from the Bhakra system and 15 cusecs from the Gang canal. The present water supply is not only inadequate but is often irregular and erratic. The question of improving irrigation supplies for the farm has been considered from time to time and it was realised that it would be desirable to include the Suratgarh farm in the command of the Rajasthan canal system for purposes of improving the water supply arrangements, The Rajasthan Government have been requested to agree to the irrigation supply of the farm being switched over from the Bhakra to the Rajasthan canal system. Some remodelling of irrigation channels will be necessary but this will be undertaken after the State Government agree to the Suratgarh farm being put in the command of the Rajasthan canal system.

(c) and (d). Does not arise.

Production of Telephone Exqipment to meet the Demand of Telephone Connections

6384. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) the steps taken by Government to increase the production of Telephone equipment in view of the increasing demand for telephone in the country ;

(b) the extent to which the production of the said telephone equipments has increased during the year 1969-70 as compared to that in the year 1968-69 and the expected increase thereof in 1970-71 ; and

(c) the extent to which the demand for the telephone connections would be met a the end of 1970 71 in various States and Union Territories ?

The Minister of State fn the Minstry of Information and Broadcasting and in the Department of Communication (Shri Sher Singh) : (a) to (c). A statement giving the information required is attached. [*Placed in Library. See* No. LT-3204/70].

Assistance to Farmers due to Damage to Crops by Hailstorm

6385. **Shri Onkarlal Bohra :**
Shri G. Y. Krishnan :
Shri Devinder Singh Garcha :
Shri Sharda Nand :
Shri Suraj Bhan :
Shri Manibhai J. Patel :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Valmiki Choudhary :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the nature of special assistance proposed to be given by Government to the farmers in the States where crops have been damaged by hailstorm ; and

(b) the steps taken by Government to prevent traders from indulging in profiteering by increasing the prices of agricultural commodities indiscriminately ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) It is primarily for the State Governments concerned to assess the damage and take relief measures. If the State Governments want special assistance from the Central Government on account of natural calamities, the Central Government will consider the possibility of such assistance on request by the States. For this purpose, on receipt of such requests, the Central Government will depute a Central Team of Officers to the affected States to make an on-the-spot assessment of the relief measures. The Team will ascertain the extent to which requirements of funds for the relief operations can be met by the State Government to want extent additional expenditure on specified works may be necessary and to what extent funds will be required for various type of gratuitous relief and unproductive works. On receipt of the report of the Team, the Government of India will fix ceilings on total expenditure on relief operations which would be taken into account for the purpose of sharing with the States. Approved additional expenditure over and above the ceilings will be eligible for Central assistance as relief expenditure.

(b) Government keeps a continuous watch on prices and takes appropriate steps whereever necessary to prevent traders from indulging in undue profiteering. These steps include releases of supplies by Government, restrictions on credit advanced by banks, icencing of traders, banning or regulation of forward trading and creation of buffer stocks.

रेलवे बोर्ड द्वारा नैमित्तिक श्रमिकों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजूरी अधिनियम की क्रियान्विति न होना

6386. **श्री जि० मो० विस्वास :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने रेलवे की निर्माण तथा संधारण शाखा में नियुक्त नैमित्तिक श्रमिकों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजूरी अधिनियम की क्रियान्विति में टालबराई की है ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने श्रम मंत्रालय द्वारा मजूरी-दरों का पुनरीक्षण करने के संबंध में 19 मई, 1969 को जारी की गई दोनों अधिसूचनाओं को स्थायी मार्ग श्रमिकों के किसी भी वर्ग पर लागू न करने की अनुमति मांगी है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में पश्चिम रेलवे में काम कर रहे नैमित्तिक श्रमिकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (क), (ख) और (ग) के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). यह दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है कि स्थाई रेल पथ के निर्माण व उसकी देखभाल पर लगे श्रमिक न्यूनतम मजूरी अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत दिनांक 19-5-69 की अधिसूचना के क्षेत्र में नहीं आते । बम्बई के उच्चन्यायालय ने निर्णय दिया था कि सड़कों का निर्माण व उनकी देखभाल में रेल-पथ का निर्माण और उसकी देखभाल भी शामिल हो जाता है । केन्द्रीय रेल प्रशासन ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की तथा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध स्थगन-आदेश प्राप्त कर लिया है ।

(ग) जी, हां । कुछ आकस्मिक श्रमिकों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ।

(घ) जांच पड़ताल से यह मालूम हुआ कि आकस्मिक श्रमिकों को दी जाने वाली मजूरियां कुल मिलाकर न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित मजूरी से कम नहीं है ।

Small Farmers Development Agency in Ladakh

6387. **Shri Kushok Bakula** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Ladakh is also proposed to be covered under the special scheme for small farmers in 45 Districts in the county, included in the Central Budget proposals for 1970-71 ; and

(b) the time by which the said scheme is likely to be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No proposal has been received from Jammu and Kashmir State for setting up of Small Farmers Development Agency. The State Government is to select the District first on the basis of the guidelines communicated to the State Oovernments by the Government of India.

(b) Does not arise.

ग्रामीण कार्यक्रम के लिये चौथी योजना में परिव्यय

6388. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास के स्वैच्छिक अभिकरणों के संघ तथा ग्रामदान विकास समिति ने प्रधान मन्त्री को दिये गए एक ज्ञापन में सरकार को चौथी योजना में ग्रामीण कार्य के कार्यक्रम के लिये 400 करोड़ रुपये परिव्यय की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन की ग्रोर बातें क्या हैं ;

(ग) क्या उक्त ज्ञापन में उल्लिखित बातों पर सरकार ने विचार कर लिया है ; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास ग्रौर सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) ग्रौर (ख). जी हां। एसोशिएशन ग्राफ वालंटरी एजेंसीस फार रूरल डेवेलपमेंट ग्रौर सोसायटी फार डेवेलपिंग ग्रामदान ने चौथी योजना के दौरान ग्रामीण कार्यक्रम के लिए 400 करोड़ रु० के परिव्यय की सिफारिश की है। उनके ग्रनुसार, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिये कि सभी क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के लिए स्थानीय साधनों का पूर्ण उपयोग किया जाए, जबकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन क्षेत्रों के प्रमुख रूप से भूमिहीन श्रमिकों तथा छोटे किसानों को तुरन्त रोजगार प्रदान करना होना चाहिए जो चिरकाल से ग्रांशिक रोजगार तथा बेरोजगारी से ग्रस्त हैं। उन्होंने ये सुझाव दिये हैं :—

(1) ग्रामीण उद्योग परियोजनाग्रों को इस कार्यक्रम के दायरे के भीतर लाया जा सकता है ;

(2) कार्यक्रम में इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि ग्रामीण कार्यकर्ताग्रों की कुशलता में निरन्तर सुधार किया जाये। इसके लिए उन्हें बहुत से किस्मों के कार्य उपलब्ध किये जायं ग्रौर कुशलता का सोद्देश्य निर्माण विशेष रूप से ग्रामीण युवकों के लिए किया जाये। जहां तक सम्भव हो फोकस माध्यमिक उद्योग-विद्या ग्रभिमुख होना चाहिए। एक ग्रखिल भारतीय माध्यमिक उद्योग-विद्या संस्थान स्थापित किया जाना चाहिए।

(3) श्रमदान के लिये ग्राग्रह किया जाना चाहिए।

(4) पहुंच यह होनी चाहिये कि चौथी योजना ग्रवधि के ग्रंत तक 20 चुने हुए जिलों में रोजगार के इच्छुक सभी कार्यकर्ताग्रों को रोजगार उपलब्ध की जाये जिससे बाद के वर्षों में चल कर ग्रात्मपोषित पूर्ण ग्रथवा लगभग पूर्ण रोजगार सुलभ हो। उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जहां ग्राम निर्माण में सामूहिक सहभागिता के लिए ग्रनुकूल वातावरण हो ग्रौर जहां इस प्रकार की कार्यवाही ग्रारम्भ करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हों।

(5) प्रत्येक चुने हुए जिलों में जनशक्ति तथा क्षेत्र विकास ग्रायोजन का यूनिट विकास खंड बना रहना चाहिये।

(6) विशिष्ट योजनाग्रों ग्रथवा परियोजनाग्रों के चयन, का ग्राधार उत्पादिता में वृद्धि ग्रौर लोगों का गुण तथा कुशलता में सुधार का व्यापक सामाजिक दृष्टि-कोण होना चाहिये।

अन्य सुझाव इन के बारे में हैं क्षेत्रों तथा योजनाओं का चयन, मानक का अनुकूलन, आयोजन, एक सरकारी निगम के माध्यम से कार्यक्रम का निष्पादन, कार्यक्रम के लिये धन देना, कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों का अनुरक्षण, कितनी मजदूरी दी जानी है, कार्यकरण की प्रक्रिया आदि ।

(ग) और (घ). अब तक आयोजन में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी तथा आंशिक-रोजगारी दूर करने के लिए कार्यक्रमों पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है । चौथी योजना के दौरान अब और विशेष कार्यक्रम परिकल्पित किये जा रहे हैं जो न केवल कृषि श्रमिकों को ही रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे बल्कि सम्भाव्य जीवनक्षम छोटे किसानों और उप-सीमान्त किसानों को भी लाभ पहुंचाएंगे । शुष्क भूमि खेती का एक कार्यक्रम भी शुरू किया जाना है । योजना से बाहर के क्षेत्र में सूखे से ग्रसित होने वाले इलाकों में ग्रामीण कार्यों के लिये 100 करोड़ रु० की व्यवस्था उपलब्ध होगी । योजना आयोग में ग्रामीण कार्य तथा ग्रामीण विकास सम्बन्धी एक समन्वय समिति स्थापित की गई है जो ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न रोजगार अभिमुख कार्यक्रमों में ताल-मेल स्थापित करेगी ।

वनस्पति घी की चोर बाजारी

6389. **श्री समर गुह :**
श्री जगेश्वर यादव :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई और दिल्ली में वनस्पति घी की कमी हो गई है क्योंकि घी का स्टाक छिपा लिया गया है और उसे चोर बाजार में बेचा जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वनस्पति घी का काफी स्टाक गणेश फलोर मिल ने भी, जो घी का उत्पादन कर रही है, रोक लिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वनस्पति घी के मूल्यों में वृद्धि वनस्पति घी और मूंगफली के तेल के अनुपात को न बनाये रखने के कारण हुई है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) वर्ष 1970-71 में कितनी मात्रा में मूंगफली का उत्पादन होने का अनुमान है ;

(ङ) मूल्यों में कमी करने के उद्देश्य से इसका उत्पादन बढ़ाने और इसकी स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(च) वनस्पति घी की चोर बाजारी रोकने और अपराधियों को दण्ड देने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिंदे) : (क) बम्बई में वनस्पति की कुछ कमी महसूस की जा रही है लेकिन चोर बाजारी

अथवा स्टाक छिपा लेने का कोई भी मामला राज्य सरकार के ध्यान में नहीं आया है। जहाँ तक दिल्ली का सम्बन्ध है, हालांकि यहां जनवरी से मार्च, 1970 तक की अवधि में इसकी कमी थी तो भी अब स्थिति सुधर गई है और उपभोक्ताओं को दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित मात्रा तक निर्धारित दरों पर देने के लिये वनस्पति उपलब्ध है।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है वनस्पति के मूल्यों में बढ़ोतरी मूंगफली के तेल सहित कच्चे तेलों, जिनसे वनस्पति घी तैयार किया जाता है, के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण हुई है।

(घ) क्योंकि 1970-71 की मूंगफली की फसल की बुवाई अभी होनी है, अत: वर्ष के दौरान इसके उत्पादन का अभी अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ङ) सक्षम क्षेत्रों में मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिए 'पैकेज प्रोग्राम' के आधार पर सघन खेती के तरीके अपनाए गए हैं। इस का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1966-67 से केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की गई है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु और उड़ीसा राज्यों के बहुत बड़े सिंचित क्षेत्रों में रबी। गर्मी के मौसम में मूंगफली की दोहरी फसल बोने का कार्य शुरू किया गया है।

मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम के अलावा, निम्नलिखित पग भी उठाये जा रहे हैं :—

(1) खाने योग्य वनस्पति तेलों तथा वनस्पति के निर्यात पर लगे नियंत्रण और इन वस्तुओं के वायदा व्यापार पर पहले की गई रोक चालू रखी जा रही है।

(2) वनस्पति तेलों, तिलहन और वनस्पति पर दी जाने वाली बैंक पेशगियां दी जाती रहेंगी लेकिन गुंजाइश सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगे रहेंगे।

(3) वनस्पति और परिष्कृत तेल तैयार करने के लिए विलायक निस्सारित तेलों के प्रयोग की अनुमति दी गई है लेकिन इसके लिए कुछ विनियमों का पालन करना पड़ता है।

(4) पी० एल० 480 के अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका से सोयाबीन तेल की पर्याप्त मात्रा आयात करने और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य स्रोतों से वाणिज्यिक खरीददारी करने की व्यवस्था भी की गई है।

(च) दिल्ली में वनस्पति घी की बिक्री दिल्ली हाइड्रोजिनेटेड वनस्पति तेल व्यापारी लाइसेंसिंग आदेश, 1966 के अधीन विनियमित की जा रही है। उक्त आदेश के उपबन्धों का उल्लंघन करने की दशा में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

महाराष्ट्र सरकार ने, सहकारी समितियों द्वारा शहरों में प्रति मास 140 मीटरी टन वनस्पति वितरण करने हेतु, वनस्पति निर्माताओं के साथ स्थायी प्रबन्ध किये हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए पग उठाये गये हैं कि वनस्पति की जमाखोरी और चोर बाजारी रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये सम्बन्धित आदेशों का थोक विक्रेता और खुदरा व्यापारी पालन करते हैं या नहीं।

क्योंझरगढ़ डाक घर के डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट के कार्यालय के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

6390. **श्री गु० च० नायक :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि क्यों झरगढ़ डाकघर के डिवीजनल सुपररिन्टेंडेन्ट कार्यालय के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हाँ, तो कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण कब तक किये जाने की संभावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। इस समय क्योंझर गढ़ में मंडल कार्यालय और डाकघर के कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टर उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) 1.10 एकड़ पैमाइश की भूमि खरीदने की मंजूरी 19-2-1969 को जारी की गई थी। क्योंझर गढ़ के कलक्टर को इसके लिए आवश्यक फंड सौंप दिए गए हैं। भूमि को शीघ्र से शीघ्र अपने कब्जे में करने की कोशिशें की जा रही हैं। स्थान प्राप्त कर लेने पर क्वार्टरों के निर्माण के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी बशर्ते कि इस कार्य के लिए फंड उपलब्ध हो।

दिल्ली में राष्ट्रीय चलचित्र अभिलेखागार

6391. **श्री राजदेव सिंह :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में एक राष्ट्रीय चलचित्र अभिलेखागार की स्थापना को लाभप्रद मान रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक चलचित्रों को सुरक्षित रखने के लिए और चलचित्रों के लिए आवश्यक तकनीकी तथा रासायनिक सावधानी बरतने के लिए सक्षम कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था की जायेगी ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर 'नहीं' हो तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली में एक चलचित्र अभिलेखागार की आवश्यकता नहीं समझी जाती क्योंकि राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुरानी फिल्मों को प्राप्त करने और उन्हें सुरक्षित वर्गीकरण कर अनुसंधान करने और फिल्म अध्ययन तथा फिल्म संस्कृति के विकास के लिए प्रोत्साहन देने के लिए सरकार फरवरी, 1964 में एक राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना कर चुकी है।

दण्डकारण्य परियोजना

6392. श्री हुकम चंद कछवाय :
श्री श्री गोपाल साबू :
श्री रामगोपाल शालवाले :

क्या श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दण्डकारण्य परियोजना के बारे में 1968 से 1971 तक लोक लेखा समिति की कितनी आपत्तियां प्राप्त हुई और कितनी आपत्तियों को दूर कर दिया गया है और कितनी आपत्तियों का उत्तर नहीं दिया गया है और कौन अधिकारी जिम्मेदार है ;

(ख) दण्डकारण्य परियोजना में इसके शुरू होने से अब तक लम्बी अवधि तथा वार्षिक आधार पर कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं और उनमें से कितने उद्योग बन्द कर दिये गये हैं और क्या मशीनें, सहायक उपकरण तथा औजार आदि बेच दिये गए हैं और यदि हां, तो उनके खरीद तथा बिक्री मूल्य क्या हैं ;

(ग) जो उद्योग स्थापित नहीं किये गए हैं उनके लिए बिजली से चलने वाली कितनी मशीनें खरीदी गई थीं और उनको किस मूल्य पर खरीदा गया तथा बेचा गया था और उनको किस तारीख को खरीदा तथा बेचा गया था और इन मशीनों के सब से अधिक मूल्य लगाने वाले और जिनको ये मशीनें बेची गई उनकी संख्या तथा उनके नाम क्या हैं और जो मशीनें अभी तक नहीं बेची गई हैं उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उद्योग संगठन में परियोजना को कितनी हानि हुई है और क्या इस हानि को उस अधिकारी से वसूल किया गया है जो इसके लिये जिम्मेदार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

दण्डकारण्य परियोजना में कार्यान्वित की जा रही योजनाएं

6393. श्री हुकम चंद कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री भरत सिंह चौहान :

क्या श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना में कितनी निर्माण, सिंचाई, कृषि तथा पुनर्वास योजनाए

क्रियान्वित की जा रही हैं और ऐसी कितनी योजनाएं मुख्य प्रशासक के निर्णय की प्रतीक्षा में विचाराधीन हैं ;

(ख) क्रियान्वित की जा रही तथा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाएं कब तक चलेंगी ;

(ग) विभिन्न योजनाओं में लगाए गए पुरुष तथा स्त्री श्रमिकों को किस दर पर दैनिक मजूरी दी जा रही है और उनमें कितने व्यक्ति अधिवासी, आदिम जातीय तथा अनुसूचित जातियों के हैं और उन्हें स्थायी रूप से काम पर लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) इन योजनाओं में लगे कितने कार्य प्रभारित तथा नियमित कर्मचारियों की कर्मचारी निरीक्षण एकक की सिफारिश पर छंटनी की गई और उन्हें तत्समान रोजगार देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) दण्डकारण्य परियोजना में काम कर रहे कितने कर्मचारी दक्षता-रोक पर अवरुद्ध किये गए हैं और उनमें से कितने कर्मचारी कार्मिक संघ आन्दोलन से सम्बन्धित हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

Mishandling of Animals before Slaughter

6394. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the Marketing of Meat in India Report 1956 published by his Minstry it has been mentioned that Cattle in the country have to undergo extreme pain and torture before they are slaughtered in as much as they are tied up with a rope, caught firmly by head and horns and thrown on the ground with force after giving a sudden jerk and then, after pulling their necks are slaughtered with a 12-inch long sharp knife to ensure good quality meat which could be preserved for a longer time ;

(b) whether Government propose to issue orders to the effect that cattle should be slaughtered only after making them unconscious ; and

(c) if so, when and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes. The Report of the Marketing of Meat in India was, however, published in 1955 and not in 1956.

(b) No.

(c) Under Section 11 read with Section 31 of the prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, mutilating needlessly of any animal or killing of any animal in an unnecessarily cruel manner, is a cognizable offence punishable with fine or/and imprisonment.

Check on Cruelty and Torture of Animals before their Slaughter

6395. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the report of the Committee on Prevention of Cruelty to Animals published by his Ministry in 1957 ;

(b) whether it is proposed to instruct the persons taking cattle to the slaughter houses being run by Central Government in Calcutta, Bombay, Madras and Delhi and those run by Delhi Municipal Corporations to the effect that the cattle particularly the cow and its progeny must be well fed before being taken to the slaughter houses and must not be tortured so that the cattle do not look emaciated on reaching the slaughter houses and passed by the Inspecting Officer for being butchered ; and

(c) the steps proposed to be taken to check cruelty and tortured to animals and also to improve their sad plight ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes.

(b) No, Sir. The slaughter houses at Calcutta, Bombay, Madras and Delhi are not run by the Central Government.

(c) Under section 11 read with Section 31 of the Prevention of Cruelty to Animals Act. 1960, mutilating needlessly of any animal or killing of any animal in an unnecessary cruel manner is a cognizable offerce punishable with fine or/and imprisonment.

उड़ीसा में आकाशवाणी के केन्द्र

6396. **श्री दे० अमात** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में आकाशवाणी के कुल कितने प्रसारण केन्द्र हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : तीन :

फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट देने के बारे में दिल्ली प्रशासन की नीति

6397. **श्री दे० अमात** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनोरंजन कर से फिल्मों को छूट देने के बारे में दिल्ली प्रशासन की क्या नीति है ; और

(ख) वर्ष 1970 में नई दिल्ली में जिन फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट दी गई है उनके नाम क्या है, इसके क्या कारण है और इसके कारण राजस्व को कितनी हानि हुई ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) उत्तर प्रदेश मनोरंजन कर नियमावली, 1937, जो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पर भी लागू हैं, के नियम 6 के अधीन फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट दी जाती है । इस प्रयोजन के लिये कोई विशेष नीति निर्धारित नहीं की गई है । तथापि, किसी फिल्म को मनोरंजन कर से छूट देने से

पहले उसे एक अनौपचारिक समिति द्वारा देखा जाता है जो उसके शैक्षणिक, सामाजिक, देशभक्ति तथा सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखती है।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3205/70]

अधिक प्रोटीन वाले नये अनाज का विकास

6398. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा : श्री बाल्मीकी चौधरी :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने अधिक प्रोटीन वाले नये अनाज के विकास हेतु अनाज पर अनुसंधान किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस अनाज की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि उपयुक्त है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में ट्रिटिकेल (जिसे मानव द्वारा निर्मित नया अनाज कहा जा सकता है) की सुधरी किस्मों के अनुसंधान के सम्बन्ध में कार्य जारी है ट्रिटिकेल की विभिन्न किस्मों से पता चला है कि साधारणतः इसमें गेहूँ की तुलना में प्रोटीन की मात्रा अधिक है।

(ख) नया ट्रिटिकेल अनाज गेहूँ और राई का संकर उत्पाद है। गेहूं और राई दोनों में अनेक अच्छे गुण हैं। इनके संकरण का उद्देश्य अनाज की नई किस्म तैयार करना था जिसमें यह और अन्य वांछनीय गुण मौजूद होंगे। नये अनाज में नियुक्ति से पूर्व ग्रेनफिल्लिंग तथा ग्रेन सेटिंग आदि के सम्बन्ध में अनेक गुणों में सुधार करने की आवश्यकता है। वर्तमान दोषों को दूर करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और अन्य देशों में सघन अनुसंधान किया जा रहा है।

(ग) नया अनाज गेहूँ की तुलना में अधिक सख्त प्रतीत होता है अतः यह वर्षा पर आश्रित और नमी के अभाव वाले क्षेत्रों में काश्त के लिये अधिक उपयुक्त सिद्ध हो सकता है।

बकाया राशि का भुगतानन करने पर चीनी के कारखानों की सम्पत्ति की कुर्की

6399. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा : श्री बाल्मीकी चौधरी :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी के कितने कारखानों की चल और अचल सम्पत्ति को उनके द्वारा गन्ने के मूल्य उपकर तथा उनकी ओर बकाया सरकार की अन्य राशि का भुगतान न किये जाने के कारण कुर्क किया गया है ; और

(ख) कारखानों की और कारखानावार कुल कितनी राशि बकाया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश तथा बिहार में स्थित चीनी कारखानों के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है । आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पांडिचेरी में किसी भी चीनी कारखाने की सम्पत्ति कुर्क नहीं की गई है । अन्य राज्यों में स्थित चीनी कारखानों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3206/70]

केरल में आकाशवाणी के केन्द्रों की संख्या

6400. श्री अदिचन : क्या सूचना तथा प्रसारण और सचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में आकाशवाणी के कितने प्रसारण केन्द्र हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) तीन ।

Issue of Commemorative Stamp in the Memory of Late Shri Manikya Lal Verma

*6401. **Shri Ramesh Chandra Vyas** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Rajasthan has given a suggestion to the Central Government that a commemorative stamp ia the memory of Late Shri Mankiya Lal Verma, a social worker and public leader of Rajasthan, be issued ;

(b) if so, the reaction of Government in regard thereto and the time by which Government propose to issue the said stamp ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) and (c). The proposal was placed before the Philatelic Advisory Committee but they did not recommend it.

Substitute to Oil Cakes for Cattle in Non-Oil Mill Areas

6402. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the arrangements being made by Government for providing substitute to oil cakes for the cattle of Northern India where the cattle are not addicted to oil-cakes because there are no oil mills there and the oil-cakes are not available in the market ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : It is not true that oil-cakes are not available for use as cattle feed in Northern India. To reduce reliance, however, in oil-cakes in areas removed from main marketing centres, research is being conducted into the possibility of replacing digestible crude protein by non protein nitrogenous compound like urea in the case of ruminants. Use of oil,cakes can also be reduced by using conserved green forage harvested at the optimum stage of growth in balanced rations. There is no question of Government making arrangement for providing substitute to oil cakes.

High Sale Price of Bone Fertiliser

6403. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the percentage of solvent $P_2 O_5$ in bone fertiliser ;

(b) whether it is a fact that $P_2 O_5$ of the bone fertiliser is very costly as compared to the Superphosphate ; and

(c) if so, the steps being taken by Government to bring the price of bone-fertiliser at par with the other fertiliser ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) The percentage of total phosphates (as $P_2 O_5$) in raw bonemeal is 20 and that soluble in 2.0% citric acid solution is 8. In steamed bone-meal, the percentage of total phosphatates (as $P_2 O_5$) is 22 and that soluble in 2.0% citric acid solution is 16.

(b) Taking the average consumer price of bone-meal (raw) at Rs. 480/- per tonne and that of superphosphate at Rs. 370/- per tonne, the price per tonne of $P_2 O_5$ in these comes to Rs. 2,400/- and Rs. 2,310/- respectively. Thus, bone-meal is only slightly costlier than superphosphate.

(c) There is not much difference in the price of a tonne of $P_2 O_5$ as bone-meal or as superphosphate.

The price of bone-meal is not the sole limiting factor in its consumption. It is a slow acting fertiliser and as such is not so effective as superphosphate in neutral and alkaline soils. Religious sentiments of the farmers also inhibit its wide use. Bone-meal, however, gives as good results as superphosphate in acidic soils. The State Governments have been requested to step up its consumption in such soils.

All India Radio has also been requested to include bone-meal fertiliser in their propaganda and publicity programme amongst various kinds of fertilisers.

Target of Procurement of Foodgrains Fixed for 1970-71

6404. **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri Deorao Patil :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state the target of procurement fixed for 1970-71 and whether the progress in respect thereof is in accordance with the targets laid down in the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : No target for procurement as such has been fixed for the Fourth Five Year Plan. The procurement target is fixed on a yearly basis depending upon the production each year. For 19 0-71 the target for wheat procurement is 3.7 million tonnes. The target for the khariff grains can be fixed only just before the khariff harvest.

Houses not Fully Paid for by Allottees in Malvia Nagar, New Delhi

6405. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of Labour Employment and Rehabilitation be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2662 on the 12th March, 1970 and state :

(a) the details such as block number, serial number, name and addresses of allottees, of those 217 houses in respect of which full payment has not been made so far to Government ;

(b) the reasons or which the outstanding amounts could not be realised, the dates from which they are outstanding, the dates on which the notices for their recovery were last issued and the reaction of allottees to those notices ;

(c) the action proposed to be taken by Government in respect of cases to which no response was received from the allottees and whether Government propose to hold another public auction for these houses ; and

(d) the details of the plots which are proposed to be disposed of by auction or tender, the number, location and area of such plots and the time by which action to dispose them of is likely to be taken ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c). Out of 217 houses reported in reply to Unstarred Question No. 2662 dated the 12th March, 1970, only 120 houses are now left where full payment has not been received A statement giving the information regarding these remaining 120 houses is enclosed at Annexure 'A' [*Placed in Library. See* No. LT—3207/70]. Out of 120 cases, compensation claims have been tendered in respect of 30 houses and no action to cancel their allotment can be taken at this stage In 11 cases, allottees have represented against the demand and they are being examined. In the case of 11 houses, reference has been made to the Assistant Collector for effecting recovery as arrears of land revenue. In the case of 8 houses, allottees have since expired and their legal heirs are not coming forth for filing the substitution papers.

In the remaining cases, the allottees have not cleared the outstanding dues so far despite notices issued to them. Action to resume the properties has, therefore, been initiated.

(d) The requisite details of the plots to be disposed of by auction/tender are given in the statement marked Annexure 'B'. [*Placed in Library. See* No. LT—3.07/ 0].

These plots are likely to be disposed of after preliminaries about their demarcation etc. are completed.

Representations against Imposition of Application Fee for Telephone Connections

*6406. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state whether Government have received any memorandum or representations against imposition of fees for application for telephone connections and if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : Yes ; the Government received a few representations against imposition of application fee. These representations did not contain any substantial grounds to warrant a reconsideration of the Government decision. Suitable replies have already been sent to the representations.

पंजाब और हरियाणा के खाद्य क्षेत्रों में सम्मिलित क्षेत्र

6407. **श्री श्रीचन्द गोयल : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और हरियाणा खाद्यान्न क्षेत्र मे इस समय कौन से क्षेत्र सम्मिलित है ;

(ख) क्या पंजाब और हरियाणा सरकारों द्वारा इस खाद्यान्न क्षेत्र को बढ़ाये जाने की मांग की गई है ; और

(ग) इस खाद्यान्न क्षेत्र में कौन-कौन से नये क्षेत्र शामिल किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). चावल के बारे में पंजाब और हरियाणा उत्तरी चावल क्षेत्र में है जिसमें जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब तथा हरियाणा और केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ शामिल हैं। तथापि, पजाब और हरियाणा दोनों में धान के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगे हुए हैं। मौजूदा उत्तरी चावल क्षेत्र को बढ़ाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव पंजाब अथवा हरियाणा द्वारा किया गया है।

पंजाब अथवा हरियाणा से अन्य अनाजों के संचलन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अतः इन अनाजों के बारे में पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों को सम्मिलित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

चंडीगढ़ तथा दिल्ली के लिए टेलीफोन सलाहकार समितियां

6408. **श्री श्रीचंद गोयल : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चण्डीगढ़ तथा दिल्ली के लिए नई टेलीफोन सलाहकार समितियां बनाने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) सदस्यों के चयन के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली कसौटी क्या है ; और

(ग) बनायी जाने वाली दो समितियों के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) दिल्ली की टेलीफोन सलाहकार समिति को हाल ही में पुर्नगठित किया गया है। इसलिए एक नई समिति के गठन का प्रश्न ही नहीं उठता। चण्डीगढ़ की टेलीफोन सलाहकार समिति का पुर्नगठन किया जा रहा है।

(ख) विधान सभा सदस्य या कार्यकारी पार्षद और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों का नामांकन राज्य सरकार की सिफारिशों पर किया जाता है। संसद सदस्यों का नामांकन संसदीय कार्य मन्त्री के परामर्श से किया जाता है। अन्य सभी नामांकन संचार मन्त्री द्वारा उन नामों के पैनल में से किया जाता है जोकि सम्बन्धित हितों से रखने वाले विभिन्न संघों/निकायों की सिफारिशों पर प्राप्त नामों के आधार पर तैयार किया जाता है।

(ग) चण्डीगढ़ की टेलीफोन सलाहकार समिति की अवधि समाप्त हो चुकी है। अवधि समाप्त इस समिति के नामों की सूची संलग्न है। दिल्ली की टेलीफोन सलाहकार समिति की सूची भी सलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3208/70]

रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा बेरोजगारी के सम्बन्ध में सर्वेक्षण

6409. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री दण्डपाणि :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री सामिनाथन :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशक ने बेरोजगारी के कारणों के बारे में एक सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने प्रतिवेदन की जांच किस हद तक पूरी कर ली है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता।

अफगानिस्तान में कृषि केन्द्र स्थापित करने के लिये सहायता

6410. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री दण्डपाणि :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री सामिनाथन :

क्या खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि केन्द्र स्थापित करने में अफगानिस्तान के विशेषज्ञों की सहायता करने के लिए भारतीय कृषि वैज्ञानिकों को भेजा जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन परियोजनाओं में भारत अफगानिस्तान की सहायता करेगा तथा कृषि उत्पादों में अफगानिस्तान भारत की कितनी सहायता करेगा ; और

(ग) विशेषज्ञों के अफगानिस्तान कब तक जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी, हां।

(ख) चावल, आलू तथा गेहूँ के उत्पादन में सुधार करने के लिए भारत सरकार की सहायता से अफगानिस्तान में क्रियान्विति के लिए निम्न लिखित 3 अनुसंधान योजनाए शुरू करने का निर्णय किया गया है।

( ) चावल अनुसंधान की योजना।

(2) आलुओं पर व्यावहारिक अनुसंधान तथा आलुओं के बीज के उत्पादन की योजना।

(3) गेहूं उत्पादन योजना।

(4) इन योजनाओं के अन्तर्गत एकीकृत कार्यक्रम के रूप में कार्य शुरू किया जाएगा। यह भी निर्णय किया गया है कि इस समय भारत में प्रयोग में लाए जाने वाले उन्नत कृषि उपकरणों, बागवानी औजारों और पौध रक्षा उपकरणों में से कुछ को अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया जाए। यथा समय अफगानिस्तान के खानाबाद-कुन्दुज क्षेत्र में एक सघन कृषि उत्पादन कार्यक्रम भी शुरू किया जा सकता है।

(5) इस समय भारत के कृषि उत्पादन के विकास में अफगानिस्तान से सहायता प्राप्त करने का कोई विचार नहीं है।

(ग) इन विशेषज्ञों की नियुक्ति की शर्तों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और सभवत: वे शीघ्र ही अफगानिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे।

Broadcasting of an Objectionable Drama at Jaipur A. I. R. Station

6411. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been invited to the letter to Editor published in the Vir Arjun dated the 26th February, 1970 wherein it has been stated that in a drama written by Shanta Gupta and broadcast by the Jaipur Station of the All India Radio at 9 A. M. on the 9th February, 1970, a mention had been made that Hindus slaughter cows and sell their skin in the market ; and

(b) if so, the reasons for broadcasting such dramas ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department af Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir. The play was broadcast on the 1st of February, 1970 in the children's programme. It was intended to convey the normal that those who commit wrong acts for greed come to grief.

(b) Does not arise.

High Power Short Wave Transmitters at Aligarh

6412. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Atam Das :**
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state the reasons for which Aligarh was selected for setting up two high power short wave transmitters for augmenting the External Services of All India Radio ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : The reasons are given below :

Availability of suitable adequate land, power supply, reliable quality telephone link with Delhi, need for dispersal of high power transmitters and clearance from Aviation authorities.

Visit by American and Soviet Teams to Central Agricultural Farm, Suratgarh (Rajasthan)

6413. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an American team visited Suratgarh (Rajasthan) Agricultural Farm some days back ;

(b) whether it is also a fact that a team from U S S. R. also visited the place immediately thereafter and took photographs of various parts of the farm;

(c) whether it is also a fact that both the teams returned to Delhi together thereafter ;

(d) the object of their visit to the said farm ; and

(e) the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) No American Team visited the Farm. Only the Agricultural Attache of the USA Embassy saw the Farm on 3-3-1970.

(b) Yes. Sir. A three-men Team of Soviet Union Cameramen arrived on 3-3-1970 for making a film.

(c) No Sir. The American Agricultural Attache returned in the morning of 4-3-70 while the Soviet Cameramen returned in the afternoon.

(d) Mr. James H. Boulware, Agricultural Attach of the USA Embassy visited the farm and discussed the cropping programme and the operational aspect with the Operational Manager (Agriculture).

The visit of the USSR team of Cameramen was in connection with making a film on projects of the Soviet-Indian Economic Cooperation including the Suratgarh farm During their visit they took some movie shots and still photographs of the Russian machinery and equipment as also photographs of the mechanical operations as carried out in the field and the standing crops.

(e) Government has no objection either to the films being made about the Farm or its progress and technical aspects being discussed by these foreigners.

मरु स्थल तथा बंजर भूमि पर खेती करने हेतु इसरायल की तथा अन्य विदेशी राष्ट्र का प्रस्ताव

*6414. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व इसरायल सरकार अथवा किसी अन्य सरकार ने मरुस्थल तथा शुष्क भूमि को खेती के अन्तर्गत लाने के लिए विशेषज्ञों की राय तथा तकनीकी जानकारी देने की पेशकश की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस अत्यधिक गम्भीर समस्या को भारत के पक्ष मे निपटाने के लिए विशेषज्ञों का एक प्रतिनिधिमण्डल वहां भेजेगी अथवा वहां से बुलायेगी ; और

(ग) क्या उत्पादन को बढ़ाने तथा बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए ऐसी भूमि पर कुछ तजुर्बे किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिंदे) : (क) तथा (ख). सरकार को इसरायल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। वैसे फ्रांसीसी सरकार ने भारत सरकार के साथ आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले के अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में बारानी खेती करने की विधि द्वारा कृषि विकास करने का एक समझौता किया है। दूसरे कनाडा सरकार भारत कनाडा सहयोग से बारानी खेती में अनुसंधान करने की संभावना के सम्बन्ध में बातचीत करती रही है। तीसरे, बंजर भूमि के अनुसंधान तथा समस्याओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (विशेष निधि) के द्वारा प्रवर्द्धित एक परियोजना है जिसके अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा केन्द्रीय बंजर भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर का कुछ विदेशी विशेषज्ञों की सहायता का लाभ मिलता रहा था। भारत-फ्रांस तथा भारत-कनाडा परियोजनाओं के अन्तर्गत भारतीय विशेषज्ञों के प्रशिक्षण और विदेशी विशेषज्ञों के आने का प्रबन्ध हो सकेगा।

(ग) मरुस्थल तथा शुष्क भूमि में उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय बंजर भूमि अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में अनेक प्रयोग किये गए हैं। ये परीक्षण रेत के टीलों को स्थिर करने, नमी का सन्धारण करने, हवा से होने वाले भूक्षरण को कम करने तथा ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए उपयुक्त घास, धान्य और वृक्षों की खेती करने आदि के सम्बन्ध में किये गये हैं। चूंकि मरु-भूमि में लोगों का सबसे महत्वपूर्ण धन्धा पशु पालन ही है अतः इस दृष्टि से घास एवं चारे की उत्पादकता बढ़ाने और इस मरु-भूमि में पशुओं के उत्पादन में सुधार करने के लिए परीक्षण किये गये हैं। मरु-भूमि की वनस्पति के लिए घातक मूषकों का नियंत्रण करने सम्बन्धी उपायों का विकास किया गया है।

मरुभूमि के विकास की योजनाओं को तैयार करने और उनको कार्यान्वित करने, प्रशासनिक कमियों को दूर करने सम्बन्धी योजनाओं का पुनर्विलोकन करने के लिए मरुस्थल विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। बोर्ड ने राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के मरुस्थल में चारागाह विकास, भू-संरक्षण, वनरोपण, कृषि विकास आदि के लिए एक कार्यक्रम की सिफारिश की है। गुजरात और हरियाणा की 12.44 लाख रुपये की लागत की योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। राजस्थान सरकार की योजनाओं की जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त, देश के बंजर भूमि को ग्राम्य-वन-शक्ति रोजगार योजना के अन्तर्गत ले लिया जायेगा जिसमें 100 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 40 चुने हुए जिलों में स्थाई प्रकार की योजनाओं पर कार्य किया जायेगा।

आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को खाद्यान्न की राज-सहायता

6415. **श्री स० कुण्डू** : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को कितनी खाद्यान्न की राज-सहायता दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : राज्य सरकारों को ऐसी कोई खाद्य राज-सहायता नहीं दी जाती है । केन्द्रीय भण्डार से दिये जाने वाले खाद्यान्नों के निर्गम मूल्यों में जो कि सभी राज्यों पर लागू होते हैं, कुछ अनाजों के बारे में राज-सहायता का अंश सम्मिलित होता है ।

केरल में लगाये गये नलकूपों के लिये केन्द्रीय सहायता

6416. **श्री क० अनिरुद्धन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वार्षिक योजना में केरल में नलकूप लगाने के लिये उस राज्य को अतिरिक्त अनुदान देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री(श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) प्रचलित प्रणाली के अनुसार राज्यों को ऋण तथा अनुदान सहित समस्त केन्द्रीय सहायता समग्र वार्षिक योजना के लिए एक मुश्त रूप से निर्मुक्त की जाती है और इसका किसी विशिष्ट कार्यक्रम अथवा योजना से कोई सम्बन्ध नहीं होता । अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा नलकूप आदि लगाने की किसी विशिष्ट योजना के लिए अतिरिक्त अनुदान देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

Auditing of Accounts of Post Office at Delchauri for Converting it into a Sub Post Office

*6417. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the accouts of Delchauri Post Office in District Pauri-Garhwal of Uttar Pradesh were audited in order to convert it into a Sub Post Office :

(b) if so, whether Government would now again audit the accounts of the said Post Office in order to see whether its income is sufficient now for converting it into a Sub-Post Office;

(c) whether envelopes, inland letters ; Post cards, postage Stamps etc. are not available on most occasions in that Post Office as a result of which its income goes down ;

(d) if so, whether Government propose to supply the said articles in large number to the said post office ; and

(e) whether Government propose to convert it into a Sub Post Office to ensure better arrangements there ; and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting, and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes. The proposal for upgrading Delchauri extra departmental branch post office into a departmental Sub post office was examined in the year 1968-69. Since the office was anticipated to have work for less than 3 hours and run at an annual loss of Rs. 2504 76 against departmental standards of 5 hours of work and permissible limit of loss of Rs. 1000/- per annum, it could not be upgraded.

(b) Yes. The proposal for upgradation of Delchauri Post Office to an extra departmental Sub Post Office is being examined to see if upgradation is justified according to the departmental standards.

(c) It has been ascertained that no complaint regarding non-availability of envelopes, inland letters, post cards, postage stamps, etc, at Delchauri extra departmental branch post office has been received in the offices of Postmaster General, Lucknow and the Superintendent of Post Offices Pauri Division in the past.

(d) Does not arise in view of (c) above. However, the Superintendent of Post Offices has been directed to review the adequacy of the Stamp balance held by the office.

(e) Does not arise in view of (b) above.

गुजरात के बंसकांठा जिले में कमी की स्थिति

6418. **श्री नंजा गौडर :**
श्री रा० को० अमीन :
श्री सी० मुत्तु स्वामी :
श्री प्र० के० देव :
श्री कु० मा० कौशिक :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के बंसकांठा जिले में अभी भी कमी तथा भारी अकाल की स्थिति विद्यमान है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को राज्य सरकार से तुरन्त सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ग) इस बारे में भारत सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ; और

(घ) सरकार का विचार जो अन्य सहायता उपाय शुरू करने का है उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि गुजरात के बंसकांठा जिले में 1032 गांव कमी और अर्द्ध कमी की स्थिति से प्रभावित हुए हैं।

(ख) राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से बंसकांठा जिले के लिए कोई ऐसा अनुरोध नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) राज्य सरकार द्वारा कमी से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता उपाय गठित किये जाते हैं और सारे राज्य के लिए किये गये खर्च के अनुसार केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय दल की सिफारिशों की दृष्टि में जिसने केन्द्रीय वित्तीय सहायता की मात्रा का निर्धारण करने के लिए गुजरात का दौरा किया था 1969-70 के दौरान सूखा सहायता पर खर्च करने हेतु 18.10 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित की गई थी। इस सीमा के प्रति 1969-70 के दौरान दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता 15.50 करोड़ रुपये बनती है (इसमें पिछले वर्षों में किए गये खर्च की प्रतिपूर्ति के रूप में दिए गये तीन करोड़ रुपये शामिल है) तथापि राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सूखा सहायता पर खर्च उपर्युक्त अन्दाजे से बढ़ जएगा। तदनुसार आशा की जाती है कि स्थिति की समीक्षा करने और धन राशि की आवश्यकताओं का अन्दाजा लगाने के लिए केन्द्रीय दल बहुत शीघ्र राज्य का दौरा करेगा।

राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन रिपोर्ट (28 मार्च, 1970 की) के अनुसार 848 सहायता कार्यों पर 2,52,313 व्यक्ति लगे हुये थे। इसमें से बंसकांठा जिले में 158 सहायता कार्यों पर 58,122 व्यक्ति लगे हुए थे। इस जिले में 4809 व्यक्तियों को (राज्य में कुल 12,788 व्यक्तियों में से) मुफ्त सहायता मिल रही थी। राज्य सरकार ने टैंकरों द्वारा पानी सप्लाई करने, तकाबी ऋण देने और मवेशियों की सुरक्षा जिसमें उनका प्रवजन करने की व्यवस्था भी शामिल है, के लिए भी प्रबन्ध किये गये हैं। केयर की सहायता से प्रभावित क्षेत्रों में फीडिंग कार्यक्रम भी शुरू किये गये हैं। भारत सरकार ने स्वयं सेवी-संगठनों द्वारा चलाये जा रहे सहायता-कार्यक्रमों में प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से 370 मीटरी टन उपहार गेहूँ मुफ्त दी है।

टेलीफोन बिलों का भुगतान न करने के कारण गोआ में सरकारी टेलीफोन के कनेक्शन काटना

6419. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन विभाग ने टेलीफोन बिलों का भुगतान न किये जाने के कारण गोआ सरकार के लगभग 40 टेलीफोन कनेक्शन काट दिये गये ;

(ख) यदि हां तो गोआ सरकार की ओर से इन बिलों की कितनी राशि बकाया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ अन्य राज्यों नें भी टेलीफोन विभाग द्वारा उन राज्य को बार-बार चेतावनी दिये जाने पर भी टेलीफोन बिलों की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों से ये बकाया राशियां वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). 204 टेलीफोनों की लागत 51 हजार रुपये की राशि गोआ सरकार की ओर

बकाया थी । समय-समय पर कांटे गये टेलीफोनों की संख्या केवल 170 है। अभी 4,500 रुपये का भुगतान किया जाना है और 13 टेलीफोन बहाल किये जाने हैं।

(ग) जी हां।

(घ) वसूल करने के लिए कार्रवाई की जा रही है ; जैसे कि व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करना, पत्र-व्यवहार करना और टेलीफोन काट देना।

मध्य प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश शिवरों से शरणार्थियों के अभ्यावेदन

6420. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मध्य प्रदेश या आन्ध्र प्रदेश से बहुत से शरणार्थी अपने शिविर छोड़कर केन्द्रीय सरकार को अपनी शिकायतें बताने के लिए दिल्ली आ रहे हैं ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) जी नहीं। मध्य प्रदेशों के शिवरों को छोड़कर कोई भी शरणार्थी नहीं गया है। आन्ध्र प्रदेश में कोई शिविर नहीं है इसलिए शरणार्थियों का वहां से छोड़कर जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। तथापि, हाल ही में, आन्ध्र प्रदेश की ईसागांव पुनर्वास परियोजना पर बसाये गये नये प्रवासियों के बहुत से कृषि परिवार वह स्थान छोड़कर महाराष्ट्र में चान्दा तथा नागपुर को चले गये थे। इन परिवारों के कुछ प्रतिनिधि उनकी शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए दिल्ली आये थे। इन परिवारों में से अधिकतर परिवार ईसागांव परियोजना में वापस लौट चुके हैं।

(ख) इन परिवारों की मुख्य शिकायत यह थी कि, भूमियों के उपजाऊ न होने और उपयुक्त सिंचाई सुविधाओं के अभाव में, वे अपना जीवन-निर्वाह नहीं कर सकते थे और उन्होंने यह मांग की कि उन्हें किसी अन्य परियोजना पर, जहां कि अधिक अच्छी भूमियां तथा सिंचाई सुविधाएं प्राप्त हों, बसाया जाये।

(ग)चूंकि अच्छी प्रकार की फालतू भूमियाँ सुगमतया उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उनकी भूमियों को बदलने तथा अन्य क्षेत्रों में पुनर्यवस्थापन की मांग को माना जाना संभव नहीं था। तथापि, ईसागांव परियोजना की योजना की भूमियों को सुधारने तथा वहां सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

बिजली मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति के लिए उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारियों का आन्दोलन आरम्भ करने का निर्णय

6421. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने सरकार से मजूरी बोर्ड के पंचाट को

स्वीकार करने तथा उसे क्रियान्वित करने की मांग करने के लिए एक आन्दोलन आरम्भ करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो संभावित अशान्ति को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) ; (क) उत्तर प्रदेश समेत देश के अनेक भागों के श्रमिकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को शीघ्र स्वीकार करने का आग्रह किया गया है।

(ख) बोर्ड की रिपोर्ट की जांच पूरी करने और उनके सम्बन्ध में यथाशीघ्र निर्णय घोषित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

कानपुर में कपड़ा मिलों द्वारा भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि न दी जाना

6422. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में कुछ कपड़ा मिलों ने अपनी कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि नहीं दी है ;

(ख) इन मिलों की ओर कुल कितनी राशि बाकी है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग) : कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रशासन क्रमशः कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त केन्द्रीय न्यासी बोर्ड तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम से संबंधित है तथा भारत सरकार का इससे सीधा संबंध नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिकारियों द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार दो विवरण संलग्न हैं जिनमें कानपुर के उन कपड़ा मिलों के नाम जिन्होंने भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा की एक लाख अथवा उससे अधिक की देय राशि अदा नहीं की है, तथा अदा न की गई राशि व उसे प्राप्त करने की कार्यवाही का उल्लेख है [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 3209/70]

मध्य प्रदेश के लिए आकाशवाणी प्रसारण केन्द्र

6423. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में कितने नये प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का है जिससे और अधिक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रसारण हो सके ;

(ख) सरकार का विचार ऐसे कितने केन्द्र बनाने का है जिससे मध्य प्रदेश के बहुसंख्यक कृषकों के लिए प्रसारण हो सके ; और

(ग) इन केन्द्रों को मध्य प्रदेश के किन स्थानों में स्थापित किया जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) ; (क) से (ग) : चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में रिले करने वाला कोई नया केन्द्र खोलने का प्रस्ताव नहीं है । जो नये केन्द्र खोले जा रहे हैं, वे मूल रूप से कार्यक्रम प्रसारित करने वाले पूर्णरूपेण केन्द्र होगे । क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार रिले करने वाले (सहायक) वर्तमान केन्द्रों को मूल रूप से कार्यक्रम प्रसारित करने वाले पूर्णरूपेण केन्द्रों में बदला जा रहा है ।

सिंचाई जल की बर्बादी को रोकने के लिए राज्यों के सिंचाई विभागों द्वारा अधिक कृषि इंजीनियरों की नियुक्ति

†6424. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि देश में राज्यों में अधिकांश सिंचाई विभागों में सिविल इंजीनियर काम कर रहे हैं जिनको कृषकों की सिंचाई संबंधी समस्याओं की बहुत जानकारी नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जल की अनावश्यक निकासी के लिए आवश्यक जल मात्रा की जानकारी न होना, निर्धनता; त्रुटिपूर्ण समतलन, अवैज्ञानिक कदमों तथा खेतों की गलत लम्बाई के कारण जलमार्ग (चैनल) से जाने वाला लगभग 60 प्रतिशत जल बेकार हो जाता है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यों के सिंचाई विभागों में कार्य करने के लिए कृषि इंजीनियरों की संख्या में वृद्धि कर तथा जल की बर्बादी को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, हां । लेकिन विश्वविद्यालय के इन्जीनियरिंग पाठ्क्रम में सिंचाई उनके विषयों में से एक है । जब वे सिंचाई विभागों में प्रवेश पाते हैं तो उन्हें विभाग की ओर से व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें वे खेतों में सिंचाई के सम्बन्ध में आने वाली समस्याओं से परिचित हो सकें ।

(ख) तथा (ग) यह सच है कि पानी के उपयोग की कुशलता में कमी है और इसे जल के प्रबन्ध में उचित तकनीक के प्रयोग द्वारा सुधारा जा सकता है । सरकार के पास इस समय इस बात के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि जलमार्ग (चैनल) छोड़ने के बाद वास्तव में कितना पानी बेकार हो जाता है । अतः केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के अन्तर्गत तीन मार्गदर्शी परियोजनायें—मैसूर पंजाब,तथा उत्तर प्रदेश में से प्रत्येक में एक-एक तैयार की गई हैं । इसी प्रकार चौथी पंचवर्षीय योजना में महाराष्ट्र, गुजरात तथा उड़ीसा राज्य में एक-एक जल सिंचाई प्रबन्ध सम्बन्धी मार्ग-दर्शी परियोजना तैयार करने का निर्णय किया गया है और इस वर्ष (1970-71) उन्हें प्रारम्भ करने का विचार है । केन्द्र अन्तर्गत इन क्षेत्रीय जल प्रबन्ध परियोजनाओं के अतिरिक्त, अन्य राज्यों ने भी नई सिंचाई परियोजनाओं के आयकर के विकास के लिए कार्य-क्रम बनाया है ।

संघ की धमकियों का नियोजकों पर दबाव तथा मजदूर संघों का दुरुपयोग

6425. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री वीरेंद्र कुमार शाह :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मार्च, 1970 को कोचीन में भी नवल एच० टाटा द्वारा दिये गये भाषणों की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि संघों की धमकियों का नियोजकों पर अनवरत दबाव, राजनीतिक हड़तालों तथा अन्तर संघ प्रतिद्वन्द्विता द्वारा हुआ था जबकि दोषी पूंजीपतियों को सजा देने तथा मजदूर संघों के दुरुपयोग के लिए दंड देने के लिए कई कानून थे ;

(ख) यदि हां, तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) राजनैतिक उद्देश्य तथा अंतर-संघ प्रतिद्वन्द्विता के लिए मजदूर-संघ अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा किये जाने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) सरकार ने कुछ समाचार-पत्रों की रिपोर्ट देखी हैं ।

(ख) और (ग). शिकायतों की जांच की जाती है और जहां आवश्यक हो वहां समुचित सांविधिक और स्वैच्छिक प्रक्रियाओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है ।

हरियाणा के लिए एक पृथक पोस्ट मास्टर जनरल सर्कल

6426. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री शारदा नंद :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरियाणा के लिए एक पृथक पोस्ट मास्टर जनरल सर्कल बनाने तथा उसमें एक अलग पोस्ट मास्टर जनरल नियुक्त करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). यह मामला विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ।

टेलिविजन केंद्र, बम्बई के कार्य में प्रगति

6427. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में पूना को प्रसारण की सुविधाओं वाले टेलीविजन केन्द्र को स्थापित करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) यह कार्य करना कब तक आरम्भ कर देगा ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) बम्बई में 300 मीटर ऊंचे मास्ट की नींव का कार्य शुरू हो गया है। उम्मीद है कि बम्बई में भवन निर्माण का कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। पूना रिले ट्रांसमिटर सम्बन्धी कार्य भी शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।

(ख) उम्मीद है कि टेलीविजन केन्द्र 1971-72 के अन्त तक चालू हो जाएगा।

सहकारी समितियों द्वारा ऋण-नीतियों का पुनर्निर्धारण

6428. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारिता सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति ने सहकारी समितियों की ऋण-नीतियों को पुनः निर्धारित करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है ताकि देश में छोटे कृषकों की आवश्यकतायें पूरी की जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री डी० एरिंग) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3210/70।]

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की मांगें

6429. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ब्यौरेवार निर्णय क्या हैं, और उनकी उचित मांगों के बारे में सरकार कब सहमत होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की एसोसिएशनों और यूनियनों तथा व्यक्तिगत कर्मचारियों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। इन अभ्यावेदनों पर प्रत्येक के गुण-दोष के आधार पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा विचार किया जा रहा है। प्रश्न में उल्लिखित विशिष्ट मांगो के बारे में ब्यौरों के अभाव में प्रश्न के भाग (ख) में मांगी गई सूचना देना सम्भव नहीं है।

आस्ट्रेलिया द्वारा गेहूँ की सप्लाई करने का करार

6430. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया के सीधी सहायता के कार्यक्रम के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया द्वारा भारत को फालतू गेहूँ की सप्लाई करने के लिए किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय अनाज करार, 1967 की खाद्य सहायता कन्वेंशन के अधीन 1969-70 के लिए आस्ट्रेलिया के अंशदान के रूप में आस्ट्रेलिया से भारत को 70,000 मीटरी टन गेहूँ की सप्लाई के लिए आस्ट्रेलिया की सरकार के साथ एक करार पर 17-11-1969 को हस्ताक्षर हुए थे। यह गेहूं आस्ट्रेलिया की बंदरगाहों पर जहाज तक निष्प्रभार सुपुर्दगी के लिए था।

करार की प्रति पहले ही संसद के पुस्तकालय में रख दी गई है। गेहूँ की सारी मात्रा प्राप्त हो चुकी है।

Extension of Telephone Service in Rural Areas

*6431. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether any further progress has also been made in the extension of telephone service in rural areas ;

(b) the number of villages to which the said service is proposed to be extended during the Fourth Five Year Plan ;

(c) whether any progress has also been made in the scheme for providing telephones in the Block Development offices as per the decision already announced by Government in this regard ; and

(d) if not, the time by which this work is likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The telephone facility is normally provided if the scheme is remunerative. In case of loss, some interested party has to indemnify the loss. But in order to extend telephone service to undeveloped areas which include rural areas, a policy has been evolved according to which, this facility can be

provided even on loss basis at certain categories of stations based on their administrative importance, population and remoteness from the general Telephone network. Limited number of Pilgrim centres, tourist centres, Agriculture and Irrigation Projects sites and townships are also considered for provision of Telephone facility on loss basis.

(b) It is proposed to open about 2000 Public Call Offices in rural areas during the Fourth Five Year Plan period

(c) Stations having Block Development Offices are entitled to provision of Telegraph facility on loss basis but Telephone facility at such places can be provided only if the scheme works out to be remunerative. In case of loss, the facility can be provided if some interested party indemnifies the loss to the department.

(d) Question does not arise.

"विश्वमित्र" पटना के कर्मचारियों को कानूनी सुविधाएं

6432. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना से निकलने वाला हिंदी दैनिक "विश्वमित्र" अपने कर्मचारियों को जिनमें समाचार सम्पादक तथा अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं, कानूनी सुविधायें नहीं देता है ; और

(ख) क्या 13 मार्च, 1970 को प्रधान मंत्री तथा श्रम मंत्री को इसके विरुद्ध कोई अभ्यावेदन दिया गया है ; और यदि हां, तो उसपर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) समाचार पत्रों के गैर-सरकारी क्षेत्र में होने के कारण "विश्वमित्र" के रोजमर्रा के काम में हस्तक्षेप करना न ही आवश्यक है और न ही उचित है।

(ख) इस बारे में कोई अभ्यावेदन न तो श्रम तथा रोजगार मंत्रालय में प्राप्त हुआ और न ही प्रधान मंत्री सचिवालय में।

राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, बिहार का प्रधान कार्यालय स्थापित करना

6433. **श्री भोगेंद्र झा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यालय का पूसा अथवा सावौर स्थापित करने के बारे में मत-भेद है ; और

(ग) क्या पंजाब तथा राजस्थान विश्वविद्यालय (प्रत्येक) के पास एक विश्वविद्यालय के लिए दो प्रधान कार्यालय हैं जिनके उप-कुलपति तथा कुछ सुविधायें एक स्थान पर हैं तथा संकायाध्यक्ष (डीन) और अन्य सुविधायें दूसरे स्थान पर ; यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा क्या केन्द्रीय सरकार बिहार सरकार को पूसा तथा सावौर के लिए उसी पद्धति को अपनाने के बारे में विचार करने का परामर्श दे रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी हां।

(ख) बिहार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की हुई एक विशेषज्ञ समिति ने प्रस्तावित कृषि विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यालय के लिए स्थान का चुनाव करने के प्रश्न पर विचार किया है और उसने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। फिर भी इस कृषि विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यालय के लिए स्थान चुनने के विषय में निर्णय करना राज्य सरकार का कार्य है। इस विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यालय के स्थान के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय होने तक राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यालय अस्थायी रूप से 1 मई, 1970 से पटना में अपना कार्य शुरू कर देगा।

(ग) संभवत: यह प्रश्न पंजाब तथा राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों से सम्बंधित है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यालय लुधियाना में है उसका एक कैम्प कार्यालय चण्डीगढ़ में और दो परिसर लुधियाना और पालमपुर में हैं। राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यालय उदयपुर में है और उसके तीन परिसर उदयपुर, जोबनेर और बीकानेर में हैं। केन्द्रीय सरकार या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रस्तावित कृषि विश्वविद्यालय के लिए प्रधान कार्यालय तथा परिसरों के प्रतिमान के सम्बंध में बिहार सरकार को कोई सलाह नही दी है। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

दण्डकारण्य परियोजना में कथित पक्षपात

6435. **श्री भारत सिंह चौहान :**
श्री ओंकार लाल बेरवा:
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना के कितने कर्मचारियों का कार्मिक संघ गतिविधियों में भाग लेने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण किया गया ;

(ख) क्या प्रशासन के विशेष कृपा-पात्र व्यक्तियों के लिए विशिष्ट पद बनाये गये थे और उन व्यक्तियों द्वारा उन पदों को अस्वीकार किये जाने पर उन पदों को समाप्त कर दिया गया था, यदि हां, तो वे पद कितने थे ; और

(ग) गत तीन वर्षों में 1970 तक एसोसियेशन/संघ-प्रतिनिधियों के साथ मुख्य प्रशासक की प्रति वर्ष कितनी बैठकें हुईं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) परियोजना में मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ नहीं है इसलिए प्रश्न उत्पन्न नही होता।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कर्मचारी संस्था, जिसे कि संयुक्त सलाहकार मशीनरी के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त संस्था के रूप में माना जा रहा है, केवल 1969 में बनाई गई थी। संस्था के नियमित रूप से गठन होने के उपरांत, मुख्य प्रशासक ने 1969 में संस्था की कार्यकारी समिति के साथ एक बैठक की थी। इस औपचारिक बैठक के अतिरिक्त, मुख्य प्रशासक परियोजना के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हुए, बहुत अवसरों पर संस्था के क्षेत्रीय एककों से भी मिले और उन्होंने ऐसे प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की गई कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की। इस प्रकार की अनुपचारिक बैठकें 1970 में भी की गई हैं।

चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में "डैम्ड" को सर्वोत्तम पुरस्कार

6436. **श्री रवि राय :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की जूरी ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार "डैम्ड" फिल्म को दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जूरी में दो भारतीय न्यायाधीश भी शामिल थे तथा उनका नाम क्या है ; और

(ग) जूरी के एक सदस्य श्री आर० के० नारायण का मत क्या था तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हाँ। जूरी में भारत के जो दो सदस्य थे उनके नाम श्री राजकपूर तथा श्री आर० के० नारायण थे।

(ग) जैसा कि सदन की मेज पर रखी गई अंतर्राष्ट्रीय जूरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है, पुरस्कार सर्वसम्मति से दिये गये थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3211/70।**]

Demand for a Wage Board for Municipal Employees

6437. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Conference of the employees working in all the Municipalities in the country was held in Hyderabad in the month of February, 1970 ;

(b) if so, whether it is also a fact that a demand to appoint a Wage Board for the employees of the Municipal Corporations and the Municipal Committees in the country was made in the said Conference ; and

(c) if so, the reaction of Governme t thereto ?

The Minister of Labour Employment and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b). Some employees' unions representing different Municipal Corporations are reported to have met in Hyderabad in March, 19 0 and formed an All India Federation for the purpose *inter alia* of demanding a Wage Board.

(c) It is not proposed to appoint a Wage Board for Municipal employees.

Government Advertisements to M. P. Weeklies and Dailies

6438. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minis er of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state the names of those weeklies and dailies of Madhya Pradesh which are given Government advertisement ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : The Directorate of Advertising and Visual Publicity do not maintain any standing list of newspapers to which advertisements are released. Media particulars of various newspapers and periodicals asking for Central Government advertisements are recorded in the Directorate and, within the funds available, each paper is considered individually for release of advertisements as and when necessary on the basis of its effective circulation, readership, language, coverags required, etc.

Seizure of Unauthorised Wireless Sets in Madhya Pradesh

*6439. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of unauthorised wireless sets have been seized in Madhya Pradesh during the last three years ; and

(b) if so, the number thereof and the names of offenders and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No, Sir. The number of unauthorised wireless sets seized during the last three years is only 7.

1967	...	...	5
1968	...	...	1
1969	...	...	1

(b) A statement giving particulars of the offenders and action taken against them is placed on the table of the Lok Sabha.

STATEMENT

1967	(1) Shri Indrapal Singh—Village Hatali Majholi.	The accused was prosecuted in the court. But since the offender obtained the requisite licences, on payment of fee and surcharge, the case was withdrawn and orders for release of the set issued.
	(2) Mohommedi Restaurant—Khargone.	The set was released by the court when the offender obtained requisite licences.
	(3) Govindram Sindhi—Shanker Hindu Hotel Stn. Road, Jabalpur.	The court permitted release of the set when the party obtained requisite licences on payment of fee and surcharge.
	(4) Shri Gajadin S/O—Prem Lal of Majholi (Sehora).	The offender was prosecuted. The set was released when the offender cleared the dues.
	(5) Shri Bhagwandas—Chandela Hotelwala, Bamni Banjar (Mandla).	The court permitted the release of the set when the party obtained the requisite licences.
1968	(6) Shri Chotelal Choubey—Katni.	The offender expired before prosecution. Disposal of set is yet to be known.
1969	(7) Shri Deepchand S/O Dojamal Sindhi of Rewa.	The offender was prosecuted in the court of law which punished him with a fine of Rs. 100/. Disposal of set is yet to be known.

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के वेतन में महंगाई भत्ता मिलाना

6440. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को हाल ही में सूचित कर दिया गया था कि भारत के विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों से जैसे ही कुछ आंकड़े प्राप्त होंगे, आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों का मंहगाई भत्ता मूल वेतन में मिला दिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विलम्ब का क्या कारण है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ताकि मामला जल्दी से जल्दी तय हो जाए ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सरकार ने निर्णय किया है कि सरकारी कर्मचारियों पर लागू नियम के अनुसार स्टाफ आर्टिस्टों के मंहगाई भत्ते के एक अंश को मंहगाई फीस समझा जाए ।

विदेशी भाषाओं में आकाशवाणी से समाचार प्रसारण

6442. **श्री विश्व नारायण शास्त्री** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी से कितनी विदेशी भाषाओं में समाचार प्रसारित होते हैं ; और

(ख) इन भाषाओं का चयन किस आधार पर किया गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) अंग्रेजी के समेत पन्द्रह ।

(ख) आकाशवाणी विशिष्ट लक्ष्य क्षेत्रों के लिए विदेशी भाषाओं में सेवा प्रसारित करता है । ट्रांसमिटरों तथा अन्य साधनों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य क्षेत्रों का चयन, उनके भारत के साथ सम्बन्धों के महत्व के आधार पर किया गया है ।

सीमावर्ती राज्यों में आकाशवाणी केन्द्र

6443. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन सीमावर्ती राज्यों के नाम क्या हैं जहां प्रसारण केन्द्र स्थापित किए गए हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

सिफारिशों की क्रियान्विति को सुनिश्चित करने के लिए संविहित मजूरी बोर्ड

6444. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मजूरी बोर्ड की काफी सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है और यदि हां, तो उसके द्वारा की गई कौन-कौन सी सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है ; और

(ख) संविहित मजूरी बोर्ड के भविष्य में गठन और पहले की गई सिफारिशों की क्रियान्विति को सुनिश्चित करने के लिये इस बीच क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). हाल ही में मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को लागू करने में कठिनाइयां अनुभव हुई हैं। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने मजूरी बोर्डों के कार्यों का जिसमें सिफारिशों को लागू करना भी शामिल है, व्यापक पुनरीक्षण किया है। आयोग ने इनकी प्रणाली में कुछ परिवर्तन करने के लिए सिफारिश की हैं, जिन पर सरकार विचार कर रही है।

अफ्रीकी देशों से स्वदेश लौटने वाले भारतीय और उनका फिर से बसाया जाना

6445. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीकी देशों से कितने भारतीय अब तक स्वदेश लौटे हैं।

(ख) उनको फिर से बसाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और उस पर कितना खर्च हुआ ;

(ग) उनको फिर से बसाने के मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) उनके कारोबार के समापन इत्यादि के पश्चात् उनके द्वारा वहां छोड़ी गई चल और अचल सम्पत्ति में से कितनी सम्पत्ति लौटाई गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) मोजाम्बिक से लगभग 2300 व्यक्ति (लगभग 600 परिवार) भारत आये हैं। अन्य अफ्रीकी देशों से कितने भारतीय भारत आये है इसके सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि केन्या से आने वाले ब्रिटिश पासपोर्ट वालों को छोड़कर, भारत में उनके आने पर प्रतिबन्ध नहीं है।

(ख) और (ग). एक विवरण, जिसमें जानकारी दी गई है, संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3212/70]

(घ) अब तक कोई नहीं।

पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को बसाने के कार्य में प्रगति

6446. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को विभिन्न राज्यों में बसाने के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में उनमें से कितने शरणार्थी अभी भी बसाये जाने बाकी है ; और

(ग) क्या पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का आना अब भी जारी है और यदि हां, तो वहां से प्रतिमास कितने शरणार्थी आ रहे हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—3213/70]

(ग) जी हां ।

प्रवाह में महीने वार घटा-बढ़ी होती रहती है । प्रथम जनवरी 1970 से हुये प्रवाह के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल, आसाम तथा त्रिपुरा की सरकारों द्वारा सूचित किये गये आंकड़े निम्न में दिये गये हैं :—

पश्चिम बंगाल में	—	15,818 (3-4-1970 तक)
आसाम में	—	2,220 (15-3-1970 तक)
त्रिपुरा में	—	801 (28-2-1970 तक)

Memorandum by Association of Voluntary Agencies for Rural Development and Society for Developing Gramdan

6447. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Association of Voluntary Agencies for Rural Development and the Society for developing Gramdan recently submitted a memorandum to Government in connection with rural development measures ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the Government's reaction in regard thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri D Ering) : (a) and (b). Yes, Sir. The Association of Voluntary Agencies for Rural Development and Society for Developing Gramdan have suggested that the objective of the rural works programme should be to ensure full utilisation of local resources for rural development in all areas, while in the short run the programme may provide employment mainly to landless labour and small farmers in areas suffering from chronic underemployment and unemployment. An outlay of Rs. 400 crores for the rural works programme has been suggested for the Fourth Five-Year Plan. They have further recommended :

(1) Rural industries projects may be brought within the encompass of the Rural Works Programme ;

(2) Emphasis of the Programme should be on continuously improving the skills of rural workers by offering them a wide range of works and through deliberate creation of skills specially for rural youth. The focus should be, as far as possible, intermediate technology oriented. An all India Institute of Intermediate Technology should be set up.

(3) The approach should be to provide by the end of Fourth Plan period employment to all workers seeking employment in 20 selected districts leading to self-sustained full or near-full employment in the subsequent years Preference should be given to areas where the climate is congenial for community participation in rural construction and where efforts to initiate such action are in progress

(4) There should be no insistence on shramdan.

(5) The unit of manpower and area development planning in each of the selected districts should continue to be the development block.

(6) Increase in productivity and the larger social perspective of improvements in the quality and skills of the people should be the basis of selection of specific projects or schemes.

There are other suggestions regarding selection of areas and schemes, adaptation of criteria, planning, execution of the programme through a public corporation, financing the programme, arrangements for maintenance of assets created under the programme, wages to be paid, proceduee of working, etc.

(c) Programmes for relieving unemployment and under-employment in the rural areas have all long been a major consideration in planning. Special programmes are now further being envisaged during the Fourth Plan which would not only provide employment opportunities to agricultural labour, but would also benefit potentially viable small farmers and sub-marginal farmers. A programme of dry-land farming is also to be taken up. In the non-Plan sector, a provision of Rs. 100 crores will be available for rural works in drought-prone areas A coordination commmittee on rural works and rural development has also been set up in the Planning Commission for the purpose of coordinating the various employment oriented programmes in the rural sector.

साउथ एवेन्यू में टेलीविजन लगाना

6448. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साउथ एवेन्यू नई दिल्ली में टेलीविजन कब से लगाया गया है और उसे कब से दिखाया जा रहा है ;

(ख) साउथ एवेन्यू में टेलीविजन लगाने का निर्णय किसने किया और इसके क्या कारण थे ;

(ग) साउथ एवेन्यू में टेलीविजन को चलाने पर प्रतिमास मदवार कितना खर्च होता है ; और

(घ) साउथ एवेन्यू में टेलीविजन को चलाने पर उसके रख-रखाव पर होने वाला खर्च कौन प्राधिकारी करता है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल): (क) मई, 1962।

(ख) टेलीक्लब प्रबन्ध समिति। संसद संदस्यों तथा उनके परिवारों को विशेष सुविधा देने के लिए नार्थ एवेन्यू की तरह साउथ एवेन्यू में भी टेलीविजन सेट की व्यवस्था की गई थी।

(ग) टेलीविजन चलाने के खर्चे की जिम्मेदारी टेलीक्लब के प्रबन्धकों की है।

(घ) सचिव, संसद सदस्य क्लब, साउथ एवेन्यू।

पश्चिम बंगाल में रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज बेरोजगार महिलायें

6449. **श्री समर गुह : क्या श्रम रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में रोजगार कार्यालय में कितनी बेरोजगार महिलाओं ने अपने नाम रजिस्टर करवाये ;

(ख) संयुक्त मोर्चा सरकार के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में कितनी महिलाओं को रोजगार कार्यालय द्वारा नौकरियां प्राप्त हुई ; और

(ग) पश्चिम बंगाल रोजगार कार्यालय के रजिस्टरों में अर्हता प्राप्त और बिना अर्हता वाली बेरोजगार महिलाओं की संख्या के अलग अलग आँकड़े क्या हैं ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) और (ख).

अवधि*	अवधि में जितने लोगों के नाम दर्ज किए गए	अवधि में जितने लोगों को नियुक्ति अवसर दिलाए गए
1-3-1967 — 29-2-1968	23,646	851
1-2-1969 — 28-2-1970	28,618	1,282

*नियोजन कार्यालयों से प्रत्येक महीने के आंकड़े एकत्रित किये जा रहे है अतः यह सामग्री पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन की ठीक ठीक अवधि से सम्बन्धित नहीं है। लेकिन लगभग उसी कालावधि की जानकारी देती है।

नोट : नियोजन कार्यालयों में पंजीकृत सभी उम्मीदवार बेरोजगार नहीं होते। इस बारे में हाल ही में 1968 में किए गये सर्वेक्षण से पता चला है कि चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों का 42.3 प्रतिशत पहले से ही नियुक्त था और शेष में से 7 प्रतिशत छात्र थे।

(ग) शैक्षिक स्तर	चालू रजिस्टर में दर्ज उम्मीदवारों की 31-12-196 की संख्या
1. मैट्रिक से कम (अनपढ़ी समेत)	16,111
2. मैट्रिकुलेट	6,638
3. हायर सैकण्डरी उत्तीर्ण (इटरमीडिएट व अडर ग्रेजुएट समेत)	12,072
4. ग्रेजुएट और अधिक	5,565
योग	40,386

बुरे औद्योगिक सम्बन्धों के कारण संयुक्त मोर्चा सरकार की शासन अवधि में पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी

6450. **श्री समर गुह** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन के दौरान विभिन्न औद्योगिक और व्यावसायिक कम्पनियों के बन्द होने, उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, उनमें हड़ताल होने उनसे जबरी छुट्टी त ा तालाबन्दी के कारण कितने व्यक्तियों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा ;

(ख) उन में से कितने व्यक्तियों की नौकरियाँ स्थायी तौर पर समाप्त कर दी गई हैं ; और

(ग) पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन में कितने युवकों को केन्द्रीय सरकार या सरकारी उपक्रमों में नौकरियां दी गई ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) 25 फ रवरी 1969 से 19 मार्च 1970 के दौरान पश्चिम बंगाल में विभिन्न कम्पनियों के बन्द होने आदि से प्रभावित कर्मचारियों की संख्या का राज्य सरकार द्वारा दिया गया विवरण इस प्रकार है :—

(1) अस्थाई रूप से कम्पनियों के बन्द होने से प्रभावित कर्मचारी	35,532
(2) कम्पनियों के स्थान्तरण से प्रभावित कर्मचारी	आंकड़े उपलब्ध नही है
(3) हड़ताल होने से प्रभावित कर्मचारी	3,69,683
(4) मिल बन्दी से प्रभावित कर्मचारी	35,183
(5) तालाबन्दी से प्रभावित कर्मचारी	74,693

(ख) 2928 कर्मचारियों को स्थाई रूप से अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा ।

(ग) फरवरी 1969 से फरवरी 1970 के दौरान पश्चिमी बंगाल के सरकारी/अर्द्ध-सरकारी उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों/संस्थानों में कुल मिलाकर 10,859 लोगों को नौकरियां मिली।

पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन के अन्तर्गत बेरोजगारी की स्थिति

6451. **श्री समर गुह : क्या श्रम रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में 13 महीने के संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन के दौरान रोजगार के अवसर बढे हैं अथवा घटे हैं,

(ख) संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन के दौरान कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के अन्य भागों में रोजगार कार्यालय में कितने माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, स्नातक तथा स्नातकोत्तर व्यक्तियों और बेरोजगार इंजीनियरों ने अपने नाम रजिस्टर कराये, और

(ग) उक्त अवधि में रोजगार कार्यालय द्वारा कितने व्यक्तियों को नौकरियां दी गई?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री(श्री डी० संजीवैया) : (क) पश्चिमबंगाल में 1-3-1969 से 28-2-1970 के दौरान नियोजन कार्यालयों को अधिसूचित रिक्त स्थानों की मासिक औसत संख्या 3,623 थी जबकि पिछले वर्ष 28 फरवरी, 1969 को समाप्त होने वाली बारह महीनों की अवधि में यह संख्या 4,536 थी।

(ख) शिक्षित स्तर	1969**के दौरान जितने लोगों के नाम दर्ज किए गए		
	कलकत्ता में नियोजन कार्यालय*	पश्चिम बंगाल में अन्य नियोजन कार्यालय	योग
1. मैट्रिकुलेट	12,006	29,017	41,023
2. हायर सैकण्डरी उत्तीर्ण (इन्टरमीडिएट और अन्डर ग्रेजुएट समेत)	18,728	41,959	60,687

नोट : **1. शिक्षित (मैट्रिकुलेट और अधिक) नौकरी चाहने वालों से सम्बन्धित आंकड़े, प्रत्येक वर्ष दो बार, जून और दिसम्बर को समाप्त होने वाली छमाहियों में, एकत्रित किये जाते हैं। अतः पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार के 13 महीनों की शासनावधि की ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

*2. कलकत्ता, कलकत्ता (पूर्व) कलकत्ता (उत्तरी) कलकत्ता (दक्षिणी), किदारपुर में स्थापित नियोजन कार्यालय में स्थापित नियोजन कार्यालय और वृत्तिक व कार्यकारी नियोजन कार्यालय, कलकत्ता।

1	2	3	4
3. ग्रेजुएट (योग)	7,507	15,050	22,557
योग में सम्मिलित इंजीनियरिंग ग्रेजुएट	1,240		
योग में सम्मिलित अन्य	6,267		
4. पोस्ट ग्रेजुएट (योग)	1,603	8	1,611
योग में सम्मिलित इन्जीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएट	49		
योग में सम्मिलित अन्य	1,554		
कुल योग	39,844	86,034	125,878

(ग) पश्चिम बंगाल में एक मार्च, 1969 से 28 फरवरी, 1970 की अवधि में नियुक्ति सहायता पाने वालों की संख्या 22,028 थी।

Provision of Civic Amenities in Kalkaji Extension, Delhi

6452. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of Labour Employment and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 14 years ago, the plots in Kalkaji Extension, Delhi were sold out through the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation and the plan of the area was also approved and development charges were also recovered alongwith the prices of the plots but the Ministry has not so far taken over the said area under their control ;

(b) whether it is also a fact that the civic amenities have also not been made available in the said area due to the fact stated above ;

(c) if so, the time by which the civic amenities are likely to be provided in the said area ; and

(d) in case no civic amenities are proposed to be provided there, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) About half of the plots in this area were allotted at the reserve price and half of them were sold by auction. The reserve price included the estimated cost of acquisition of land and development according to the plans then approved The development works were executed by the Central Public Works Department. There is no question of the control of this area being taken over by the Department of Rehabilitation ; the civic services are to be maintained by the municipal body, now Delhi Municipal Corporation, which has, however, not taken over some of the services.

(c) The capital works of civic amenities have been provided but the residents of the area have complained that the Delhi Municipal Corporation is not maintaining them.

(c) and (d). The Delhi Municipal Corporation have pointed out that, before they take over the services for maintenance, certain deficiencies pointed out by them should be rectified. This matter is being examined in consultation with the Central Public Works Department and the Delhi Municipal Corporation.

Hindi Workshop in Posts and Telegraph Department for Progressive Use of Hindi

*6453. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recently a Hindi workshop has been set up in Delhi to ensure progressive use of Hindi in the Posts and Telegraphs Department ;

(b) if so, whether such workshops could not be set in the Capitals of other States also ;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) if so, the time by which Government propose to implement such scheme in other States and the expenditure likely to be incurred thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes, a workshop on experimental basis has been started in the P and T Directorate, at the instance of the Ministry of Home Affairs to familiarise Hindi knowing officials with the use of noting and drafting in Hindi.

(b) to (d). The workshops are being organised on experimental basis in a few Ministries and the Departments of the Government of India at Delhi at the instance of the Ministry of Home Affairs. The question of extending the scheme to other Ministries/ Departments will be considered by the Ministry of Home Affairs after gaining experience of the experiment being conducted in these Ministries and Departments.

Ban on Strike in Certain Industries in Delhi

6454. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Strike has been banned in Delhi for six months in thirteen industries ;

(b) if so, whether Government have also provided some machinery for solution of the disputes between workers and employers during the said period and ensured that the said machinery is acceptable to both the parties ;

(c) if not, whether the said ban is in consonance with the present policy of the Government ;

(d) if not, the action proposed to be taken by Central Government in this regard ; and

(e) if no action is proposed to be taken, the reasons therefor ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) The Delhi Administration have, as usual, issued a notification, on 28th February, 1970 declaring thirteen specified industries, as public utility services, for a further period of six months, under section 2(n) of the Industrial Disputes Act, 1947.

(b) to (e). The provisions of the Industrial Disputes Act would continue to apply in these industries for settlement of industrial disputes.

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों का मिश्रित राष्ट्रीय संघ

6455. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी संघों में अपने हितों की रक्षा के उद्देश्य से सरकारी बैंकिंग उद्योग के कर्मचारियों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय संघ बनाने का निर्णय किया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने उक्त नये संघ को मान्यता प्रदान की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). 31 मार्च, 1970 की एक सूचना के अनुसार, बैंक कर्मचारियों की कुछ यूनियनों के एक सम्मेलन ने राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी यूनियन बनाने का निश्चय किया। स्वैच्छिक अनुशासन संहिता के अन्तर्गत मान्यता का प्रश्न तब उठेगा जब संबंधित यूनियन और प्रबन्धक संहिता को स्वीकार कर लेंगे और यूनियन सम्बन्धित शर्तों को पूरी कर लेंगी।

औद्योगिक संगठनों द्वारा व्यापार प्रशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत प्रशिक्षण

6456. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापार प्रशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक संगठनों को, इस बारे में बनाये गये सूत्रों के अनुसार, प्रतिवर्ष कुछ शिल्पियों को प्रशिक्षण देना अनिवार्य है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के आरम्भ होने के बाद अब तक कितने शिल्पियों को प्रशिक्षण दिया गया ;

(ग) प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कितने शिल्पियों को नौकरियां मिली और कितने शिल्पी अभी भी बेरोजगार हैं ; और

(घ) उनको रोजगार दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां।

(ख) 1963 से अब तक 21,989 शिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है।

(ग) नियोजन कार्यालयों की सहायता से नियुक्ति अवसर पाने वाले शिक्षुओं की संख्या से सम्बन्धित आंकड़े केवल पहली फरवरी 1967 से एकत्रित होते रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार फरवरी, 1967 से 1950 शिक्षुओं को नियुक्ति सहायता दिलाई गई। नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टर में 31-1-70 को 7277 शिक्षुओं के नाम दर्ज थे।

(घ) शिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत प्रशिक्षित शिक्षुओं को व्यावसायिक स्थिति का पता लगाने के लिए मंत्रालय द्वारा हाल ही में किये सर्वेक्षण के अनुसार 1968 में उत्तीर्ण शिक्षुओं का 75 प्रतिशत काम पर लगा था और 25 प्रतिशत ने अपने आपको बेरोजगार बताया था।

यद्यपि योजना के अन्तर्गत सेवा-नियोजन की गारंटी नहीं दी जाती फिर भी इससे व्यक्ति की नियुक्ति अवसर पाने की क्षमता बढ़ती है। चौथी पंचवर्षीय योजना लागू होने और सामान्य रूप से उद्योग व कृषि क्षेत्र में आर्थिक सुधार के कारण नियोजन स्थिति में सुधार होने की सम्भावना है।

शाप फ्लोर और खानों में दुर्घटनाओं की वृद्धि और कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना

6457. **श्री र० बरुआ** : क्या श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शाप फ्लोर और खानों में दुर्घटनाओं की वृद्धि के बारे में पता है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इन घातक दुर्घटनाओं में और चोटों के कारण कितने श्रम-घंटे बरबाद हुए ; और

(ग) क्या श्रमिकों और कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिये सरकार के पास कोई कार्यक्रम है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान खानों में दुर्घटनाओं की कुल संख्या में कोई वृद्धि नही हुई हैं। जहां तक कारखानों का सम्बन्ध है, 1966 की तुलना में 1967 में दुर्घटनाओं की संख्या में कमी हुई थी, परन्तु 1968 में वृद्धि हुई। वर्ष 1969 के बारे में आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) वर्ष 1967 के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 188,331 अघातक दुर्घटनाएं हुई (श्रमिक उसी वर्ष वापिस ड्यूटी पर आने में समर्थ हो गए), जिनके परिणामस्वरूप 1,994,336 श्रम दिनों की हानि हुई। घातक दुर्घटनाओं के कारण हानि हुए श्रम दिनों की संख्या के सम्बन्ध में आंकड़े संकलित नहीं किए जाते। खानों के सम्बन्ध में आंकडे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) खानों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना पैदा करके और प्रचार अभियान द्वारा खान के काम से सम्बन्धित सभी श्रमकों में सुरक्षा की भावना जाग्रत करके खानों में सुरक्षा के स्तरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से खनन क्षेत्रों में सुरक्षा सप्ताहों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1966 से अनिवार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण का चालू किया जाना इस दिशा में एक अन्य कदम है।

जहां तक कारखानों का प्रश्न है, कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय के अन्तर्गत स्थापित श्रम विज्ञान केन्द्र अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक सुरक्षा में शिक्षा और प्रशिक्षण देते हैं। 1966 में स्थापित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का उद्देश्य नियोजकों, श्रमिकों तथा अन्य सम्बन्धित अभिकरणों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना हैं। सुरक्षा के अच्छे काय को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पंचायत के अन्तर्गत पुरस्कार भी दिये जाते हैं।

बम्बई तथा महाराष्ट्र के शेष भाग के लिए एक अलग महा डाकपाल का प्रस्ताव

6458. **श्री देवराव पाटिल :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल ने यह सिफारिश की थी कि बम्बई शहर के लिये तथा महाराष्ट्र के शेष भाग के लिये अलग-अलग महा डाकपाल होने चाहियें ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सिफारिश पर विचार कर रही है ;

(ग) क्या महाराष्ट्र सर्किल के शेष भाग के लिए अलग महा डाकपाल का कार्यालय नागपुर जो महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है, में स्थापित करने की मांग आई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। प्रशासन सुधार आयोग द्वारा डाक-तार के लिए नियुक्त अध्ययन दल ने इस प्रकार का एक सुझाव दिया है।

(ख) इस प्रस्ताव पर मुख्य प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

(ग) समय-समय पर स्थानीय तौर पर अलग डाक-तार सर्कल के लिए, जिसका मुख्यालय नागपुर में हो, मांगें प्राप्त हुई हैं।

(घ) सरकार की मौजूदा नीति यह है कि सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए केवल एक ही डाक-तार सर्कल हो।

Abolition of District Councils in U. P.

6459. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the District Councils—an important organ of three-tier Panchayati Raj—have been abolished in Uttar Pradesh ; and

(b) if so, the reasons therefor and other details in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri D. Ering) : (a) No such information has been received so far from the Government of Uttar Pradesh.

(b) Does not arise.

निर्यातित तथा भारत में प्रदर्शित भारतीय चलचित्रों में रूपभेद

6460. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय चलचित्र विवेचन बोर्ड द्वारा भारत में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत चलचित्रों और कई निर्यातित भारतीय चलचित्रों में रूपभेद है ;

(ख) क्या निर्यातित भारतीय चलचित्रों के मामलों में ऐसा करना आवश्यक है ;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय चलचित्र निर्माताओं द्वारा तैयार किये गये गाईड, संगम, वक्त तथा आरजू नामक चलचित्रों में अभिनेता तथा अभिनेत्री के बीच कामोत्तेजक चुम्बन, अर्द्ध नग्नता, तथा गन्दे विचार पैदा करने वाले वासनायुक्त शय्या कक्षों के चित्र हैं ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) सरकार द्वारा अपने राष्ट्र की सस्कृति के गलत तथा अवास्तविक प्रदर्शन करने वाले चलचित्रों को निर्यात करने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) से (ङ). सिनेमाटोग्राफ अधिनियम 1952 के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड केवल भारत में दिखाई जाने वाली फिल्मों को स्वीकृति प्रदान करता है। फिल्मों को वे प्रिन्स जो केवल विदेशों में दिखाने के लिए होते हैं, बोर्ड पास नहीं करता । सी कस्टम अधिनियम के अन्तर्गत किसी फिल्म को निर्यात करने की आज्ञा पोर्ट प्राधिकारी उन सलाहकार बोर्डों की सिफारिश पर देते हैं जो इस उद्देश्य के लिए नामजद किये जाते हैं वे फिल्में जो केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के द्वारा भारत में दिखाने के लिए पास कर दी जाती हैं उनके बारे में यह समझ लिया जाता है कि उनकी बिना और जांच किए विदेशों में निर्यात के लिए सलाहकार बोर्ड की सिफारिश प्राप्त हो गई है । गाइड, संगम, वक्त तथा आरजू फिल्में इसी प्रकार की फिल्में हैं ।

(घ) इन फिल्मों के निर्यातित संस्करण के बारे में सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है ।

भारतीय चलचित्रों का परीक्षण

6461. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या सूचना तथा प्रसारण और सचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छविगृहों में दिखाए जाने वाले अनेक भारतीय चलचित्रों में चुम्बन तथा कामोत्तेजक दृश्य दिखाये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कुछ चलचित्रों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो ऐसे चलचित्रों के नाम क्या हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि हाल में किये गये एक गैर-सरकार सर्वेक्षण के अनुसार हमारे 70 प्रतिशत लोग इनका अनुमोदन नहीं करते और यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की नीति क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) और (ख). चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड भारत में प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों में अत्यधिक कामोत्तेजक प्रेम दृश्यों को दिखाये जाने की

आज्ञा नहीं देता। कुछ भारतीय फिल्मों में अश्लीलता तथा अभद्रता के बारे में शिकायतें मिली हैं तथा उन पर विचार किया जा रहा है।

(ग) आकाशवाणी के श्रवण अनुसंधान एकक द्वारा एक फील्ड सर्वे किया गया था। प्राप्त परिणामों के अनुसार उत्तर देने वालों में 72 प्रतिशत व्यक्ति फिल्मों में चुम्बन की अनुमति दिये जाने के पक्ष में नहीं थे। सेन्सर शिप के समूचे प्रश्न पर फिल्म सेन्सर शिप पर जांच समिति द्वारा विचार किया गया है। समिति की रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है।

ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रम की विफलता

6462. **श्री शशि भूषण** : क्या श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मंत्रालय की केन्द्रीय योजना में शामिल किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैसे ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, न्यूनाधिक रूप से असफल रहे हैं ;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों द्वारा स्कूल छोड़ देने की समस्या बहुत अधिक है और यदि इसका समय रहते समाधान न किया गया तो यह समस्या बहुत गम्भीर रूप धारण कर लेगी ; और

(ग) उन लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही समुचित रोजगार दिलाने के लिये किस प्रकार के प्रशिक्षण का विचार किया गया है ताकि वे लोग नगरीय क्षेत्रों में न आयें और बेरोजगारों की संख्या न बढ़ने पाये ?

श्रम रोजगार और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) श्रम और नियोजन विभाग द्वारा कोई ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नहीं चलाई जा रही है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में से अधिकांश संस्थाएं शहरी इलाके में चल रही हैं और केवल कुछ प्रशिक्षण संस्थाएं कस्बों में हैं।

(ख) शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद ने प्राईमरी स्कूलों में अपव्यय और अवरोध से सम्बन्धित अध्ययन किये हैं। स्कूल छोड़ने का प्रमुख कारण सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है। शिक्षा विभाग का प्रबन्ध राज्य सरकारों के अधीन होता है। कई राज्यों ने प्राईमरी शिक्षा को कानून द्वारा अनिवार्य बना दिया है। देश की मौजूदा सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति के कारण अनिवार्य शिक्षा के कानून को लागू करना कठिन हो रहा है। अतः इस की अपेक्षा स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दोपहर का भोजन देने की योजना जैसे प्रोत्साहन और आग्रह करने के दूसरे तरीके काम में लाए जा रहे हैं।

(ग) इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने व्यवसाय-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ कर दिये हैं।

विभिन्न प्रदेशों में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार

6463. **श्री शशि भूषण : क्या श्रम रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मंत्रालय राज्यों के अन्दर तथा अन्तर्राज्यीय स्तर पर विभिन्न प्रदेशों में, विशेषकर पिछड़े हुए क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार से सन्तुष्ट हैं ; और

(ख) क्या पिछड़े प्रदेशों में व्यावसायिक प्रशिक्षण से पहले पढ़ाने का कोई प्रबन्ध है ताकि इन क्षेत्रों के भावी प्रशिक्षार्थियों को नियमित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने के योग्य बनाया जा सके ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० सन्जीवैया) : (क) दस्तकार प्रशिक्षण योजना का वित्तीय नियंत्रण 1-4-1969 से राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दिये जाने के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार की है ।

(ख) जी हां ।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अन्य मन्त्रालय के उच्चस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ तालमेल

6464. **श्री शशि भूषण : क्या श्रम रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अन्य मंत्रालयों के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ तालमेल बैठाया जाता है ;

(ख) क्या वास्तव में प्रतिभाशाली तथा परिश्रमी प्रशिक्षणार्थियों के लिये बाद में उच्चस्तर पर डिप्लोमा प्राप्त करने तथा स्नातक स्तर तक जाने के अवसर उपलब्ध हैं ; और

(ग) क्या विभिन्न सामाजिक वर्गों की आय की गतिहीन यथा स्थिति पर आधारित विषमताओं को समाप्त करने के लिए उनको ऊपर उठने के अवसर उपलब्ध करना आवश्यक है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० सन्जीवैया) : (क) और (ख). ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अधीन एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लेने के बाद दूसरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अनिवार्यत: बाधा उत्पन्न हो । आवश्यक योग्यताएं और रुचि रखने वाले को यह छूट सदैव प्राप्त है कि वे अपनी पसन्द के किसी अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम को आरम्भ कर दे अथवा यह भी कि वे उपयुक्त डिप्लोमा या डिग्री के लिए अपना अध्ययन जारी रखें ।

(ग) ऊर्ध्वाधर गतिशीलता निःसन्देह वांछनीय है । यह केवल तकनीकी योग्यताओं पर ही निर्भर नहीं करती । इसके लिए उत्तरोत्तर बढ़ने वाला अनुभव और समयरूपेण योग्यता भी आवश्यक है ।

तीन पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न उद्योगों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के व्यावसायिक ढांचे का रुख

6465. **श्री शशि भूषण** : क्या श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उद्योगों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के, विशेषकर तीन पंचवर्षीय योजनाओं में, व्यावसायिक ढांचे का क्या रुख था ।

(ख) क्या वे अभी भी केवल परम्परागत व्यवसाय ही कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनको औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी मात्रा में स्थान देने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ख). जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों और पिछड़े वर्गों के लोगों को विभिन्न सेवाओं और उद्योगों में बड़ी संख्या में नियुक्त करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है । सेवाओं में भरती के लिए स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं तथा शैक्षिक व प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी इनकी निर्धारित अनुपात में भरती सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रशासकीय आदेश जारी किए गए हैं । ऐसे लोगों को वृत्ति व्यवसाय के चुनाव में सहायता पहुंचाने व कुशल व्यवसायों की ओर मोड़ने के लिए राष्ट्रीय नियोजन सेवा का व्यवसाय निर्देशन व सलाह सम्बन्धी कार्यक्रम भी तेज किया जा रहा है ।

तांबे की तार की चोरी के सम्बन्ध में डाक-तार अधिनियम में संशोधन

6466. **श्री एस० के० सम्बन्धन** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तांबे की तार की चोरियों के सम्बन्ध में शिकायतें, शपथपत्र आदि पर हस्ताक्षर करने के बारे में डाक तथा तार अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का कब तक ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां । प्रस्तावित संशोधन से, सामान्यतया सभी डाक-तार और पुलिस अधिकारियों की शिकायतों, हलफनामों आदि पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी जाएगी ।

(ख) संशोधन का विधेयक राज्य-सभा ने पहले ही 26-11-1968 को स्वीकृत कर लिया है । लोक-सभा में इस विधेयक को पेश करने के लिए नोटिस दिया जा चुका है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अलमाडी में भैंस पालन केन्द्र

6467. **श्री मुरासोली मारन :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलमाडी में एक भैंस पालन केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसको अन्तिम रूप देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रस्ताव पर तकनीकी यथा वित्तीय दृष्टिकोण से विस्तृत रूप में जांच-पड़ताल करने की आवश्यकता है।

चीनी का उत्पादन और चीनी मिलें

6468. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1970 तक के 1969-70 के मौसम में कितनी चीनी मिलें कार्य कर रही थीं और यह संख्या 31 जनवरी, 1969 और 1968-69 के मौसम में कार्य करने वाली चीनी मिलों की संख्या में कैसी है ;

(ख) जनवरी, 1970 तक चीनी का उत्पादन कितना था और 31 जनवरी, 1969 तक के उत्पादन की तुलना में यह कितना कम या अधिक है ; और

(ग) चीनी के उत्पादन को बढ़ाने और मूल्य को कम करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ख). अपेक्षित सूचना नीचे दी जाती है :—

मौसम	उन चीनी कारखानों की संख्या जिन्होंने 31 जनवरी तक कार्य किया	1 जनवरी तक चीनी का उत्पादन (लाख मीटरी टन)
196 -69	201	13.26
1969-70	207	16.77

(ग) सरकार द्वारा 196 -68 से अपनायी गयी चीनी की आंशिक विनियन्त्रण की नीति के परिणामस्वरूप चीनी का उत्पादन 1967-68 के 22.48 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1968-69 में 35.59 लाख मीटरी टन हो गया है। 1969-70 में 40 लाख मीटरी से अधिक उत्पादन होने की आशा है। लेवी चीनी के मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के न्यूनतम मूल्य और टैरिफ आयोग द्वारा अभिस्तावित लागत अनुसूचियों और क्षेत्रों पर आधारित होते हैं। मार्च, 1970 मास में चीनी की खुली बिक्री के कारखाने के दरवाजे के मूल्य में भी पर्याप्त कमी हो गयी है और ये मूल्य अब लगभग लेवी चीनी के मूल्य स्तर जितने ही है।

उत्तर प्रदेश में बन्द हुई चीनी मिलें

6469. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में दिसम्बर, 1969 से गन्ना उपलब्ध न होने के कारण कितनी चीनी मिलें बन्द हो गई और इसके फलस्वरूप कितने मजदूर रोजगार से वंचित हो गये ; और

(ख) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) केवल एक फैक्ट्री अर्थात कमलापत मोती लाल भटनी (शुगर मिल्स) ब्रांच, भटनी अपने क्षेत्र में उपलब्ध गन्ना पेरने के बाद 22-3-70 को बन्द हो गयी थी। पिछले मौसमों में भी यह फैक्ट्री आमतौर पर लगभग इसी समय या इससे भी पूर्व बन्द हो जाती है। अतः कर्मचारियों की नौकरी खत्म होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चलचित्र सेंसर बोर्ड द्वारा स्वीकृत तमिल चलचित्र

6470. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में केन्द्रीय चलचित्र सेंसर बोर्ड ने किसी भाग को निकाले बिना कितनी तमिल फ़िल्मों को स्वीकृति दी है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ई० कु० गुजराल) : 1968 तथा 1969 के दौरान बिना काट-छाँट के 91 तमिल फिल्में प्रमाणित की गई।

राजस्थान डाक तथा तार सर्किल के अन्तर्गत रिवाड़ी में रेलवे डाक सेवा कर्मचारियों द्वारा सामुहिक रूप में बीमारी की छुट्टी ली जाना

6471. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान डाक तथा तार सर्किल के अन्तर्गत रिवाड़ी में रेलवे

डाक सेवा के कर्मचारियों ने 19 फरवरी, 1970 को सामूहिक रूप से बीमारी की छुट्टी ली थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ; और

(ग) भविष्य में ऐसी कार्यवाहियों को रोकने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 19-2-1970 को प्रात: 5-10 बजे से अपराह्न 1 बजे तक काम पर आने वाले एक सेट से संबंधित 8 सार्टरों में से सात सार्टर बिना पूर्व सूचना के बीमारी के आधार पर अनुपस्थित थे । इनमें से दो बाद में ड्यूटी पर आ गये थे और 2-20 अपराह्न से बजे सायं तक काम करने वाले दूसरे सेट के लिए उनकी सेवाओं का लाभ उठाया गया था ।

(ख) ऐसा मालूम होता है कि 18 फरवरी, 1970 को एक सार्टर के देर से काम पर हाजिर होने के कारण हैंड सार्टर के आपत्ति उठाने पर विरोध प्रकट करने के लिए ही सार्टरों ने यह कार्यवाही की थी ।

(ग) सभी कर्मचारियों की अनुपस्थिति बतौर अकार्य-दिन मानी गई है । इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है । अनुशासनहीनता के ऐसे इक्के-दुक्के मामलों पर मौजूदा नियमों के अनुसार कार्यवाई की जा सकती है । इस मामले में कोई खास कदम उठाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता ।

कोयला मजदूर सभा, बेरमो, जिला हजारीबाग (बिहार) के सचिव का भूतपूर्व श्रम मंत्री को पत्र

6472. **श्री स० कुन्दू** : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या कोयला मजदूर सभा बेरमो जिला हजारीबाग (बिहार) के सचिव ने भूतपूर्व श्रम मंत्री को धुनीदा घोरी कोयला खान के बारे में 7 नवम्बर, 1969 को एक पत्र भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र में क्या-क्या मुख्य बातें कही गई थीं ;

(ग) क्या कोयला मजदूर सभा के सचिव के उस पत्र के आधार पर कोई कर्यावाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ग). जी हां कोयला मजदूर सभा के मंत्री से एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा की गई ।

(ख) और (घ). एक विवरण, जिसमें शिकायत की मुख्य बातें और उन पर की गई कार्यवाही दी गई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3214/70]

मजदूरों को कोयला खान भविष्य निधि अंशदायी योजना में शामिल करना

6473. **श्री स० कुन्दू** : क्या श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला हजारी बाग के 'चुनीदा घोरी कोयला खान' के सचिव श्री जे० पी० सिंह आजाद द्वारा दी गई सूची में से कितने श्रमिकों को कोयला खान भविष्य निधि अंशदायी योजना का सदस्य बनाया गया है ;

(ख) शेष श्रमिकों ने जिनको कोयला खान भविष्य निधि का लाभ नहीं दिया गया कितने वर्ष कार्य किया है ; और

(ग) क्या 'चुनीदा घोरी कोयला खान' के सचिव ने 23 अगस्त, 1969 को न्यासधारियों (कोयला खान भविष्य निधि) के बोर्ड के अध्यक्ष और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के सचिव को इस संबंध में एक पत्र भेजा है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). कोयला खान भविष्य निधि का प्रशासन कोयला खान भविष्य निधि और बोनस योजना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत स्थापित कोयला खान भविष्य निधि के न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है । केन्द्रीय सरकार का इससे सीधा सम्बन्ध नहीं है । सलेक्टेड घोरी कोलियरी के श्रमिकों के सम्बन्ध में श्री जे० पी० सिंह द्वारा भेजी गई सूची और उनका 23-8-1969 का पत्र कोयला खान भविष्य निधि संगठन के पास भेज दिया गया था । इस संगठन ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(1) उक्त कोलियरी के 68 श्रमिकों में से 24 को कोयला खान भविष्य निधि का सदस्य बनाया जा चुका है । एक सदस्य पहले ही निधि का सदस्य था ; और

(2) शेष 43 श्रमिकों की सदस्यता के प्रश्न की जांच-पड़ताल की जा रही है । प्रबन्धकों से अभी संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं हुए हैं ।

राज्यों में छोटी सिंचाई परियोजनाएं

6474. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या खाद्य, तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में मंजूर की गई छोटी सिंचाई परियोजनाओं की राज्यवार लागत कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : अपेक्षित जानकारी संलग्न अनुबन्ध में दी गई है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	1965-66 से 1969-70 के दौरान सरकारी क्षेत्र के लिए कुल अनुमोदित परिव्यय
		(रुपये लाखों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	2,896
2.	असम	609
3.	बिहार	4,746
4.	गुजरात	2,370
5.	हरियाणा	368
6.	जम्मू तथा काश्मीर	361
7.	केरल	1,033
8.	मध्य प्रदेश	3,509
9.	महाराष्ट्र	5,513
10.	मैसूर	3,440
11.	नागालैंड	35
12.	उड़ीसा	1,092
13.	पंजाब	1,411

1	2	3
14.	राजस्थान	1,526
15.	तमिल नाडु	3 432
16.	उत्तर प्रदेश	11,060
17.	पश्चिमी बंगाल	2,961
	कुल राज्य	46,362

अगली खरीफ और रबी फसलों से अधिक उपज वाली गेहूँ, चना, धान की किस्मों की उपलब्धता

6475. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगली खरीफ तथा रबी फसलों से वर्षों पर आधारित कृषि के लिए अधिक उपज देने वाली गेहूं, चना, धान की किस्में उपलब्ध होंगी ; और

(ख) यदि हां तो इनका ब्यौरा क्या है ये किस दर पर उपलब्ध होंगी और कहां से उपलब्ध होंगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) गेहूं की निर्मुक्त हुई कल्याण सोना, सफेद लरमा, पंजाब सी 306, के 65, एच वाई 11, एच वाई-633, एन वाई 5439 और एन आई 747-19 नामक कुछ अधिक उत्पादनशील किस्में देश के विभिन्न भागों में वर्षा पर आश्रित कृषि के लिये उपयुक्त हैं और ये किस्में सामान्य परिस्थितियों में स्थानीय किस्मों की तुलना में 15-20 प्रतिशत अधिक उपज दे सकती हैं। अखिल भारतीय समन्वित परीक्षणों के अन्तर्गत कई अन्य किस्मों के सम्बन्ध में प्रयोग किये जा रहे हैं।

जहां तक चावल का सम्बन्ध है छांटी गई किस्मों में से एक किस्म वर्षा सिंचित परिस्थितियों में काफी सफल सिद्ध हुई है। इसकी नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार करने से पूर्व समन्वित परीक्षणों के अन्तर्गत इसका परीक्षण किया जा रहा है ।

चने का उत्पादन सामान्यतः वर्षा सिंचित परिस्थितियों के अन्तर्गत ही किया जाता है। हाल ही में चुनी गई कुछ किस्मों का उत्पादन स्थानीय किस्मों की तुलना में 25 से 30 प्रतिशत तक अधिक रहा है। इन चुनी हुई किस्मों पर समन्वित परीक्षणों के अन्तर्गत प्रयोग किये जा रहे हैं। उपयुक्त सिद्ध होने पर इन्हें रबी 1971 की आम बुवाई के लिये निर्मुक्त कर दिया जायेगा ।

(ख) निर्मुक्त की गई अधिक उत्पादनशील किस्मों के बीज राष्ट्रीय बीज निगम, राज्यों के कृषि विभागों और उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। ये बीज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली तथा कुछ अन्य कृषि विश्वविद्यालयों में भी सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं।

दण्डकारण्य परियोजना को बंद करने का प्रस्ताव

6476. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छठीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक दण्डकारण्य परियोजना को बन्द करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या दण्डकारण्य विकास अधिकरण ने वर्तमान कर्मचारियों की छंटनी करने के लिए कोई निश्चित नीति बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग). ऊपर दिये गये भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राज्य में डाक तथा तार सेवाओं को एक अलग महाडाकपाल के अंतर्गत लाने का मापदण्ड

6477. **श्री शारदा नन्द** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में डाक तथा तार सेवाओं का नियंत्रण एक अलग महाडाकपाल के अन्तर्गत लाने का कोई मापदंड बनाया गया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली में डाक संबंधी सेवाओं के अध्यक्ष के पद का दर्जा, उसके अधीन अधिक कर्मचारी रखने और उत्तरदायित्वों को देखते हुए और इस सर्किल में डाक सेवाओं के प्रभावी नियंत्रण के लिए बढ़ाने का है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) इसके लिए कोई निश्चित मानदंड निर्धारित नहीं किये गये हैं और प्रत्येक मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

(ख) यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

चलचित्र वित्त निगम द्वारा चलचित्र निर्माताओं का दिया गया ऋण

6478. **श्री जुगल मंडल** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मार्च, 1970 तक चलचित्र वित्त निगम ने चलचित्र निर्माताओं को कुल कितनी राशि के ऋण दिये हैं और उनके नाम तथा पते क्या हैं ;

(ख) ऋण के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और इस अवधि में कुल कितना ऋण मांगा गया तथा आवेदन-कर्ताओं के नाम तथा पते क्या हैं ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप इस निगम ने उस अवधि में कुल कितना ब्याज अर्जित किया है और कितना ऋण अभी वसूल करना बाकी है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). विवरण सदन की मेज पर रख दिये गये हैं (परिशिष्ट 1, 2 तथा 3) जिनमें मार्च, 1970 तक, पिछले 3 वर्षों की अवधि के दौरान प्राप्त प्रार्थना-पत्र, जो ऋण स्वीकृत किया तथा वितरित राशि बताई गई है। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये** संख्या एल० टी० 3215/70]

(ग) (1) गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान फिल्में बनाने के लिए दिये गये ऋण पर निगम द्वारा कमाया गया ब्याज निम्न प्रकार है :—

1967-68	3,55,369/-रुपये
1968-69	3,88,739/-रुपये
1969-70	5,63,287/-रुपये
	13,07,395/-रुपये

(2) 31-3-1970 को जो बकाया ऋण था :—86,20,9 7.00 रुपये

बकाया राशि में ब्याज के रूप में 10,31,908 रुपये की राशि भी शामिल है।

चलचित्र वित्त निगम द्वारा अपने वितरण विभाग के माध्यम के वितरित किये गये चलचित्र

6479. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चलचित्र वित्त निगम द्वारा अपने वितरण विभाग के माध्यम से कौन कौन से चलचित्र वितरित किये गये तथा किस किस तारीख को और कहां कहां प्रदर्शित किये गये ;

(ख) इन चलचित्रों से चलचित्र वित्त निगम को कितनी आय हुई ; और

(ग) पूर्वी पंजाब तथा बम्बई में वितरण परियोजना पर कुल कितना धन व्यय हुआ ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). 1-9-68 से 31-12-69 तक की अवधि के दौरान फिल्म वित्त निगम ने पंजाब में अपने वितरण कार्यालय की मार्फत निम्नलिखित दो फिल्में रिलीज की हैं :—

क्रम संख्या	रिलीज की गई फिल्म का नाम	रिलीज की तारीख	स्थान	खर्च की गई राशि रुपये	आय रुपये	कमिशन रुपये
1.	नवाब सिराजुदौला	1-11-68	पंजाब	4,860/-	6,129/-	1,85./-
2.	अमर ज्योति	11-7-69	पंजाब	14 374/-	5,253/-	1,313/-
				19,234/-	11,382/-	3,166/-

(ग) क्षेत्र	खर्च की गई राशि रुपये	कैफियत
पूर्वी पंजाब	32,095	इसमें उन तीन फिल्मों पर खर्च हुई राशि भी शामिल है जो अभी रिलीज नही हुई है।
बम्बई	24,700	प्रचार पर हुए व्यय की राशि जो फिल्म के बम्बई में अगले वर्ष रिलीज हो जाने पर वसूल की जानी है।

महानगरों में आकाशवाणी की रंगशालायें

6480. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न महानगरों में आकाशवाणी के कितने रंगमंच हैं ;

(ख) इन रंगमंचों की क्षमता कितनी कितनी है ;

(ग) क्या सरकार महानगरों में आकाशवाणी के रंगमंचों को चित्रदर्शी रंगमंच का रूप देने तथा उनमें कलात्मक चलचित्र दिखाने का विचार करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और सचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). 600 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले एक आडिटोरियम, जो बम्बई में निर्माणाधीन है, में प्रोजेक्शन उपकरण लगाये जाने की व्यवस्था है ।

चावल की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक विशेषज्ञ दल की सिफारिशें

6481. श्री देविन्दर सिंह गार्चा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न देशों की यात्रा करके लौटे विशेषज्ञों के एक उच्च स्तरीय दल ने चावल की खेती को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में सरकार को कुछ सिफारिशें की है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने किन सिफारिशों को स्वीकार किया है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां । खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मत्रालय (कृषि विभाग), योजना आयोग तथा 6 मुख्य चावल उत्पादक राज्यों, अर्थात् पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिल नाडु आन्ध्र प्रदेश, असम तथा उत्तर प्रदेश के कृषि विशेषज्ञों के उच्च स्तरीय दल तथा फोर्ड प्रतिष्ठान के एक प्रतिनिधि ने दिनांक 5 अक्तूबर, 1969 से 13 अक्तूबर, 1969 तक फिलिपाइन, ताईवान तथा हांगकाग का दौरा किया था । दल ने इन देशों के उन तकनौलोजिकल तथा संगठनात्मक विकासों का मौके पर ही अध्ययन किया, जिसके कारण चावल की अधिक उपज प्राप्त हुई थी । दल ने भारत में चावल की खेती को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में अपने अध्ययन के आधार पर कई सिफारिशें की हैं। उन सिफारिशों का सार संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3-16/70]

(ग) भारत सरकार तथा राज्य सरकारें इन सिफारिशों पर विचार कर रही हैं ।

मंगलौर में नये डाकघर के निर्माण के लिये भूमि का अर्जन

6482. श्री लोबो प्रभु : क्या सूचना तथा प्रसारण और सचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कापड़िगुडडा, मंगलौर में एक नये डाक तथा तार घर का निर्माण करने का

विचार है, जबकि 45 रुपये किराये पर लिया हुआ विद्यमान भवन इस स्थान की आश्यकताओं के लिए पर्याप्त है तथा दो और कमरे लेकर इसका विस्तार किया जा सकता है ;

(ख) भूमि अर्जन, निर्माण तथा इसकी मरम्मत आदि पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी और इस आधार पर देय किराया वर्तमान किराये की तुलना में कितना कम अथवा अधिक होगा ; और

(ग) यदि भूमि-अर्जन तथा नव-निर्माण कार्य आवश्यक ही है, तो वर्तमान डाकघर से 2½ फर्लांग दूर नन्दीगुड्डा में पांच सड़कों के संगम पर किसी केन्द्रीय स्थान पर डाकघर बनाने के लिए नगर पालिका के प्रस्ताव तथा जनता के अभ्यावेदन की उपेक्षा क्यों की गई थी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हाँ, मौजूदा किराये की इमारत में केवल 210 वर्गफुट स्थान है, जबकि डाकघर और नायब पोस्टमास्टर के निवास स्थान के लिए 740 वर्ग फुट की आवश्यकता है। किराये पर लेने के अतिरिक्त स्थान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) भूमि अधिग्रहण की अनुमानित कुल लागत 30,062 रुपये आंकी गई है। इमारत के निर्माण की अनुमानित लागत 38,780 रुपये आंकी गई है। रखरखाव की अनुमानित वार्षिक लागत 1,357 रुपये आँकी गई है। भूमि और इमारत पर खर्च की जाने वाली रकम पर 4475 रुपये वार्षिक ब्याज पड़ेगा। डाकघर की इमारत के किराये और मुफ्त आवास के बदले में नायब पोस्टमास्टर को दिये जा रहे मकान किराया भत्ते पर किये जाने वाले मौजूदा खर्च की रकम क्रमशः 540 रुपये और 305 रुपये वार्षिक है।

(ग) मौजूदा किराये की इमारत में स्थान की कमी को ध्यान में रखते हुए और चूंकि आस पास के क्षेत्र में कोई उपयुक्त वैकल्पिक किराये की इमारत उपलब्ध नही है, अतः भूमि अधिग्रहण करके विभागीय इमारत बनाना ही आवश्यक समझा जाता है। मंगलौर में अधिग्रहण के लिए नगर पालिका और जनता में से कुछ लोगों द्वारा सुझाया गया स्थान बस्ती के एक कोने में है और हम्पनकाटा डाकघर के नजदीक है। अधिग्रहण के लिए विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थान मौजूदा डाकघर के सामने स्थित है और उस क्षेत्र के केन्द्रीय स्थल में स्थित है। चंकि मौजूदा डाकघर अपने मौजूदा स्थान पर 20 वर्ष से काम कर रहा है, अतः इस क्षेत्र के निवासी नंदीगुड्डा रोड जंक्शन में इस डाकघर के स्थानातरण के पक्ष में नहीं थे। विभाग द्वारा चुने गये स्थान के लाभों के बारे में अध्यक्ष, मंगलौर नगरपालिका और जनता में से अन्य प्रमुख व्यक्तियों को स्थानीय विभागीय अधिकारी ने 18 नवम्बर, 1969 को अवगत करा दिया था।

मंगलौर में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

6483. **श्री लोबो प्रभु** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री 5 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1959 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि का अर्जन करने के पश्चात मंगलौर में डाक तथा तार कर्मचारियों के क्वार्टरों

का नक्शा तथा प्राक्कलन तैयार करने में इतना अधिक समय क्यों लगा और ये क्वार्टर कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ; और

(ख) चूंकि वहां पर कर्मचारियों के लिए क्वार्टर न होने के मामले में मंगलौर के एक विशिष्ट स्थिति है, इसलिए केवल 5 प्रतिशत के इस छोटे से उपबन्ध को प्राथमिकता दे कर कार्य को तुरन्त आरम्भ करने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) प्रचालन कार्यालयों के लिए निर्धारित तत्सम्बन्धी उच्चतर प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। इसके नक्शे पहले से ही तैयार है और प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) मंगलौर में तेरह स्टाफ क्वार्टर पहले से ही उपलब्ध हैं। इस कार्य को शीघ्र हाथ में लेने के लिए उचित प्राथमिकता दी जा रही है।

मंगलौर में सूक्ष्म तरंग केन्द्र

6484. **श्री लोबो प्रभु** : क्या सूचना तथा प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक और तार महानिदेशक ने दक्षिण कनाडा वाणिज्य मंडल के इस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की है कि मंगलौर में एक सूक्ष्म तरंग केन्द्र स्थापित किया जाये;

(ख) कठिन भूखण्ड होने के कारण भू-मार्ग संचार न होने से इसमें खराबी आने के आंकड़े क्या हैं और क्या ये किसी भी क्षेत्र की तुलना में सर्वाधिक हैं;

(ग) छः सर्किटों में दिन में औसतन कितनी लाइनें सक्रिय रहती हैं; और

(घ) पत्तन परियोजना, उर्वरक कारखाना परियोजना तथा कुद्रमुख लोह अयस्क का उपयोग करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय भविष्य में मांग बढ़ाने की अनुमति पूर्वाशा में शीघ्र ही एक सूक्ष्म तरंग केंद्र स्थापित क्यों नहीं करता ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री, (श्री शेर सिंह) : (क) विकास योजना के एक भाग के रूप में मंगलौर की सूक्ष्म तरंग द्वारा बम्बई, मद्रास त्रिवेन्द्रम से जोड़ने की एक योजना पहले से ही विभाग के विचाराधीन है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल कया गया है।

(ख) तथा (ग). थल-मार्ग संचार लेवा फेल नहीं हुई है, पिछले छः महीनों की अवधि में मंगलौर और मंगलौर के बीच के छः ट्रंक सर्किटों की औसतन कार्य कुशलता लगभग 90 प्रतिशत है और मंगलौर और बम्बई के बीच के दो परिपथों के तत्संबंधी आंकड़े 83 प्रतिशत हैं। इस क्षेत्र में खराबी पैदा होने के मामले सबसे अधिक नहीं हैं।

(घ) जैसाकि ऊपर (क) के उत्तर में दिया गया है मंगलौर सूक्ष्म तरंग स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव पहले ही किया गया है। 2400 मि० मि० तक के विस्तार की इस बड़ी योजना

में जो विस्तृत इंजीनियरी और संस्थापन-कार्य किया जाना है वह बहुत ज्यादा है और इसके पूरा होने में लगभग 5 से 6 वर्ष तक लग जायेंगे ।

कांकड़ा में बड़े डाकघर से सम्बद्ध उप डाकघर तथा शाखा डाकघर

6485. **श्री हेमराज :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) कांगड़ा जिले में ऊना तहसील के कितने उप तथा शाखा डाकघरों को कांगड़ा मुख्य डाकघर से सम्बद्ध किया गया है; और

(ख) कांगड़ा मुख्य डाकघर के अधीन अब कुल कितने उप तथा शाखा डाकघर हैं और क्या इससे कांगड़ा मुख्य डाकघर पर कार्य भार बढ़ गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री, (श्री शेर सिंह) : (क)

उप डाकघर 18

शाखा डाकघर 95

(ख) उप डाकघर 51

शाखा डाकघर 275

ऊपर भाग (क) के सामने दिये गए डाकघरों के स्थानान्तरण से कांगड़ा प्रधान डाकघर में काम स्वभाविक रूप से बढ़ गया है, लेकिन उसी अनुपात से वहां कर्मचारियों का भी स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

पश्चिम बंगाल में घेरावों के कारण बन्द हुए कारखानों का फिर से खोला जाना

6486. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले संयुक्त मोर्चा शासन काल में घेरावों, हड़तालों तथा तालाबन्दी के कारण बन्द हुए कारखाने उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के पश्चात पुनः आरम्भ हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) तब से कितने श्रमिकों को पुनः नियुक्त किया गया है ।

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डा० संजीवैया) : (क) से (ग) : पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि उनके पास इस प्रकार के कारखाने पुनः खुलने के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

खुले बाजार की और वसूली वाली चीनी का मूल्य

6487. **श्री मधु लिमये :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में विभिन्न राज्यों में वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 में

(मार्च के अन्त तक) समान प्रकार की चीनी के खुले बाजार की चीनी और वसूली वाली चीनी के मूल्यों की जानकारी देगी;

(ख) किन-किन राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को लिखा था कि उन्हें वसूली वाली चीनी नहीं चाहिए जो केन्द्र उन्हें देने को तैयार था और वे पत्र किन-किन महीनों में प्राप्त हुए ;

(ग) क्या सरकार राज्यों से प्राप्त सभी ऐसे पत्रों को सभापटल पर रखेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उन पत्रों को सभा पटल पर न रखने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) विभिन्न राज्यों में खुले बाजार तथा लेवी चीनी के मूल्यों के बारे में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3217/70]

(ख) तमिलनाडु सरकार ने नवम्बर और दिसम्बर, 1969 के महीनों में यह लिखा था कि वे नवम्बर, दिसम्बर, 1969 और दिसम्बर, 1969 जनवरी, 1970 के महीनों का अपना लेवी चीनी का कोटा छोड़ेंगे। मणिपुर सरकार ने नवम्बर, 1969 और जनवरी, 1970 के महीनों में लिखा कि वे नवम्बर-दिसम्बर, 1969, दिसम्बर, 1969 जनवरी, 1970, जनवरी-फरवरी, 1970 और फरवरी-मार्च, 1970 के महीनों का अपना लेवी चीनी का कोटा छोड़ेंगे।

(ग) उपर्युक्त राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों से प्राप्त पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

1967 से वसूली वाली चीनी महीनेवार बाजार में बेचना तथा इसका निर्यात

6488. **श्री मधु लिमये** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967 से अपनी खुली तथा वसूली की गई चीनी की योजना को लागू किये जाने से लेकर अब तक, महीनेवार दी गई चीनी के बारे में पहले 60:40 के आधार पर और बाद में 70:30 के आधार पर सरकार निम्न शीर्षों के अन्तर्गत जानकारी सभा पटल पर रखेगी।

माह तथा वर्ष	बाजार में दी गई कुल चीनी (टन में)	वसूली की चीनी बाजार में दी गई (टन)	खुली बिक्री के लिए दी गई चीनी (टन)	वसूली की और खुले बाजार में बिकने वाली चीनी की प्रतिशतता का अनुपात
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(ख) इन सभी महीनों में कुल कितना निर्यात किया गया;

(ग) 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 (31 मार्च, 1970 तक) के तीन मौसमों में चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(घ) 1969-70 के आगामी पेराई मौसम के आरम्भ में सरकार के पास कुल कितना स्टाक था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) (क) चीनी की आंशिक विनियन्त्रण की नीति नवम्बर, 1967 से लागू की गई थी। क्रमशः प्रत्येक वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के अपेक्षित ब्यौरे देने वाले तीन विवरण संलग्न हैं [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3218/70] 1967-68 में 60:40 196 -69 और 1969-70 में 70:30 का अनुपात। है इस अनुपात का सरकार ने इन वर्षों में उत्पादित चीनी क्रमशः निर्धारित मूल्यों पर अधिगृहण करने और खुले बाजार में बिक्री के लिए निर्मुक्त करने का निर्णय किया था। लेवी चीनी की निर्मुक्ति राज्यों के निर्धारित मासिक कोटों के आधार पर की जाती है, बचे स्टाक की मात्रा को देखते हुए और स्थिति विशेष की जरूरतें पूरी करने के लिए तदर्थ आवंटन किये जाते हैं लेकिन उत्पादन का खुले बाजार में बिक्री का अनुपात लगभग 12 महीनों की अवधि में निर्मुक्त किया जाता है। अतः उपर्युक्त लेवी और खुले बाजार की बिक्री की चीनी में अनुपात पूर्णतया मासिक निर्मुक्तियों पर लागू नहीं होता है लेकिन वर्ष के कुल उत्पादन में लेवी और खुले बाजार की बिक्री की चीनी के बीच मात्रा के बारे में अनुपात बनाए रखना है।

(ख) 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के दौरान मासवार चीनी का निर्यात बताने वाला विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3218/70]

(ग) 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के दौरान चीनी का कुल उत्पादन इस प्रकार हुआ था :—

	(लाख मीटरी टन में)
1967-68	22.48
1968-69	35.59
1969-70	30.91

(31 मार्च, 1970 तक)

(घ) पहली अक्तूबर, 1969 को चीनी कारखानों के पास चीनी का कुल स्टाक 13.06 लाख मीटरी टन था जिसमें बन्दरगाहों पर निर्यात एजेन्सी की 1694 मीटरी टन चीनी और चीनी कारखानों को निर्मुक्त की गई चीनी लेकिन जोकि अभी दी नहीं गई, शामिल है।

आकाशवाणी से चीनी भाषा में समाचारों का गौण ढंग से प्रसारण

6492. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी भाषा में समाचार सेवा का प्रसारण गौण ढंग से किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक दिन पहले समाचारों को लिखा जाता है और दूसरे दिन प्रातः काल अर्थात 3 बजे इनको प्रसारित कर किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो यह प्रसारण किस के लिए किया जाता है; और

(घ) जब इन समाचारों को प्रसारित किया जाता है क्या तब तक ये समाचार पुराने नहीं हो जाते ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) इस प्रथा को बदलने और प्रातः काल सेवा के लिए एक नया बुलेटिन तैयार करने का निर्णय किया गया है ।

12 मार्च, 1970 को श्री रामावतार शास्त्री द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 2693 के भाग (क) के उत्तर में मैंने बकाया पूर्व-लेखा परीक्षा मामलों की संख्या के बारे में सूचना प्रस्तुत की थी, परन्तु मुझे पता चला है कि सूची अपूर्ण है और पूर्व-लेखापरीक्षा के बकाया मामलों की पूरी सूचना निम्नलिखित है :—

(1) प्रभागीय तार अभियन्ता का कार्यालय पटना	... 175
(2) डाकखानों के अधीक्षक का कार्यालय, मुंगेर	... 4
(3) वरिष्ठ अधीक्षक का कार्यालय, रेल डाक सेवा, 'पी' प्रभाग, पटना	... 6
(4) डाकखानों के वरिष्ठ अधीक्षक का कार्यालय, पटना	... 69
(5) प्रभागीय तार इंजीनियर का कार्यालय, रांची	... 9
(6) प्रभारी अधिकारी (अधीक्षक, डी० टी० ओ०) का कार्यालय, मुजफ्फरपुर	... 1
(7) डाकखानों के वरिष्ठ अधीक्षक का कार्यालय, रांची	... 3
(8) डाकखानों के अधीक्षक का कार्यालय, धनबाद	... 4
(9) डाकखानों के अधीक्षक का कार्यालय, भागलपुर	... 3
(10) डाकखानों के वरिष्ठ अधीक्षक का कार्यालय, छपरा	... 35
(11) डाकखानों के अधीक्षक का कार्यालय मुजफ्फरपुर	... 1
(12) डाकखानों के अधीक्षक का कार्यालय, दुमका	... 7
(13) डाक भंडार डिपो के अधीक्षक का कार्यालय, मुजफ्फरपुर	... 1
(14) डाकखानों के अधीक्षक का कार्यालय, जमशेदपुर	... 6

———

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

राज्यपाल के सलाहकारों में से एक सलाहकार द्वारा त्याग पत्र दिये जाने का समाचार

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान् मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"राज्यपाल के सलाहकारों में से एक सलाहकार द्वारा त्याग पत्र दिये जाने का समाचार"

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : श्रीमान्, अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत घोषणा जब तक कार्यशील है, तब तक कार्यों और अधिकारों के परिपालन में अपनी सहायता के लिए, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने सर्वश्री बी०बी० घोष, के०के० सेन, एम०एम० बसु, तथा ए० के० बोस को अपने सलाहकारों के रूप में नियुक्त किया है। श्री ए०एन० किदवई को भी पाँचवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

कार्य के वितरण के बारे में कुछ गलतफ़हमी थी, जिसके परिणाम स्वरूप श्री बी०बी० घोष ने अपनी सेवाओं की उपयोगिता के बारे में सन्देह व्यक्त किया।

अब स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कार्य-वितरण के बारे में समुचित व्यवस्था की है और श्री बी०बी० घोष की सेवाएं राज्यपाल को उपलब्ध रहेंगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह एक ऐसा असाधारण मामला है जहाँ राष्ट्रपति शासन के आधीन राज्य सरकार ने पाँच सलाहकारों की नियुक्ति की है। क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि 1952 से जब राष्ट्रपति-शासन लागू था कितने राज्यों में राज्यपालों के इतने सलाहकार नियुक्त किये गये ?

राज्यपाल के कार्यों द्वारा राज्य को मध्यावधि चुनाव के लिये तैयार किया जा रहा है। हमें विदित है कि एकाधिकारवादी निरन्तर राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। बिड़ला बन्धुओं द्वारा अपने कार्यालय बंगाल से हटाये जा रहे हैं और वे जोतदार सारी भूमि को हड़पना चाहते हैं। बंगाल में ऐसी घटनायें हो रही हैं। परन्तु आप जनता के साथ धोखा नहीं कर सकते, लोगों को आप उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से बंचित नहीं कर सकते और इस प्रकार की सभा को बनाये रखने तथा अन्य गतिविधियों को बनाये रखने के लिये लोगों पर अतिरिक्त व्यय का बोझ नहीं लाद सकते। संयुक्त मोर्चे ने कल ही कहा है कि मध्यावधि चुनाव ही समस्या का हल है। मंत्री महोदय अभी यह बतायें कि कब तक चुनाव कराये जायेंगे तथा सभा भंग की जायगी।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : चुनाव आदि की तिथि निर्धारित करने का कोई प्रश्न ही नहीं

है । उस पर विचार करने का यह समय भी नहीं है । यह मामला वर्तमान प्रशासन से संबन्धित भी नहीं है । अन्य दूसरी बातें श्री ज्योतिर्मय बसु के लिये रुचिकार हो सकती हैं परन्तु मेरे लिये वे प्रायः असंगत हैं ।

डा० मैत्रेयी बसु (दारजलिंग) : गृह कार्य मंत्री ने गलतफहमी की चर्चा की है । क्या वह बतायेंगे कि वह गलतफ़हमी क्या है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार में गलतफ़हमी के कारण की ओर ध्यान देने की आवश्यक्ता नहीं क्योंकि उसे दूर किया जा चुका है ।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Speaker, President's rule is imposed under specific circumstances. People expect a clean administration-devoid of corruption and heanrocratic activities under Presidents rule but the state of affairs remain absolutely otherwise there are two factors at the rawpant corruption and heanrocratic activities under the President rule. Firstly the administration, is given in the hands of civil servants. who, as we know, are neither civil nor servants. They generally belong to the same State and this is the reason which contributes of corruption and favouritism. In case the administration is to be entrusted to civil servants. It would be better, if they are the residents of some other States.

Secondly, the consultative committee of Mps. in the absence of power is reduced merely to a talkative body. It would be better if the powers are conferred upon the committee in place of the civil servants.

I would like to ask the Government as to why as many as five advisers have been given to Bengal Governor whereas in Bihar at the time of Presidents rule, they had given only two advisers.

The other question is whether the outtimes of the portfolio entrusted to Shri B. B. Ghosh were suggested by the centre ? It was because of his Engineering background that the centre decided to entrust him with such a portfolio but Shri Dhawan denied it and acted according to his own lookout which resulted is misunderstandings.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहाँ प्रशासन संचालन का प्रश्न आता है वहाँ यह आवश्यक हो जाता है कि अधिकारी वर्ग को वहाँ के लोगों की भाषा आती हो । इसी कारण से बँगला भाषी अधिकारियों को कार्यभार सौंपा गया । हमने एक इन्जीनियर की भी नियुक्ति की है जो राज्यपाल को सिंचाई आदि के बारे में परामर्श दे सके ।

अब प्रश्न यह आता है कि क्या श्री बी०बी० घोष दिल्ली आये थे । वे निश्चय ही दिल्ली आये और मुझसे तथा प्रधानमंत्री से मिले । इसमें आपत्ति क्या है ? आखिर प्रशासन के लिये उत्तरदायी हम हैं अतः स्थिति का अध्ययन करते हुए समस्याओं को निपटाने के लिये राज्यपालों और सलाहकारों की सहायता करनी होती है । इसमें कोई अनुचित बात नहीं है और राज्यपाल पर दबाव डालने का कोई प्रश्न नहीं उठता है । जहाँ ततक सलाहकार समिति को कार्य-भार सम्भालने का प्रश्न है, साधारणतया ऐसा नहीं किया जाता है ।

श्री एस० एम० कृष्ण (मण्डया) : जिस दिन से पश्चिमी बंगाल के वर्तमान राज्यपाल ने अपने पद की शपथ ली है उस दिन से उनके विषय में विवाद रहा है । गृह-कार्य मंत्री ने यह

कहकर कि कुछ गलतफ़हमी हुयी है सारी स्थिति पर पर्दा डाल दिया है। रात दिन हमें पश्चिमी बंगाल से ऐसे समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि राज्यपाल अभी तक वहां कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में सफल नहीं हुये हैं। और श्री बी०बी० घोष सलाहकार बनने के लिये क्यों इच्छुक नहीं थे इसका एक कारण यह है कि केन्द्र द्वारा पश्चिमी बंगाल को पूरी सहायता नहीं दी जा रही है और जितनी सहायता दी जा रही है उससे श्री घोष अपना कार्य सफ़लता पूर्वक करनें में समर्थ नहीं होगे। क्या सरकार ने इसपर विचार किया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ऐसा कोई कारण नही था। श्री घोष का विचार था कि उनकी सेवाओं से कहीं अधिक लाभ उठाया जा सकता है। इस विषय में उन्हें गलतफ़हमी थी कि वे अपनी योग्यता का पूरा उपयोग कर सकेंगे। यही कारण था जिससे वह असमंजस में पड़े हुये थे कि सेवाभार लें अथवा नहीं। उस गलतफ़हमी को दूर कर दिया गया है।

कानून और व्यवस्था सम्बन्धी घटनायें अब भी घट रही हैं। हमें पश्चिमी बंगाल के प्रशासन में सुधार करने के लिये कुछ समय अवश्य देना चाहिये।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : पत्र व्यवहार करने की अपेक्षा यदि पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल अपने कर्तव्यों के प्रति ध्यान दें तो इतने सलाहकारों की आवश्यकता न पड़े। मंत्री महोदय का इस सम्बन्ध में क्या विचार है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि राज्यपाल को सरकार से पत्र व्यवहार करना हो तो निश्चय ही उसे ऐसा करना पड़ेगा। जहाँ तक प्रशासन में सलाहकरों की आवश्यकता का प्रश्न है हम 4 या 5 सलाहकारों की सहायता के विषय में सहमत हैं राज्यपाल ने उन्हें चुन लिया है।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : इस प्रश्न का सम्बन्ध राज्यपाल के प्रशासन तथा सलाहकारों के साथ सम्बन्धों से है। क्योंकि इस प्रश्न को बार-बार उठाया जा रहा है इसलिये हमें इससे सम्बन्धित कुछ पहलुओं की ओर ध्यान देना होगा।

सर्व प्रथम हमें यह देखना है कि बंगाल की स्थिति शोचनीय है। यहां की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है, उद्योग समाप्त होते जा रहे हैं। कृषि के सम्बन्ध में भी बहुत विवाद है, विशेषतया उस भूमि के बारे में जिसको हड़प लिया गया है। कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ गयी है।

दूसरे प्रशासन के मामले में राज्य की बड़ी गम्भीर स्थिति है। शासन का राजनीतिकरण कर दिया गया है और यह अनैतिक हो गया है। राज्यपाल एवं प्रशासन के सम्बन्धों के मामले में यह पहलू महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने रेडियो पर अपने भाषण में यह कहा कि वह फिर से मार्क्सवादी सरकार चाहते हैं। यह राज्यपाल के लिये उचित नहीं है कि वह एक दल से लगाव व्यक्त करें और उस दल को सत्ता में लाने की इच्छा रखे। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल का स्थानान्तरण कर दिया जाय। केरल के राज्यपाल पश्चिमी बंगाल के साम्यवादियों को स्वीकार्य हैं। काश्मीर के राज्यपाल पश्चिमी बंगाल सरकार

को स्वीकार्य है और इससे भी निकट आसाम के राज्यपाल को पश्चिमी बंगाल में नियुक्त किया जा सकता है। क्या सरकार स्थानान्तरण के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करेगी जिससे बँगाल की स्थिति में सुधार हो सके ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमें आर्थिक विकास के प्रशन पर कानून एवं व्यवस्था, तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर अवश्य ही ध्यान देना होगा। परन्तु माननीय सदस्य ने जो दूसरी बात कही है वह गलत है क्योंकि राज्यपाल का किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध नहीं है। अतः राज्यपाल को वहाँ से हटाने का प्रश्न ही नही है।

Shri S. M. Joshi : I had given notice of a Calling Attention Motion regarding the incident in which two persons were killed in Monghyr. I want that some action should be taken in the matter.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको गृह-कार्य मंत्री के पास भेज दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने एक ध्यान आर्कषण प्रस्ताव की सूचना दी थी। भारत सरकार को अमरीकी राजदूत के विरुद्ध जो कि भारत सरकार के विरुद्ध प्रचार कर रहा है कठोर कार्यवाही करनी चाहिए।

Shri Deven Sen (Asansol) : The law Minister of Home Affairs should make a statement regarding the health of Sarvashri Raj Narain and George Fernandes and other socialist workers.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : माननीय स्वास्थ्य मंत्री को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उपधारा (7) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे।

(1) कोयला खान (संशोधन) विनियम, 1970, जो दिनांक 4 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 526 में प्रकाशित हुए थे।

(2) धातुप्रद खान (संशोधन) विनियम, 1970, जो 4 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी एस० आर० 527 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3199/70]

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

48 वां प्रतिवेदन

संसद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 48वें प्रतिवेदन से जो 14 अप्रैल, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कुछ दिन पूर्व मैंने एक पत्र लिखा था जिसमें यह निवेदन किया गया था कि लेनिन शताब्दी शुरु होने वाली है और हमें उस महान आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सर्वसम्मति से एक संकल्प इस सभा में पास करना चाहिए जैसाकि गांधी जी के बारे में किया गया था। इस बारे में सभी विरोधी दलों तथा सत्तारुढ़ दल की एक बैठक बुलाई जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में संसद कार्य मंत्री से परामर्श करूंगा।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I support Shri Banerjee. Secondly I want there should be discussion on the demand of Planning Commission as the Fourth Five Year Plan is very important for the country. I have no objection if the demands of other Ministries are guillotived.

Shri Ram Charan (Khurja) : I want to know whether the reports of the Scheduled Castes Commissioner and the report of Shri Parimal Ghosh on untouchability will be discussed in this House during this session?

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balramour) : Sir, I want to submit that the discussion on the demands of various Ministries can take place if we do away with the lunch interval and also start sitting on Saturdays.

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : The demands of all the Ministries should be discussed in the House. They should not be guillotived.

श्री जी० विश्वनाथन (वन्डीवाश) : मांगों पर चर्चा के लिए सभा में पर्याप्त सदस्य उपस्थित नहीं है। सभा में केवल बीस सदस्य ही उपस्थित हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं अपने दल की ओर से आप को विश्वास दिलाता हूँ कि हम शाम सात बजे तक बैठने को तैयार हैं। जब तक हम मध्याह्न भोजन की छुट्टी को समाप्त नहीं करते और शनिवार को काम नहीं करते तब तक काम का पूरा होना असम्भव है।

Mr. Speaker : The Business Advisory Committee did not agree yesterday to suspend the launch interval. We will either sit late in the evening or we will sit on saturday to complete the work.

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 48वे प्रतिवेदन से, जो 14 अप्रैल, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

संसद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : कार्य मंत्रणा समिति तथा सभा विधेयक पर 23 तारीख को चर्चा करने पर सहमत हो गई है। अतः मेरा निवेदन है इस विधेयक पर 23 तारीख शाम को 6 बजे से 8 बजे तक चर्चा की जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 23 तारीख को किस विधेयक पर चर्चा की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : बंगाल सम्बन्धी विधेयक पर

Shri G. Venkataswamy (Siddipet) : Strike is going on in the Synthetic Drugs Factory in Hyderabad for the last 40 days. It is a public sector undertaking. The hon. Minister is not paying any attention to it. You may kindly draw the attention of the hon. Minister to this matter.

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसप्र कार मामला उठाने की अनुमति नहीं दे सकता ।

अनुदानों की मांगें, 1970-71

DEMANDS FOR GRANTS, 1970-71

औद्योजिक विकास, अन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय

Shri Mrityunjay Prasad (Maharajganj) : According to an amendment in the company can give donation to any political party. In this connection I want to state that changes per page for giving advertisement in the Sovenior of the Bombay Session of the Congress were 2500 rupees. But more money was charged from some companies and in my view this excess amount should be considered as donation. I want to know that how much excess money has been charged and from which company. If this amount is not considered as donation. Then I want to know what it is. I think this is not a donation but an extraction.

So far as internal trade is concerned I may quite that the Director General of Civil Supplies placed an order for 4300 tons of electrolytic copper at the rate of 7400 rupees per ton although the rate prevailing in the world market at that was Rs. 8370 per ton.

I may quote another example about the functioning of this department *i. e.* uptill 19th December it was being said that cement would be rcontrolled. But on the 22nd December it was announced that it would not be decontrolled. Although four months have passed, yet nothing has been said at as to coley the policy regarding decontrolling the cement has charged. I think the cement has not been decontrolled in the interest of D.M.K. and Madras State which are supporting the Government here in the centre.

It is true that the public undertakings were started with good intentive and some good work is done by them. They are still surving in loss because they have been put under the control of untrained persons. In this connection I may state that Hindustan Steel Limited has suffered a loss of crores of rupees and Government is receiving the price of steel to reduce its loss. But the private entrapremeses like Tatas and others are earning huge profits from this price internal. The poor and the rich payees are suffering on this account.

So far as Bokaro Steel Plant is concerned it is being said that it is suffering loss to the tune of 25 lakhs per day. This is how this Ministry is functioning.

While setting up any factory the Government has never taken into account the needs of the country. Even the Steel for manufacturing blades has to be imported. Some factories are so big that they have never worked to their full capacity. Their capacity remains idle. The Government also do not take into account the fact of increasing population while formulating the Plans.

It has been stated in the journal of Industry and Trade that the Bharat Heavy Electricals suffered a commulative loss to the tune of 16.4 crores of rupees in 1968-69. But to misguide the people it has been stated that if we reduce the element of depreciations and amount of interest from this loss the undertaking is in profit. This is how they are misguiding they eople.

So far as the question of regional in balances is concerned, I may state that no industry has been established in Durai. So far as Assam is concerned a few rice mills have been set up there. So the regional inbalances are very much there. How this will be removed I do not know.

श्री बेदब्रत बरुआ (कलियाबोर) : मैं समझता हूँ कि दत्त समिति की सिफारिशों सम्बन्धी जो दस्तावेज है वह औद्योगिक नीति का मूल आधार है। एकाधिकार की प्रवृत्ति को बढ़ने तथा अधिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने हेतु सुझाव सुझाने हेतु दत्त समिति का गठन किया गया था। मैं दत्त समिति की सिफारिशों से पूरी तरह सहमत हूँ। 17 अथवा 18 फरवरी के मन्त्रिमण्डल के जिस संकल्प में इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया है वह सही दिशा में एक कदम है। दत्त समिति ने उद्योगों का बहुत उचित वर्गीकरण किया है। इस समिति ने कहा है कि भारी पूँजी वाले क्षेत्र में पूँजीपतियों को पूँजी लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए परन्तु उनको सरकारी वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों में अधिक राशि नहीं लेने दी जानी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया हैं कि मध्यम श्रेणी के क्षेत्र में बड़े-बड़े पूँजीपतियों को पूँजी लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में ये लोग अपना एकाधिकार स्थापित कर सकते है। सरकार को भारी पूँजी वाले क्षेत्र को संयुक्त क्षेत्र समझ कर कार्य करना चाहिए। इन बड़े-बड़े उद्योगपतियों को ऋण देते समय वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों को यह शर्त रखनी चाहिए कि इन को उक्त धन से स्थापित होने वाले उद्योगों के प्रबन्ध में इम्विटीशेयर-क्रमवार भाग लेने का अधिकार होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने बैंकों तथा **वित्तीय संस्थाओं** को इस आशय के अनुदेश जारी कर दिये है अथवा नहीं। हमें आशा है कि सरकार बड़े-बड़े उद्योगों के संयुक्त उद्योग स्थापित करेगी अन्यथा दत्त समिति की सिफारीशें अर्थहीन हो कर रह जायेंगी। दत्त समिति ने बिड़ला बन्धुओं की आस्तियों की जाँच भी की है और बताया है कि उनका धन सबका आस्तियां केवल उद्योगों के रूप में ही उनके पास है। देश में कुल आठ या दस व्यापार गृह हैं जिनके पास देश का आस्तियों का 70 प्रतिशत भाग है। मैं चाहता हूँ कि सरकार सभी बड़े-बड़े उद्योगों में भागीदार बनें।

जहाँ तक पिछड़े क्षेत्रों का सम्बन्ध है मन्त्रि-मण्डल ने एक संकल्प पास किया था जिसमें कहा गया था कि सरकार पिछड़े क्षेत्रों में लगायें, जाने वाली पूँजी का दस प्रतिशत भाग देगी। यह भी निर्णय किया गया था कि इन क्षेत्रों में लगाये जाने वाले उद्योगों पर पहले पांच वर्षों में आयकर अथवा अन्य कर नहीं लगाये जायेंगे। परन्तु मुझे खेद है कि इस सिफारीश को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् में स्वीकार नहीं किया गया है। माननीय मंत्री को इस बारे में पुनः प्रयास करने चाहिए। यद्यपि योजना आयोग इस बात पर जोर दे रहा है कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए और उद्योगों आदि की स्थापना

के बारे में उनको कुछ रियायतें भी दी जानी चाहिए तथापि वे क्षेत्र और पिछड़ते जा रहे हैं और विकसित क्षेत्रों का और विकास हो रहा है। इससे देश में तनाव उत्पन्न होता है। अतः इस अन्तर को काम किया जाना चाहिए।

1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में यह कहा गया था कि उद्योगों के बारे में दो सूचियाँ होंगी। एक में वे सभी उद्योग होंगे जिनकी स्थापना में अधिक समय लगता है तथा अधिक पूँजी लगती है और जिनके लिए नई टेक्नालोजी की आवश्यकता भी पड़ती है। इस संकल्प के पश्चात् सरकार ने ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करना आरम्भ किया जिसमें कोई लाभ नहीं था। इसमें निजी उद्यमकर्ताओं ने लाभ उठाया है। मैं चाहता हूँ कि 1950 के इस संकल्प को और स्पष्ट किया जाये और बताया जाये कि सरकार उपभोक्ता-प्रधान तथा निर्यात-प्रधान उद्योगों में भी भागीदार बनेगी।

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय ने हाल में यह सिफारीश की हैं कि निर्यात-प्रधान उद्योगों के मामले में लाइसैंस देने सम्बन्धी शर्तों को बड़े व्यापार ग्रहों पर लागू न किया जाये। यह एक बहुत बड़ी गलती है। इसके फलस्वरूप कृत्रिम रेशम उद्योग के लिए लाइसैंस जारी किये गये। परन्तु क्या सरकार ने यह जानने का प्रयास किया है कि कितने कारखानों ने अपने माल का वास्तव में निर्यात किया है। देश में कपड़े की भारी मांग होने के कारण सभी उत्पादन की देश में ही खपत होती है।

वास्तविक निर्यात की वृद्धि उन उद्योगों में हुई जो देशीय किस्म के सूती कपड़े बनाते थे। आखिर हमारा यह गलत दृष्टिकोण कितनी देर चल सकता है? यदि निर्यात प्रधान उद्योग निर्यात करने में असफल रहते हैं तो उनका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। हमें उपभोग और ऐश्वर्य से सम्बन्ध वस्तुओं का उत्पादन कर उनका निर्यात करना चाहिये।

जहां तक ऋण नीति का सम्बन्ध है सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के विरुद्ध सदा भेदभाव का व्यवहार होता रहा है। हिन्दुस्तान मशीन टुल्ज प्रतिवर्ष लगभग 2½ लाख घड़ियों का उत्पादन करता है परन्तु 30 लाख के करीब घड़ियाँ तस्कर व्यापार द्वारा भारत लाई जाती हैं। इन पर कम से कम 100 करोड़ रुपया व्यय होता है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज़ विस्तार के लिए विदेशी मुद्रा के लिए आवेदन करता रहा है परन्तु इसे विदेशी मुद्रा नहीं दी गयी है। हमें ऋण, विदेशी मुद्रा और इन सभी बातों के सम्बन्ध में अपना पूरा विचार बदलना होगा और सरकारी क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देनी होगी। गैर-सरकारी क्षेत्र में निम्न प्राथमिकता वाले पदार्थों की सहायता के लिए भी कुछ करना चाहिए।

श्री रा० कृ० बिड़ला (झुंझनू) : मंत्रालय को 'करने' की अपेक्षा 'न करने' में अधिक विश्वास है। इससे हमारे देश की औद्योगिक प्रगति में बाधा पड़ती है और यह उचित नही है जब कि हमने 7 प्रतिशत उत्पादन करने का दृढ़ संकल्प कर रखा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री श्री अहमद से निवेदन करूंगा कि वह इस 'करने' की अपेक्षा 'न करने' की प्रवृति को समाप्त करने का प्रयत्न करें।

(इसके पश्चात लोक सभा मध्याहन भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई)

(The Lok Sabha then adjourned till Fourteen Hours of the Clock)

(मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर 5 मिनट म० प० पर समवेत हुई)

(The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five miniutes Last Fourteen of the Clock)

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान जी मैंने अमरीकी राजदूत श्री केनीथ० बी० कीटिंग की अपत्तिजनक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी ? क्या आप वैदेशिक कार्य मंत्री को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने को कहेंगे ?

श्रीमती इन्द्रापाल चौधरी (कृष्णनगर) : मेरा यह निवेदन है कि पश्चिमी बंगाल विधान सभा के विरोधी दल के नेता श्री सिद्धिश्वर शंकर के घर में गड़बड़ की गई। उनके पुस्तकालय में एक बम पाया गया। क्या गृहमन्त्री इस सम्बन्ध में वक्तव्य देगें।

श्री रा० कृ० बिड़ला : 1967 में एक प्रतिशत से भी कम उत्पादन हुआ था। तब सरकार ने कुछ कदम उठाये जिसके फलस्वरूप 1969 में औद्योगिक विकास बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गया। लेकिन इसमें और भी वृद्धि होगी और यह बढ़कर 8 प्रतिशत हो जायेगा यदि सरकार मेरे सुझाव की ओर ध्यान दे। तो इस तथ्य के बावजूद कि सरकारी उद्यम ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है इस सम्बन्ध में जनता की धारणा अपेक्षाकृत ठीक नहीं है। इसका कारण यह है कि न्यायी सम्बन्धी महात्मागांधी की विचार धारा की, देश के आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होते हुये, पूरी तरह से और सच्चे हृदय से ध्यान नही रखा गया। इस खोई हुई धारणा को फिर से तभी जीवित किया जा सकता है जब कि हम इस विचारधारा को अपनाने के लिए प्रभावशाली कदम उठायें। व्यापार नीति तो केवल संभरण और मांग के नियमों और लाभ को दृष्टिगत रख के नहीं चलाई जानी चाहियें बल्कि इसमें हमें एक तीसरे मानदण्ड को भी विकसित करना चाहिये और वह है उस स्थान विशेष का हित, जहां उद्योग स्थिति होता है। केवल कम्पनियों सम्बन्धी अधिनियम और दूसरे सरकारी कानूनों के अनुसार कार्य करने का यह अर्थ नहीं कि हम ऐसा करने से अपने समाजवादी उदेश्यों की पूर्ति कर रहें हैं। तुष्टि और एकता की भावना तभी उत्पन्न होगी जब कि पड़ोसी के दुःख और सुख से सम्बन्धित यूनिट की प्रगति के साथ-साथ निकट पारस्परिक सम्पर्क स्थापित हो जायेगा।

हम निश्चित रूप से एकाधिकार और आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण के विरुद्ध है क्योंकि आज हम में से प्रत्येक समाजवाद लाने को प्रयत्नशील है और यह प्रवृति समाजवाद के मूल सिद्धान्तों की विरोधी है। परन्तु जैसा कि श्री कृष्णामाचरी ने कुछ माह पूर्व दिल्ली में कहा, हमें इन एकाधिकारों को भंग करने के बहाने न तो अपना उत्पादन सीमित करना चाहिये और न ही औद्योगिक विकास को बन्द करना चाहिये। वरन् जो व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है उसे अच्छा कर्मचारी "या "देशभक्त' आदि की संज्ञा से विभूषित करना चाहियें क्योंकि वह समाजवाद लाने में अपना सक्रिय योगदान देता है।

1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव व्यवहारिक अभिप्रायों की दृष्टि से अब पुराना हो

चुका है। वर्तमान परस्थितियों के अनुकूल इस में परिवर्तनों की आवश्यकता है ताकि गैर सरकारी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र के साथ सम्बन्ध होने की पूर्ण अनुमति हो और सामूहिक औद्योगिक विकास हो सके। सरकार को सदा ही यह नहीं सोचते रहना चाहिए कि गैर-सरकारी क्षेत्र के लोग बुरे हैं। उनके साथ शंकाओं और संदेहों से पूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये।

इसमें सन्देह नहीं कि सभी क्षेत्र बड़े अथवा छोटे, सरकारी या गैर-सरकारी, एक 'राष्ट्रीय क्षेत्र' है परन्तु लघु उद्योग क्षेत्र की ओर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि इसे सभी साधन उपलब्ध नहीं होते। सरकार को इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सभी प्रकार की सहायता, सुविधायें और ऋण देने चाहियें।

सार्वजनिक उद्योगों के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जब तक स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता तब तक वह सुचारु रूप से कार्य नहीं कर सकता। आज के 'टाईम्ज़ आफ इंण्डिया' में लिखा है कि भारी उद्योग की आदर्श क्षमता 50 प्रतिशत होती है। यदि इसमें से केवल 30 या 40 प्रतिशत का ही प्रयोग किया जाये तो उत्पादन कैसे बढ़ सकता है। इनसे सम्बन्ध कच्चा माल और उर्जा आदि की सुविधायें उपलब्ध करने का दायित्व सरकार का है और उसे इस ओर ध्यान देना चाहिये।

सरकार खेतरी में एक ताम्बा परियोजन और एक उर्बरक परियोजना चालू कर रही है। अनुमान है कि इस पर 100 करोड़ की लागत आयेगी। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में अपने अनुभव के अधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि यदि सरकार को इन परियोजनाओं को सफल बनाना है तो इन स्थानों को रेलवे लाईन से मिला देना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया गया तो कच्चे पदार्थ कैसे मिलेगें? परन्तु लगता है कि सरकार मेरे इस सुझाव की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही।

अन्त में मैं यह कहूँगा कि इस मन्त्रालय में जो असाधारण विलम्ब होता है उसकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। 20 जनवरी के "फाईनैंशियल ऐक्सप्रैस" अखबार में यह समाचार देखने को आया कि औद्योगिक विकास मंत्रालय ने एक नीति सम्बन्धी अपना निर्णय नौ वर्षों के बाद दिया। ऐसे असाधारण विलम्ब निश्चय ही खेद का विषय है।

Shri Sitaram Kesri (Katihar) : I would like to give a few suggestions about the public and private sector industries of this country which are being run on the basis of mixed economy. In the industrial committees and federations, only big industrialists get representation. The ordinary industrial are not given representation on these committees. This should be avoided.

Cement is produced in North as well as in South India but there is no informity in its price in the country. Attention should be paid to it.

It was announced on 14th April, 1969 that cement will be decontrolled but it was announced on 20th December, 1969 that was being post-poned for the present. I stress the need for decontrol of cement.

Textile industry is a very important industry of our country and our economy is based on it. I feel great attention should be given to this industry to increase our exports.

Our public sector industries are running in loss today. I think there should be a Board of Directors Consisting of the people who have got faith in public sector and socialism. This will lead to efficiency and infuse the working spirit.

Regarding issue of industrial licences, Government have granted some relaxations which is good. But they must watch that this relaxations is not availed of only by big industrialists in the name of ordinary industrialists. Besides the industrialists should be specialised. One industrialist should not run more than one industry. If the same man is running the industry of cement, sugar and vegetable oil with different name it will bad to accumulation of wealth which will be against the spirit of socialism. Secondly it will more the chances of small industrialists to come in the fore front. The helh of Government does not reach the common industrialist.

There are many small industrialists in the country and they have no direct say except through the Federation of India Chambers of Commerce. The Government should have direct contact with those industrialists by keeping them in the committees directly. Besides the production of the industrialists should be distributed among all and no industrialist should be allowed to have his individual monopoly on his produce.

I congratulate the hon. Minister for having the receiving of donations from different organisations. This would stop the exploitation by organisations.

In order to check the accumulation of wealth we shown prescribe certain percentage with reference to our total revenues. Individual wealth above a certain percentage of country's revenue should be complies. Thus the monopoly on wealth could be curbed.

The spirit of Socialism is in the fact that the production of industries should reach the hands of poor people. The hon. Minister has been one of the champions who are determined to bring Socialism in the country. So, he moved always strive for raising the living standard of the citizens of India.

There is a lot of wealth in our country which has been lying unused. The Government should provide some incentive to living that out in the market and set it invested. This would help a lot in the face of socialism.

With these words, I support the demands of the Ministry.

श्री बापूराव पटेल (शाजापुर) : तीन विभागों के इस मंत्रालय को एक अत्यन्त सशक्त तथा होशियार व्यक्ति सम्भाले हुये है। औद्योगिक विकास विभाग में लायसेंस दिये जाते हैं तथा उद्योग-पतियों को अपना उद्योग बढ़ाने या न बढ़ाने की अनुमति दी जाती है। आन्तरिक व्यापार द्वारा मूल्यों को निर्धारित तथा नियंत्रित किया जाता है जब कि तीसरे विभाग समवाय कार्य विभाग में गैर-सरकारी उद्योग-पतियों को दोषी अथवा निर्दोष होने पर भी अधिक लाभ न कमाने पर कड़ा दण्ड दिया जाता है। परन्तु यह बात सरकारी क्षेत्र पर लागू नहीं होती है क्योंकि वहां के अधिकारी तो यह भी नहीं जानते कि "लाभ" शब्द होता क्या है। इसीलिये वहां बराबर घाटा हो रहा है।

गत वर्ष गांधी शताब्दी वर्ष मनाने के लिये सरकार ने एक करोड़ 20 लाख रुपये का अनुदान दिया परन्तु साथ ही मुसलमानों को खुश करने के लिए गालिब शताब्दी मनाने के लिये उन्हें 20 लाख रुपया भी दिया......**(व्यवधान)**। गालिब शताब्दी के लिये और जो धन एकत्रित किया गया वह प्रायः बड़े बड़े उद्योग पतियों से प्राप्त हुआ। बिड़ला, टाटा जैसे बड़े-

बड़े उद्योगपतियों के क्या केवल शृंगारिक काव्य के लिये दो लाख रुपये का दान दिया ? बिड़ला बन्धुओं ने एक लाख रुपया दिया और टाटा बन्धुओं ने 25,000 रुपया। यह रुपया केवल इसलिये प्राप्त हुआ क्योंकि श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद इसके संयोजक थे तथा उद्योग-पतियों को लाभ में आदि देना उन्हीं के हाथ में है। श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद को अपने पद और मन्त्रालय का ध्यान रखते हुए अपने आप को इस समारोह से अलग रखना चाहिए था।

मैंने सोचा था कि मोटर-कार उद्योग के विस्तार के लिये कोई प्रयास किया जायेगा। आज हमारे देश में 70,000 कारों की मांग है और गत वर्ष के आंकड़ों के अनुसार हम प्रतिवर्ष 35,799 कारों का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष हमें 35,000 कारों की कमी पड़ती है जब कि वास्तविकता यह है कि हमारे पास निजी योजना के अन्त तक 1,40,000 कारों का निर्माण करने की क्षमता थी।

हिन्दुस्तान मोटर्स ने जून 1965 में अपनी क्षमता को 80,000 कार तथा प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स ने 50,000 कार से बढ़ाने के लिये आवेदन किया परन्तु उद्योग मंत्रालय ने यह आवेदन ठुकरा दिया। इसके लिये पहला कारण तो यह था कि सरकार ने कारों की बिक्री पर नियंत्रण कर रखा है तथा कार लेने के इच्छुक व्यक्ति से प्रति कार 2,000 डाक घर में जमा करवाये जाते हैं। अब यह धन राशि जमा होकर 13,82,46,000 रुपये हो गई है। अब सरकार इस धन को केवल 3-1/2 प्रतिशत की दुर्लभ ब्याज दर पर उपयोग में ला रही है और इसे वापस करने में सकुचा रही है। इसी लिए कारों की बिक्री पर नियंत्रण कर रखा है और उत्पादन पर रोक लगा दी है।

दूसरा कारण सरकार की काल्पनिक छोटी कार योजना है। मैं जानना चहता हूँ कि यह कार आकार में छोटी होगी या कि मूल्य में, आकार की दृष्टि से तो स्टेंडर्ड कार बहुत छोटी है जिसमें आदमी मुड़-तुड़ कर चढ़ पाता है। परन्तु इनके मूल्यों में कमी तो तभी संभव है जब कि सरकार उन पर से विभिन्न कर और शुल्क हटा दे क्योंकि सरकार कार का एक तिहाई कीमत तो कारों और शुल्कों के रुप में ही हथिया लेती है। खैर, अब तो छोटी कार योजना की बात करना ही ग़लत है क्योंकि योजना आयोग ने इस योजना को अनुमति नही दी है। हमारे देश में तीन तरह की कारों का निर्माण होता है आज हम प्रतिवर्ष 1,40,000 कारें बना सकते हैं जब कि हमारी जरूरत 70,000 कार प्रतिवर्ष है। सरकार इस उद्योग के विस्तार की अनुमति दे। यही बात स्कूटरों के बारे में भी है। सरकार स्कूटरों का निर्माण करने की अनुमति नहीं देती।

आयोजन केवल कार्पोरेशन के बारे में मंत्री महोदय ने कहा था कि श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा प्रस्तुत पत्र जाली था। परन्तु आज मुझे शिमला से विशेषज्ञों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि श्री बी० डी० कालेलकर के हस्ताक्षर जाली नहीं हैं। दस्तावेज के अनुसार तकनीकी विकास निर्देशक, श्री बी० डी० कालेलकर, सचिव श्री एम० एन० वान्चू तथा

संयुक्त सचिव श्री के० डी० एन० सिंह ने कुछ फ़र्मों को उनके आवश्यक्ता से अधिक लायसेंस देने के लिये सांठ गांठ की थी। इनमें 14 फ़ार्में शामिल हैं। उन्होंने काला बाजार में माल बेचा तथा बहुत सारा धन कमाया एक धनिक व्यक्ति श्री के० पी० गोइनका ने केवल एक बार में 50 लाख रुपये बनाये। सरकार को इस बारे में जांच करनी चाहिये। इस संदर्भ में यदि उपयुक्त प्रयास नहीं किये जायेगें तो प्रधान मंत्री द्वारा लाया जाने वाला समाजवाद न आसकेगा। मैं उन 14 फ़र्मों के नाम नहीं लेना चाहता परन्तु गृह-कार्य मंत्री के अनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो उनके बारे में जांच कर रहा है यह एक गम्भीर आरोप है। जब स्वयम् गृह-कार्य मंत्री ने उन फ़र्मों के इस मामले में सन्देह प्रकट किया है तो श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद को भी एक समिति नियुक्त करके यथोचित जांच करानी चाहिए। अन्यथा यह भ्रष्टाचार बढ़ता ही जायेगा और समाजवाद न आसकेगा।

मेरे पास यह पत्र है और यह रिपोर्ट है, ये फोटोस्टेट कापियां है और मैं इन्हें सभापटल पर रखना चाहूँगा। यह भी खबर है कि तांबें के एक मामले में भी एशियन के बहरू ने 20 लाख रुपये बनाये। यदि ऐसा ही होता रहा तो भ्रष्टाचार की कोई सीमा ही न रह जायेगी। वह निश्चय ही इन तीनों अधिकारियों को निलंबित करके तथ्यों की जांच करा सकते थे।

वहां अच्छे लोग भी हैं परन्तु उनमें श्री आर०के० गुप्ता ने जब इन अपराधियों को पकड़ा तो उन्हें दिल्ली स्थानान्तरित कर दिया गया। यदि ऐसा होता गया तो समाजवाद असफल रहेगा। मैं आप से अपील करता हूँ कि आप इस बारें में कुछ करे। उन लोगों को मुअत्तिल करके जांच कराईये। हमारा गरीब देश भ्रष्टाचार और ऐयाशी की मार सहन नहीं कर सकता।

इस संदर्भ में एक कर्नल बी० पी० गऊ मेनन ने कार्यवाही करने की सम्भावना के बारे में एक महत्व पूर्ण रिपोर्ट की थी परन्तु उसी रिपोर्ट की उपेक्षा की गई क्योंकि श्री बी० डी० कालेलकर 4 लाख रुपया बनाना चाहते थे। यह बात इस पत्र में लिखी है। तथा यह पत्र स्वयम् ही कालेलकर के हाथ का लिखा हुआ है तथा उनके हस्ताक्षर भी सही सिद्ध हुए हैं। अतः मैं पुनः अनुरोध करता हूँ कि आप उन्हें निलम्बित करके शीघ्रातिशीघ्र जांच कराईये अन्यथा वे लोग सबूत नष्ट कर देंगे।

श्री इलापाल चौधरी (कृष्ण नगर) : देश में जो औद्योगिक विकास हुआ है उनके लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देती हूँ परन्तु साथ ही मैं सभा को यह भी बताना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद भी वहां लोगों में सुरक्षा की भवना नहीं पायी जाती। लोग किसी प्रकार की भी पूंजी लगाने में हिचकिचाते है। वहां घेराव किये जा रहे हैं तथा छोटे उद्योगपतियों के लिये, जो कि पेट की अर्थव्यवस्था की आत्मा होते हैं, बहुत परेशान किया जा रहा है। कलकत्ता की डोमीनियन रबड़ फैक्टरी के श्री समरेन्द्र नाथ चटर्जी ने गत 26 मार्च को पत्नी सहित इसीलिये आत्म हत्या की थी कि उस फैक्टरी के

मजदूरों ने उनका घेराव किया तथा अपनी मांगों के लिये दबाव डाला। उन्हें मारपीट की धमकी दी गई थी। इस प्रकार पश्चिम बंगाल का औद्योगिक वातावरण अभी तक अशान्तिपूर्ण है। वहां यदि किसी उद्योग को बनाये रखना तथा उसका विकास करना है तो ये घेराव और हड़ताल की घटनायें रोकी जानी चाहिये।

बताया गया है हड़तालों तथा ताला बंदियों के कारण भारत में 166 लाख जन-दिन नष्ट हुए। इन में बंगाल में सर्वाधिक जन-दिन नष्ट हुए क्योंकि 102 लाख जन-दिन व्यर्थ गये। 392 विवाद पश्चिम बंगाल में न्यायाधिकरण के सामने पेश किये गये जब कि महाराष्ट्र में 647 झगड़े न्यायाधिकरण के समक्ष लाये गये। इसमें बंगाल की स्थिति का ज्ञान हो सकता है। और यदि यही वातावरण चलता रहा तो वहां छोटे उद्योगों का चलना तो असम्भव हो जायेगा। स्वयं प्रधान मंत्री ने भी छोटे उद्योगों के महत्व को समझते हुए कहा है कि उद्योग देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं।

माननीय सदस्य श्री बाबुराव पटेल का यह कहना ग़लत है कि बड़े-बड़े उद्योग-पतियों ने ग़ालिब शताब्दी के लिये केवल इसलिये धन दिया क्योंकि वे मंत्री महोदय से कोई अनुचित लाभ प्राप्त करना चाहते थे। यह भी कहना ग़लत है कि बड़े उद्योगपतियों को काव्य या साहित्य से लगाव नहीं होता।

मैं सभा को दो-तीन ऐसे उद्योगों के बारे में बताना चाहती हूँ जो इस समय बड़ी कठिनाई में हैं। बंगाल के मोजे, बनियाने बनाने वाले उद्योग ने इस उद्योग में काम आने वाली 3,46,000 रुपये के मूल्य की सूईयों के कोटे के आयात की मांग की थी परन्तु उन्हें केवल 80,000 रुपये के मूल्य का ही लाइसेंस दिया गया जबकि प्रत्येक महीने में 24 सूईयों का होना अत्यंत आवश्यक है और इसी कारण इन सूईयों के अभाव मे अनेक मशीने बेकार पड़ी हैं क्योंकि यदि किसी मशीन में एक भी सूई कम हो तो वह बेकार हो जायेगी। इस प्रकार के उद्योगो में पूरा कोटा दिया जाना चाहिये ताकि ये चलते रहें इन उद्योगों में लगाभग 14,000 लोग कार्य कर रहे है और सन 1921 या 1923 से ये उद्योग चल रहे हैं। परन्तु करों के इतिहास में ऐसा पहली ही बार हुआ है कि एक हस्तनिर्मित लोहे की तिजोरी के उद्योग पर, जिसमें अधिकाधिक 100 व्यक्ति काम करते है, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाया गया है। यह इस उद्योग पर सर्वथा अन्याय है कि उस पर अन्य करों के अतिरिक्त 10 प्रतिशत का यह केन्द्रीय उत्पादन कर लगा दिया गया है।

पश्चिम बंगाल तथा सारे भारत के बुनकरों को धागा उसी मूल्य पर दिया जाना चाहिए जिस पर मद्रास में दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में बुनकरों की संख्या बहुत है और वे राज्य में रोजगार के अधार हैं पर वे मद्रास के हथकरघा वस्त्रों के मूल्यों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाते क्योंकि बंगाल में धागा महंगा मिलता है। इसी कारण बंगाल में मद्रास से हथकरघा वस्त्रों की खूब विक्री होती है। जब इस्पात के मूल्य सब जगह समान है तो धागे के क्यों नहीं है।

हिन्दुस्तान नमक कारखाने से पूछा गया था कि क्या गैर सरकारी क्षेत्र के वितरकों

ने सरकारी क्षेत्र के साथ पूरी तरह सहयोग किया। पश्चिम बंगाल को 40,000 टन नमक की आवश्यकता थी परन्तु हिन्दुस्तान नमक कारखाने ने केवल 2,000 टन ही नमक भेजा। ऐसा क्यों हुआ ? पूरी मात्रा में नमक क्यों नहीं भेजा गया जबकि वितरक वितरण के लिये तथा व्यापारी उसे एकत्रित करने के लिये तैयार थे। यह कारखाना अच्छे लाभ में भी नहीं चल रहा है और यह हो भी कैसे सकता। जबकि यह मांग तो पूरी कर नहीं सकता। यह सब कार्य-कुशलता की कमी के कारण है। एक विचित्र बात यह है कि तटीय नौवहन द्वारा नमक के लाये-जाने पर 20 प्रतिशत भाड़ा लगाया जा रहा है। यदि इस प्रकार भाड़े में 20 प्रतिशत वृद्धि की गई तो वितरक तटीय नौवहन द्वारा नहीं ले जा सकेंगे और इससे कलकत्ता पतन को कम से कम 40 लाख रुपये की हानि होगी। हम अतिरिक्त भाड़े के बारे में सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। कोयले पर यह भाड़ा नहीं लगता परन्तु फिर भी नमक जो कि सामान्य जन की आवश्यकता की वस्तु है उस पर यह शुल्क लगाया जाता है। सरकार इन बातों पर विचार करे ताकि इस व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहन तथा गति मिले। यह उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है मगर यह इतना बड़ा उद्योग नहीं है कि सरकार को कोई वित्तीय सहायता पहुंचा सके। अतः इस छोटे से उद्योग की रक्षा की जानी चाहिये ताकि यह शिक्षित बेरोज़गारों को मन्दी तथा पिछड़ेपन के शिकार होने से बचा सके।

सभी व्यवसायी तथा छोटे उद्योगपति हमेशा धन बनाने की ही नहीं सोचते, वे देश की सेवा भी करते हैं। मेरे मित्र ने यह ठीक कहा है कि सीमेंट पर से नियंत्रण हटाया जाना चाहिये। सरकार पश्चिम बंगाल में भी इससे कम पूंजी लगाकर सीमेंट उद्योग स्थापित कर सकती है जहां लोहे ढलाई खाने 60 लाख टन फालतु तार मिल सकता है पश्चिम बंगाल में सिमेंट का कोई कारखाना नहीं है सरकार वहां उद्यमकर्ताओं को सीमेंट कारखाना स्थापित करने में सहायता दे सकती है। इससे रोज़गार बढ़ेगा।

अन्त में मैं यह जानना चाहूँगी कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से छोटे उद्योगों के लिये कितनी धनराशि उपलब्ध की गई है। वह यह भी बतायें कि जो धन दिया गया है उसका कितना प्रतिशत छोटे उद्योगपतियों को उपलब्ध कराया गया है ताकि वे बड़े-बड़े व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के मुकाबले में अपना व्यवसाय चला सकें। मेरा विश्वास है कि सरकार एकाधिकारियों तथा बड़े-बड़े उद्योगपतियों पर प्रतिबंध लगा कर छोटे उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देगी।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : First of all I want to condemn what any hon. friend Shri Baburao Patel has said that Shri F. A. Ahmed took money from the Tatas and Birlas for Ghalib centenary celebrations. It is also quite wrong to say that Shri F. A. Ahmed was made chairman or convener of the Ghalib centenary committee only because be happened to be Minister of Industrial Development. Most of the hon. Members of this House are awaie that Shri F. A. Ahmed takes keen interest in the Urdu Language. He is also, perhaps, a direct descendant of Mirza Ghalib. We are, rather, glad that one of our Ministers took part in the Ghalib centenary celebrations. It was, therefore, not good on the part of Shri Baburao Patel to pass unpleasant remarks against Shri Ahmed.

Secondly, Shri Baburao Patel's contention that Gandhiji added **Ishwar Allah Tere Naam** after **"Raghupati Raghava Raja Ram"** only to please Muslims, is something deplorable. He is perhaps in the habit of finding communalism in every thing good or bad.

The new licensing policy according to which there will be no need of a licence for setting up industries with an investment of and upto one crore of rupees, is defective. Instead of helping the small enterprisers, this will help the big monopolists more, because under this policy, the monopolists will divide their undertakings under different names and make profits.

In 1956, an attempt was made to give a new direction to our economy towards socialism through the Industrial Policy Resolution, the objective of which was to prevent concentration of wealth in a few hands, and to prevent groth of monopoly in the country, and to ensure equitable distribution of wealth among the rich and the poor. But on the contrary, we find that the rich has became more rich and the poor has became more poor and thus the gulf between these two sections of the society has further widened.

From the reports of the Monopolies Commission, Mahalanavis Committee and Dutta Committee, it is quite clear that the monopoly has increased in the country. It is good that the Sarkar Commission has now been appointed to enquire into the monopolies established by the Birlas, the Tatas, and the Goenkas. But it is not know as to why Modi House and some other business houses have been kept outside the purview of this enquiry. The reasons for their non-inclusion should be explained by the hon. Minister.

In reply to a Question asked in this House on 2nd December, 1969 by Shri H. N. Mukerjee and others regarding inspection of accounts of the companies owned and controlled by Shri Ramanath Goenka, Shri Ahmed had stated that the inspection officers, who had inspected the accounts of the National Co. Ltd., and other five companies connected herewith, have submitted their reports and the nature of action that could appropriately be taken on these inspection reports was under consideration. Since then nothing is known as to what action has been taken on those reports. It is understood that the above-mentioned company had taken a loan of Rs. 30/- lakhs from the State Bank of India against some stock of jute the value of which is even less them five lakhs of rupees. The facts of the case should be made known to the public.

In reply to an other Question asked on 16th December, 1969 by Shri Indrajeet Gupta, regarding the present position of the application of the Birlas for setting up Alloy and special steel plants as units of M/s. Birla Jute Manufacturing Company Ltd., Calcutta, it had been stated that the application was under consideration and no final decision had yet been taken. The production of alloy steel is a highly specialised work and it will not be possible for this company to deliver the goods when they have no experience about the production of this item and also when it is stated that Jute Industry is passing through a crisis. Instead of modernising this jute factory and expending it, we should not entrust the production of this highly specialised item to this company. We should instead authorise expansion of Alloy Steel Plant Durgapur, for the purpose.

The news that the Birlas are shifting their head-office from Calcutta on the plea that they want to shift their office at the place of work, is disturbing because five to seven hundred workers will be thrown out of employment as a result thereof. There is some mystery behind this shifting. The matter should be enquired into by the Government.

It has been heard that a senior officer of this Ministry is on the pay-roll of M/s. Phillips as a result of which so much protection is being given to this company which is a foreign one. This should not be done at the cost of other companies.

The Saksaria Mill which is lying closed should be taken over and run on the lines of M/s. Allen Cooper of the British India Corporation so that the workers who are suffering at present due to its closure can have a high of relief.

Necessary action should be taken on the report of the commission about the British India Corporation. It is good that its chairman has registered. If the Government propose to take over this corporation, its 38 percent shares should be purchased and if it is not possible, the Board of Directors should immediately be changed.

Prampt action should be taken against **Samachar Bharti** which has violated all the rules and regulations.

If the Government make Nationalisation and prevention of monopoly a key-note of our policy, we will stand by the Government against the capitalistic parties like Syndicate, Jana Sangh and Swatantra.

श्री य० अ० प्रसाद (मचिलीपट्टणम) : औद्योगिक विकास मंत्री का कार्य बहुत कठिन है और कार्य क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित अधिकांश कार्य के लिये वह ही जिम्मेवार है ।

यद्यपि पिछले दो वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में सराहनीय सफलतायें प्राप्त हुई हैं तथापि हमारी अर्थ-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति से भविष्य में प्रगति की दर के बारे में कुछ शंकायें उत्पन्न हो गई हैं । बढ़ती हुई आय तथा जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उद्योग की विभिन्न शाखाओं में विस्तार करने की आवश्यकता है । किन्तु इस दिशा में जो प्रयत्न हो रहे हैं वे इतने उत्साहबर्द्धक नहीं हैं । गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा 1966 में 339 करोड़ रुपये की तुलना में 1969 में केवल 102 करोड़ रुपये की पूंजी के निकास की अनुमति दी गई । वर्ष 1969 के पहले छः महीनों में गैर-सरकारी क्षेत्र ने सामान्य पूंजी, अधिमान अंशों तथा ऋण-पत्रों द्वारा केवल 22.3 करोड़ रुपये जुटाये जबकि वर्ष 1968 में इसी अवधि में 39·5 करोड़ रुपये जुटाये गये थे । 1969 के समस्त वर्ष के आंकड़े शायद 1966 तथा 1967 के मंदी वाले वर्षों में जुटाई गई कुल पूंजी के आंकड़ों से भी कम ही होंगे ।

उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में निर्णय करने में सरकार बहुत समय अकारण ही बर्बाद कर देती है । सरकार को इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय करने चाहिये । सरकार को मीठापुर उर्वरक परियोजना के बारे में, मोटरगाड़ी उद्योग के विकास तथा आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अतिरिक्त इस्पात कारखाने की स्थापना, एल्यूमीनियम उद्योग की लाइसेंस प्राप्त क्षमता में वृद्धि तथा लुग्दी और कागज के कारखानों की स्थापना के बारे में शीघ्र निर्णय करना चाहिये ।

बेरोजगारी बहुत फैल रही है । प्रति वर्ष 10 लाख विद्यार्थी कालेजों से निकल रहे हैं । इस के अलावा हमारी इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थायें लगभग 15000 डिग्रीधारी तथा 24,000 डिप्लोमा-धारी तैयार कर रही हैं । इन के लिये रोजगार की व्यवस्था करनी होगी । क्योंकि यदि ऐसा न किया गया, तो ऐसी क्रान्ति होगी जो हमारे लोकतंत्र को नष्ट भ्रष्ट कर देगी । इस समस्या को हल करने के लिये हमें अलौह धातुओं, एल्यूमीनियम, कागज, लुग्दी तथा बोकारो इस्पात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण परियोजनाओं की क्रियान्विति में हो रहे इस अत्यधिक विलम्ब को रोकना चाहिये । दुर्गापुर और रूरकेला इस्पात कारखानों में अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिये । सरकारी क्षेत्र में इस समय घाटे पर चल रही अनेक

परियोजनाओं को अधिक दक्षता से क्रियान्वित किया जाना चाहिये ताकि इन से लाभ हो। अन्यथा लोगों का हमारे सामाजिक तथा आर्थीक सिद्धांतों में विश्वास नहीं रहेगा।

यह सब कहने का यह अर्थ नहीं है कि मैं वर्तमान आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के पीछे मूलभूत सिद्धांतों का विरोध करता हूँ। किन्तु मैं अदक्षता, अनिश्चितता तथा अनुपयुक्तता के विरुद्ध हूँ क्योंकि ये सभी प्रवृतियां समाजवाद की शत्रु हैं। समाजवाद कोरे नारों द्वारा नहीं लाया जा सकता है। इसे लाने के लिये हमें उन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करनी होगी जिनकी लोगों को आवश्यकता है। इसके लिये परिश्रम और व्यवहारिकता की जरूरत है।

बड़े-बड़े औद्योगिक गृहों को अधिक कठिन तथा पूंजी-प्रधान उद्योग स्थापित करने से न रोकने सम्बन्धी के सरकार का निर्णय बहुत ही बुद्धिपूर्ण है और इसे तुरन्त क्रियान्वित किया जाना चाहिये। अब जब एकाधिकार को रोकने का विधान बना लिया गया है और गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादकता तथा मूल्य निर्धारण करने के बारे में पूर्वोपाय कर लिये गये हैं, बड़े-बड़े उद्योगों के और बड़ा हो जाने के बारे में घबराने की कोई बात नहीं है। इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि आर्थिक शक्ति का आवश्यकता से अधिक केन्द्रीकरण न हो। इस समस्या का एक हल यह है कि बड़े-बड़े औद्योगिक गृहों को इस बात के लिये राजी किया जाये कि वे चीनी, सूती कपड़ा, बाईसिकल निर्माण जैसे परम्परागत तथा कम जटिल उद्योग मध्यम तथा छोटे उद्योगपतियों को सौंप दें। इन उद्योगों के अंश सामान्य जनता को बेचे जाने चाहिये। इससे बड़े-बड़े उद्योगपतियों को अपना धन कुछ नयी परियोजनाओं में लगाने का भी अवसर मिलेगा। इस प्रकार बड़े-बड़े उद्योगपतियों तथा छोटे उद्योगपतियों के बीच आर्थिक विषमता भी कम हो जायेगी।

यदि छोटे उद्योग बड़े उद्योगों के सहायक उद्योगों के रूप में कार्य करें, तो इन्हें अधिक सफलता मिल सकती है और ये अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं।

जहां तक छोटी कार परियोजना का सम्बन्ध है, वर्तमान निर्माताओं को अपना उत्पादन बढ़ाने का अवसर दिया जाना चाहिये। अब इसमें और विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि रोज़गार के अवसरों में वृद्धि करने तथा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करने के लिये मोटरगाड़ियों तथा सड़कों का होना बहुत जरूरी है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में गृह-निर्माण उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिये। इस उद्योग में कितने ही कुशल तथा अकुशल कर्मचारियों को रोज़गार दिया जा सकता है। यह ठीक है कि गृह-निर्माण तथा सड़कें राज्यों के क्षेत्राधिकार के विषय हैं, किन्तु केन्द्रीय सरकार साधनों के जुटाने के मामले में अपनी नीति को एक नयामोड़ देकर राज्य सरकारों को इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिये अप्रत्यक्ष रूप से विवश कर सकती है। इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये यह आवश्यक है कि धन कर में कमी की जाए और रिहायशी इमारतों के लिये छूट सीमा और बढ़ा दी जाए।

प्रतिरक्षा उपकरणों के मामले में हमें रूस तथा अन्य देशों पर इतना अधिक निर्भर नहीं करना चाहिये। हमें आयात किये जाने वाले उपकरणों के स्थान पर देशी उपकरण तैयार करने

चाहिये । इस कार्य में गैर सरकारी क्षेत्र के अनुभवप्राप्त औद्योगिक गृहों की सहायता ली जानी चाहिये । ऐसा करने से यूरोप और अमरीका में सामरिक महत्व के उद्योगों में कार्य कर रहे मेधावी भारतीय युवकों को भारत लौट आने और इन उद्योगों में अपना योगदान करने तथा इस देश को आत्म निर्भर बनाने के लिये प्रेरित किया जा सकेगा ।

आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक प्रगति के मामले में बहुत पीछे है । लगभग 400 लाख जन-संख्या में से केवल 260,000 अर्थात् 0·62 प्रतिशत मजदूर हैं । प्रायः सभी सुसंगठित उद्योग हैदरावाद में तथा इस के आसपास हैं । रायलासीमा तथा तटवर्ती ज़िलों में उद्योग स्थापित करने के लिये ठोस उपाय किये जाने चाहिये । रायलासीमा में एक परमाणु बिजली केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिये । तटवर्ती ज़िलों में कृषि जन्य उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं । इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ, मैं औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ ।

** **श्री कमलनाथन् (कृष्ण गिरि)** : राष्ट्रीय विकास परिषद् की हाल ही की बैठक में संविधान में संशोधन करने पर जोर दिया गया था । आज स्थिति यह है कि यदि कोई राज्य सरकार एक उद्योग आरम्भ करना चाहती है या उद्योग को आरम्भ करने के लिये कच्चे माल का आयात करना चाहती है तो उसको आवश्यक लाइसेंस लेने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुमति लेनी होती है ।

यद्यपि तामिलनाडू सरकार ने केन्द्रीय सरकार को बहुत सी उपयोगी योजनाएं भेजी हैं तथापि उनमें से किसी योजना पर भी विचार नहीं किया गया है ।

बम्बई की मैसर्स फिलिप्स इंडिया लिमिटेड ने 191 लाख रुपये लगाकर तामिलनाडू में प्रतिवर्ष 20 लाख समेकित सरकिट और अर्ध-चालक उपकरण निर्माण करने के लिये औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिये प्रस्ताव रखा था । इस एकक की स्थापना के लिये वे मैसर्स फिलिप्स आफ हालैंड के साथ सहयोग करना चाहते थे । उक्त फर्म बहुत प्रसिद्ध फर्म है और उसके उत्पादनों की संसार भर में मांग है । सरकार द्वारा इस योजना को मंजूर करने में देरी क्यों की जा रही है ? सरकार को शीघ्र ही उक्त योजना को स्वीकार करना चाहिये ।

केन्द्रीय सरकार ने मद्रास के निकट एन्नोरा में मैरीन डीजल इंजन निर्माण कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया था । यह दुःख की बात है कि उक्त योजना को अभी आरम्भ नहीं किया गया है ।

भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने तामिलनाडू में दूसरा इलैक्ट्रोनिक्स स्थापित करने के विचार से तामिलनाडू का दौरा किया था । तामिलनाडू सरकार ने इस बारे में

**तामिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजीअनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Tamil.

कर्मचारियों को सब सुविधाएं देने का आश्वासन दिया था। उक्त परियोजना से लगभग 600 बेरोजगार स्नातक इन्जीनियरों को रोजगार मिलेगा। सरकार को उक्त परियोजना को पूरा करने की ओर ध्यान देना चाहिये।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने मोटर गाड़ियों के लिये ट्यूब और घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों में प्रयोग आने वाली गैसों के लिये सिलेण्डर और सीमलैस पाइपों के निर्माण के हेतु एकक स्थापित करने के लिये उपयुक्त स्थान खोजने के लिये इंजीनियरों के एक दल ने तामिलनाडू का दौरा किया था। ऐसा विदित हुआ है कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को शीघ्र समाप्त कर दिया जायेगा। अतः राष्ट्रीय विकास निगम को समाप्त करने से पूर्व उक्त परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

मैसर्स ऐसवरन एण्ड सन्स की प्रति वर्ष की प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 10,000 टन बिजली के ठप्पे की है लेकिन उसको केवल 2000 टन बिजली के ठप्पे उत्पादन करने की अनुमति दी गई है। उक्त फर्म को अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

मद्रास एलौय एण्ड स्टेनलैस स्टील लिमिटेड को तामिलनाडू में स्टेनलैस स्टील की चादरें निर्माण करने के लिये लाइसेंस दिया गया था। उक्त योजना को तामिलनाडू सरकार क्रियान्वित करना चाहती है। और राज्य औद्योगिक विकास निगम ने उक्त कम्पनी के 51 प्रतिशत शेयर खरीद लिये हैं। वह इसकी स्थापना जापान की आई० एच० आई० के सहयोग से करना चाहती है। लाइसेंस की वैधता 31 दिसम्बर 1969 को समाप्त हो गई थी। लाइसेंस की वैधता को बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिये।

यदि सरकार 1972 तक कायम रहना चाहती है तो उसे उक्त परियोजनाओं को स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

माननीय मंत्री को देश में विद्यमान औद्योगिक विकास सम्बन्धी समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री प्र०कु० घोष (रांची) : औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सरकार लघु उद्योगों को सहायता देने के लिये हर प्रयास करेगी। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि वित्तीय संस्था द्वारा अधिकांश धन बड़े पैमाने के उद्योगों में लगाया गया है।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण किये जाने से पूर्व बैंकों के परिव्यय का 90 प्रतिशत या इससे अधिक भाग बड़े पैमाने के उद्योगों में लगा हुआ था।

लघु उद्योग बैंकों से कुछ भी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सकते थे। लघु उद्योगों से औद्योगिक क्षेत्र में 50 प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। लेकिन लघु उद्योगों को सरकार ने अधिक सहायता नहीं दी है। अतः लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना होगा ताकि लघु उद्योगों को अधिक सहायता और कच्चा माल उपलब्ध हो।

लाइसेंस देने की नई नीति से लाइसेंस देने की सीमा 25 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये बढ़ गई है। इस नीति से मध्यम वर्ग के उद्योगपतियों को बिना किसी रुकावट के उद्योगों की स्थापना में सहायता मिलेगी। लेकिन हमें इस बात की ओर भी ध्यान देना होगा कि उक्त उद्योग छोटे उद्योगों के कार्य में प्रविष्ट न करें। अतः यह आवश्यक है कि लघु उद्योगों के लिये जो सूची बनाई गई है उसमें वृद्धि की जानी चाहिये।

[श्री श्रीचन्द गोयल पीठासीन हुए
Shri Shri Chand Goyal *in the Chair*]

नई औद्योगिक लाइसेंस नीति में 25 लाख रुपये की सीमा को 1 करोड़ रुपये करने से बड़े पैमाने के उद्योग अपने उत्पादनों को कई भागों में विभक्त कर देंगे। बड़े एकक कई छोटे-छोटे एककों में विभक्त हो जायेंगे और इसके परिणामस्वरूप वे नई लाइसेंसिंग नीति में निर्धारित नई रियायतों का लाभ उठा सकेंगे। हमें इस प्रतियोगिता में छोटे पैमाने के उद्योगों के हितों की रक्षा करनी है क्योंकि लघु उद्योगों और बड़े पैमाने के उद्योगों में यह प्रतियोगिता अनुचित है।

लघु उद्योगों को उत्पादन शुल्क के मामले में कुछ रियायतें दी गई हैं। लेकिन ये रियायतें अधिकांशतया दस्तकारी उद्योग, खादी और ग्रामोद्योगों को ही प्राप्त हुई हैं और उन छोटे उद्योगों को ये रियायतें प्राप्त नहीं हुई है जो बिजली या छोटी मशीनों से काम करते हैं। 5 लाख रुपये से कम उत्पादन वाले सभी छोटे पैमाने के उद्योगों को उक्त उत्पादन शुल्क की छूट मिलनी चाहिये ताकि वे बड़े पैमाने के उद्योगों से जमकर प्रतियोगिता कर सकें।

अमरीका और जापान में लघु उद्योगों को संरक्षण देने सम्बन्धी कानून है। सरकार को देश में लघु उद्योगों की रक्षा करने के लिये इसी प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये।

लघु उद्योगों को वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है।

लघु उद्योगों को बिना कठिनाई ऋण देने की व्यवस्था की जानी चाहिये। यदि सम्भव हो तो वित्तीय संस्थाओं का 50 प्रतिशत परिव्यय लघु उद्योगों के लिये निश्चित किया जाना चाहिये। बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया गया था तब कहा गया था कि इससे लघु उद्योगों को बहुत लाभ होगा। लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। बड़े उद्योगपति बैंक मैनेजरों पर प्रभाव डालकर बहुत अधिक ऋण ले रहे हैं। अतः इस मामले में भी 30 प्रतिशत परिव्यय लघु उद्योगों के लिये निर्धारित किया जाना चाहियें।

आयातित दुर्लभ कच्चे माल का 94 प्रतिशत भाग बड़े पैमाने के उद्योग ले जाते हैं। दुर्लभ आयातित कच्चे माल का 50 प्रतिशत भाग केवल लघु उद्योगों के लिये आरक्षित किया जाना चाहिये।

श्री विश्वनाथ मेनन (एरणाकुलम) : यह बहुत महत्त्वपूर्ण मंत्रालय है और गत 22 वर्षों में देश के सामने आने वाली कठिनाइयों के लिये यह मंत्रालय उत्तरदायी है।

रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि सरकार ने कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं। लेकिन तथ्य यह है कि इस प्रतिवेदन से सरकार के दिवालियापन का बोध होता है।

बड़े-बड़े उद्योगपतियों को लाइसेंस दिये जाते हैं। सामान्य उद्योगपतियों को एक भी लाइसेंस नहीं दिया जाता। गोआ उर्वरक परियोजना का लाइसेंस बिड़ला बन्धुओं को दिया गया है।

सरकार ने विवियन बोस आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है। सरकार लोगों को धोखा दे रही है।

गत 22 वर्षों में सरकार की औद्योगिक नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

केरल राज्य को 25 लाइसेंस देने की सिफारिश की गई थी लेकिन इसको एक भी लाइसेंस नहीं दिया गया। सरकार केरल राज्य की विशेषकर उपेक्षा कर रही है। वहां 5000 शिक्षित इंजीनियर बेरोजगार हैं।

गत 10 वर्षों से केन्द्रीय सरकार कोचीन में जहाजों के निर्माण के लिये यार्ड की स्थापना कर वचन देती आ रही है। लेकिन इस बारे में कुछ भी नहीं किया गया है।

सरकार राष्ट्रीय अखंडता की बात करती है लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार मछलियों का निर्यात कर विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रही है लेकिन जब वहां लघु उद्योग स्थापित करने का प्रश्न आता है तो सरकार इसके लिये तैयार नहीं होती। केरल सरकार के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिये और उसे उसका वांछनीय हिस्सा मिलना चाहिये।

हमारे देश में कारीगर लोगों की कमी नहीं है। साबरगिड़ि और इद्दिका परियोजनाओं के पूरा होने के बाद बिजली काफी मात्रा में उपलब्ध होगी। केरल राज्य में और उद्योग स्थापित किये जाने चाहिये और राज्य को अन्य राज्यों के समान समझा जाना चाहिये। केरल राज्य की दशा बहुत दयनीय है। अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि केरल राज्य सरकार द्वारा मांगे गये 25 लाइसेंसों में से कम से कम एक लाइसेंस अवश्य दिया जाय।

सरकार को अपनी औद्योगिक नीति में परिवर्तन करना चाहिये और पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये। मैं एक बार फिर निवेदन करुँगा कि राज्य में कम से कम एक उद्योग स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिया जाना चाहिये।

Shrimati Lakshmi Kant Lamme (Khammair) : Monopolistic tendency is increasing in the country day by day. The gap between the rich and the poor is also increasing. The rich are becoming, richer and the poor are becoming poorer. In case this situation continues for sometime more democracy will be in danger and the fundamental rights enshrined in the constitution will be nullified.

The monopolistic tendencies in the country should be removed. People are suffering due to this monopolistic tendency.

The Monopoly Enquiry Commission has stated in its report that the hold of the big business houses on the press is having an unhealthy influence on society is as much as it obstincts the free formation of public opinion and moulds people's minds in the manner unduly favourable to the selfish interest of businessmen.

The Government has not taken any step to remove this danger. There are no concrete provisions for this purpose in the Restrictive Trade Practice Act.

The Press should work in the interest of the society. The Government has abolished the managing agency system in the industry. It should also abolish managing agency system in the Press. There should be social control on Press.

Andhra Pradesh is a very backward area from the point of view of industrial development. Andhra Pradesh gets 8.5 percent income from industrial sector whereas national average comes to 18 percent.

A small Car project should be established in Andhra Pradesh. The climate and the geographical situation of Andhra Pradesh are quite suitable for this project. Certain other facilities are also available there.

Paper Industry can also be established in Andhra Pradesh. It is better if it established in Public Sector there.

Reference has been made to the representation of Shri Sanjay Gandhi regarding the manufacture of small car. He is an unemployed technician. It will be injustice to him if he is not allowed to proceed with this project simply because he is the son of the Prime Minister. Justice should be done to him.

श्री श्री निवास मिश्र (कटक) : जब कभी उत्पादन में कमी होती है या उत्पादन में हानि होती है तो हमेशा वही बहाना बनाया जाता है। जब कभी उत्पादन में कमी होती है तो सामाग्री की कमी या मंदी या श्रमिक विवादों को इसके लिये दोषी ठहराया जाता है।

परिवहन उपकरणों में गत वर्ष की तुलना मे 2.2 प्रतिशत उत्पादन घट गया है, रेलवे में 3.3 प्रतिशत, जूतों के निर्माण और कपड़े तथा तैयार सूती सामान का उत्पादन 4.4 प्रतिशत कम हो गया और पटसन् के उत्पादन में 28.6 प्रतिशत की कमी हो गई। लगभग 200 वस्तुओं का उत्पादन कम हो गया है।

देश में निर्यात में कमी हुई है लेकिन इसके साथ-साथ यह कहा जाता है कि निर्यात प्रोत्साहन नीति पर जोर दिया जा रहा है।

पहले की भांति विदेशों से सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। विदेशों से नये सहयोग ऐसी शर्तों पर किये जा रहे हैं जो पहले की शर्तों की तुलना में भारत के कम हित में हैं। प्रतिवेदन में हानि का उल्लेख नहीं किया गया है।

1968 में दियासलाई के उत्पादन में 9.5 प्रतिशत वृद्धि हुई लेकिन 1969 में इसका उत्पादन 4 प्रतिशत कम हो गया। 1968 में 504000 साइकिलों का उत्पादन किया गया परन्तु 1969 में केवल 429000 साइकिलों का उत्पादन किया गया इसी प्रकार अन्य वस्तुओं के उत्पादन में भी कमी हुई।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किये जाने चाहियें। उड़ीसा में जितना पटसन उत्पन्न होता है उससे एक से अधिक पटसन मिल की आवश्यक्ता पूरी की जा सकती है। अतः उड़ीसा में एक पटसन मिल स्थापित की जानी चाहिये।

सरकार ने लघु उद्योगों के लिये वित्तीय सुविधाएं देने का उल्लेख किया था। लेकिन उड़ीसा जैसे पिछड़े क्षेत्र में इन सुविधाओं की कभी भी व्यवस्था नहीं की गई।

हथ करघा क्षेत्र को पर्याप्त संरक्षण नहीं दिया गया है। यह नियम बना दिया गया था कि विद्युतकरघों द्वारा रंगीन साड़ियों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिये। लेकिन इस उपबन्ध का कठोरता से पालन नहीं किया जा रहा है। विद्युतकरघों द्वारा रंगीन साड़ियां बनाई जाती हैं और उन्हें हाथकरघे की बनी साड़ियों के रूप में पास किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप रंगीन साड़ियां बनाने वाले बहुत से जुलाहे बेरोजगार हो गये हैं। खरीददार उनकी साड़ियां नहीं खरीदते क्योंकि विद्युत करघे से बनी साड़ियां सस्ती हैं।

यह प्रशंसा की बात है कि सरकार ने बेरोजगार इंजीनियरों को नये उद्योग आरम्भ करने के लिये सहायता देने तथा उन्हें लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति की घोषणा कर दी है।

लेखापरीक्षक तथ्यों को छिपाने का प्रयास करते हैं। लेखापरीक्षकों की कार्यप्रणाली को नियमित बनाने के लिये नियम बनाये जाने चाहिये जैसे लागतलेखा सम्बन्ध में किया गया है। यह नियम ऐसे बनाये जाने चाहिये जिससे लेखापरीक्षक सब तथ्यों को प्रकट करने पर मजबूर हो जाये।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : लेखापरीक्षकों पर यह निराधार आरोप लगाया गया है। अनियमित कार्यवाही करने वाले लेखा परीक्षकों के विरुद्ध इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कार्यवाही की जाती है।

औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : चर्चा के दौरान श्री रामनाथ गोयन्का से सम्बन्धित कुछ बातों का उल्लेख किया गया है। इस बारे में स्थिति यह है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरों को 14 फरवरी, 1970 को पहली सूचना प्राप्त हुई और उसने आवश्यक प्रबन्ध करने के बाद कलकत्ता और मद्रास, जिसमें श्री रामनाथ गोयन्का का निवास स्थान भी शामिल था, 25 और 28 मार्च को छापे मारे और उसने इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बहुत बड़ी संख्या में शेयर तथा कुछ अन्य दस्तावेजों पर जांच करने के लिये कब्जा कर लिया।

कम्पनियों द्वारा विज्ञापनों के रूप में चन्दे देने के बारे में सभी वाणिज्य मंडलो और अन्य संगठनों का ध्यान परिपत्र जारीकर इस कानून के उपबन्धों की ओर दिलाया गया था। यदि फिर भी कानून का पालन नहीं किया जाता तो कानून के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

समाचार भारती के मामले में कम्पनियों के रजिस्ट्रार जांच कर रहे हैं और वे आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर रहे हैं।

अन्तःसम्बद्ध उपक्रमों की बहुत व्यापक परिभाषा की गई है। हम इस बारे में विचार कर रहे हैं हमें उस परिभाषा को जांच के बाद अनिश्चित बनाने की अपेक्षा निश्चित बनाना है।

प्रदत्त पूंजी और आस्तियों में बहुत अन्तर है। लेकिन यदि एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया जाये तो उससे विदित होता है कि प्रदत्त पूंजी अथवा आस्तियां ऐसी नहीं होनी चाहिये जिससे समुदाय के साधनों पर किसी विशेष व्यक्ति या कम्पनी का नियंत्रण हो जाये।

बड़ी-बड़ी कम्पनियां यदि अपने धन का सदुपयोग करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं, परन्तु जब वे उत्पादकता बढ़ाने की बजाय मुनाफाखोरी करती हैं और एकाधिकारवादी बन जाती हैं तो यह उचित नही है। हम ऐसी प्रवृत्ति को रोकना चहते हैं।

हम स्वस्थ स्पर्धा द्वारा एकाधिकार को समाप्त करना चाहते हैं। इसके लिये हम कार्यवाही कर रहे हैं। सरकारी एकाधिकार को एकाधिकार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सरकार तो समूचे देश की है। इस समय हमारे देश में कुछ बड़े-बड़े एकाधिकारी देश के आर्थिक जीवन को अपने नियन्त्रण में किये हुए हैं। हमें इसे समझाना है। दिसम्बर, 1968 के रिजर्व बैंक के बुलेटिन से पता चलता है कि राष्ट्रीयकरण से पहले बैंकों ने कैसे गड़बड़ की थी और राष्ट्रीयकरण क्यों उचित है। आप वर्ष 1967 के आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि कैसे बहुत कम व्यक्तियों ने बैंकों से बहुत अधिक लाभ उठाया। ये वही व्यक्ति थे जिन का कि बैंकों पर नियन्त्रण था।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : आप इस बात की ओर भी ध्यान दीजिये कि इस ऋण से उन कुछ एक व्यक्तियों ने देश के कुल उत्पादन में कितना अधिक अंशदान दिया है। उनके उत्पादन की आप सरकारी क्षेत्र के उत्पादन से तुलना कर के देखिये। सरकारी क्षेत्र में 3500 करोड़ रुपया लगा है और उसमें 35 करोड़ रुपये का घाटा है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : देश के बैंकों में जमा राशियों में अधिकांश राशियां सरकार की और जनसाधारण की होती हैं। आंकड़ों से ज्ञात होता है कि भारत में बैंकों में जमा राशियों का कुल 4.3 प्रतिशत उद्योगपतियों तथा व्यापारियों का धन है और अन्य लिमीटेड कम्पनियों का अंश केवल 0.1 प्रतिशत है जब कि ऋणों के रूप में कुल जमा राशियों का ये लोग 60 प्रतिशत ले जाते हैं। इस प्रकार बैंकों का प्रयोग किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में बैंकों का राष्ट्रीयकरण बहुत आवश्यक था।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध नहीं है। सरकार तो एकाधिकार की प्रवृत्तियों के पनपने के खिलाफ है हम मिश्रित अर्थ व्यवस्था के पक्ष में हैं। यदि गैर-सरकारी क्षेत्र जन हित में कार्य करता है तो यह बहुत अच्छा होगा। हां, इसे देश की राजनीति पर हावी नहीं होने दिया जा सकता।

अन्त में मैं यह कहना चहता हूँ कि सामाजिक न्याय को हमने अपना लक्ष्य बनाया है। सामाजिक परिवर्तन के मार्ग की रुकावटों का सफाया कर दिया जायेगा। देश की प्रगति को रोका नहीं जा सकता।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, it is about five years since Smt. Indira Gandhi has been our Prime Minister. During this period country has not made any prog-

ress in the field of industry. Our agriculture depends on rains, but industrial growth can be stepped up by Government's efforts. There has been negligible progress during the period our Industrial Development Minister has held office. It proves the inefficiency of this Ministry.

The Ministry has not been successful decentralising the economic power in our country. After the Bombay Session of Ruling Congress three major decisions have been taken. Birlas have been allowed to establish a fertilizer plant in Goa, the prices of steel have been enhanced and the prices of Vanaspati Ghee have been increased. This shows that Government is not acting on its to own declared policies. Some old policies are being pursued. The slogan of socialism is only a propoganda.

The managing agency system has been abolished but some old malpractices are being indulged in some other form. Government has s opped giving of donations to political parties, but money is being given to parties in the name of advertisements in souvenirs. I want to know from the hon. Minister the member of companies against which action has been taken.

The managing agency system was abolished with a view to end favouritism and nepotism. We wanted to develop professional management. Now I find that those very persons who were having managing agencies have been appointed managing directors. I have written to the Minister giving details about 8 or 10 companies. Have they taken any action in this regard ? I would like the hon. Minister to clarify the position. I would further like that these directors should be appointed for a period of three years instead of five years. The matters referred to in my letter should be throughly checked up. A limit should be put on the facilities to be enjoyed by these directors. Another point I want to refer to is that old contratcs should be repeated and new contracts should be entered into on the basis of suggestions given here.

I feel that no action is taken against big people if they violate the law of the land. Now the son of our Prime Minister has manufactured a car and that car is being used. I want to know whether excise duty has been paid on that car or not ? We are beating the drum of socialism day in and day out. What is the use of that, if big people themselves are not abiding by the law. One of our minister's son is a whole time managing Director of M/s. Baroda Rayon. I want to know whether any action would be taken against that company ? Similarly many other big concerns are indulging in malpractices.

I find that private sector has become a place of nepotism and in public sector bureaucrats are proving stumbling blocks. In this way young persons of merit are not getting opportunities. Government should announce its policy in regard to conversion of loans into equity shares by big companies. After the abolition of managing agency system a new practice by the name sole distributorship has been started. Government should give its reaction on this and a law should be enacted in this regard.

Their licencing policy is very defective. It does not help in promoting healthy competition or in increasing production in the country. There was a dispute between workers and management at Modi Nagar recently. The enquiry committee has stated that no industrial dispute at that place has ever been sent to a tribunal. It is because Modis help this Government and U. P. State Government.....

Shri M. A. Khan (Kasganj) : He had written a letter to the Prime Minister in the pamphlet case to which she had sent a reply and in the Giri case he passed on the letter to Syndicate and that has been produced in the court.**

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से हटा दिया गया ।
Expunged as ordered by the chair.

Shri Madhu Limaye : I must be allowed to give personal explanation. Sir, the election of successful candidate, whom we had extended our support, is in danger. I had written a letter to the Election Commissioner in order to avoid that danger. (*interruptions*) He must withdraw his words or you should order that those remarks would be expunged. I would like this matter to be referred to the committee on privileges. A decision should be taken in this regard.

Shri Rabi Roy : Sir, you should give your decision in this regard.

Shri Madhu Limaye : This should be expunged.

Mr. Chairman : It is not proper to make personal allegation (*interruption*). It will not remain on record. You should conclude now.

Shri M. A. Khan : Both the remark should be expunged.

Mr. Chairman : We will see that

Shri Nageshwar ~~Divedi~~ (Machhlishahi) : Sir, I support the demands of the Ministry of Industrial Development. It is fact that during the last 23 years of independence, a large number of industries have been set up in the country and it has made considerable progress. I want to congratulate the Government on its achievements. We cannot, at the same time, relax our efforts. Much remains to be done still. We have to adopt modern scientific methods in our production work. Small scale industries have to be established in the rural areas.

The rural areas are very much neglected and backward. We should provide necessary facilities there, so that our villages can make progress. Without the improvement of villagers lot India cannot make progress. India is a country of villages. Greater part of India's population lives in villages. Roads should be constructed to connect villages. Electricity should be made available in villages at cheap rates. It is very essential for industrial development of backward areas. A net work of railway lines should be laid in the country keeping in view the rural areas. The raw material should be provided to new industrial units. I feel that had Government paid proper attention to the development of agriculture, the country would have been spared of huge imports of foodgrains and similarly had they encouraged small industries, there would not have been unemployment on such a large scale in the country.

We have not propagated and encouraged small scale industries is rural areas and the results are before us. We are guilty of neglecting these areas. I would like the Government to take necessary steps in this direction. The progress of the country depends on the progress of the villages. We must put in maximum efforts to improve the lot of villagers. The difficulties of the villagers should be removed. I hope the hon. Minister will pay proper attention to this.

Leaving aside some western districts the entire Uttar Pradesh is in the grip of poverty. The people of this State are peace loving people. They have no faith in violence. They do not want to agitate. It is, perhaps, due to this fact that their area remains neglected. I request the Government to pay attention to this area and develop it.

Shrimati Jayaben Shah (Amreli) : Sir, we have listened to many supports of socialism. I want to know from the Government as to how are they going to solve the problem of educated unemployed people? There are about 5 crore persons in our country who have no work to do. About 15% among them are educated unemployed.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

I want that Government should give the right to work to the people. It would be a great step towards socialism. We cannot solve problems by criticising others. We will have to do solid work instead of raising slogans.

I want to know what steps are envisaged in the next plan for encouraging the setting up of small scale industries in rural areas. I know there is a section of the people which do not want that Khadi should be encouraged. I want that Government should clarify its policy in this regard and remove the fears of the people. It should deciare its policy in regard to handloom and Khadi industries.

If we want to bring socialism we must encourage small scale industries. It will solve the problem of unemployment.

---

6 अप्रैल, 1970 को दिल्ली में पुलिस द्वारा किये गये लाठीचार्ज में घायल हुए संसद सदस्यों की स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENTS RE : CONDITION OF M.P'S INJURED IN THE POLICE LATHI CHARGE IN DELHI ON 6TH APRIL, 1970

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैंने श्री राजनाराण और श्री जार्ज फरनेन्डीज की हालत के बारे में अस्पताल से पता चलाया है। श्री राजनारायण के पांव की हड्डी टूट गई है। उनकी टांग पर पलस्तर लगाया गया है। उन्हें लकड़ी के सहारे से चलने को कहा जा रहा है। वैसे उनकी हालत सन्तोषजनक है। श्री जार्ज फरनेन्डीज का उपचार हो रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने श्री जार्ज फरनेन्डीज को अस्पताल में देखा है। उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा गया है। उनके सिर में चोट आयी है। एक बार विलिंगडन अस्पताल से छुट्टी कर दिये जाने के बाद उन्हें चिकित्सा संस्था में भर्ती करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : उन्हें विलिंगडन अस्पताल से उन्हीं के कहने पर छुट्टी दी गई थी ताकि वह आल इण्डिया मैडिकल इन्स्टीट्यूट में दाखिल हो सकें।

अनुदानों की मांगें, 1970-71

DEMANDS FOR GRANTS, 1970-71

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय

श्री स्वतन्त्रसिंह कोठारी (मन्दसौर) : मैं दो सुझाव देना चाहता हूँ। एक तो देश में उत्पादन बढ़ाने के भरपूर प्रयत्न किये जाने चाहियें, क्योंकि मुद्रा स्फीति की प्रवृति हानि पहुँचा सकती है। लाइसेंस देने की प्रणाली सरल बनायी जानी चाहिये। उद्योगों के प्रोत्साहन के लिये यह बहुत आवश्यक है। आर्थिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकना चाहिये। लघु उद्योगों की जापानी प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आयेगी।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : माननीय सदस्यों ने कुछ बहुत ही अच्छे सुझाव दिये हैं। मैं उन्हें आश्वासन देता हूँ कि उन पर पूरी गम्भीरता से विचार किया जायेगा। साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारी अर्थ व्यवस्था की मूलभूत बातों की ओर पूरी तरह से ध्यान दिये बिना ही कुछ लोगों ने अपनी बात कही है।

यदि हम तथ्यों तथा आंकड़ों पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि गत दो वर्षों में काफी प्रगति हुई है। हां, मैं यह मानता हूँ कि 1966-67 में मंदी के कारण विकास में प्रगति नहीं हुई थी। वैसे 1965 तक की प्रगति भी अच्छी थी। वर्ष 1968-69 में स्थिति अच्छी रही है और आगामी वर्ष में अच्छी रहने की आशा है। कपड़े को छोड़कर शेष सभी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। खाद्य उत्पादों, उपभोक्त माल और इस्पात उत्पाद में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वर्ष बिजली के उत्पादन में लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इंजीनियरिंग माल के उत्पादन में बहुत सन्तोषजनक वृद्धि हुई है। उर्वरक के चार नये कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं। आंकड़ों से ऐसा पता चलता है कि 1968-69 में औद्योगिक उत्पादन में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि इस्पात की उपलब्धता में कुछ महीनों से कठिनाई महसूस की जा रही है। इससे विकास दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ हमने इस बात का ध्यान रखा है कि नये कारखाने स्थापित करने के साथ-साथ पुराने कारखानों की क्षमता का भी पूरा-पूरा लाभ उठाया जाये।

नये लाइसेंसों के लिये वर्ष 1968-69 में पहले के दो वर्षों की अपेक्षा अधिक संख्या में आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं। हम बड़ी-बड़ी वित्तीय संस्थाओं के धनको जनता के हित के लिये प्रयोग में लाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कुछ बड़े-बड़े उद्योगपति तथा व्यापार गृह तो बहुत लाभ प्राप्त करें और सामान्य अंशधारियों को कोई लाभ न हो।

यह उल्लेख किया गया है कि औद्योगिक वातावरण अनुकूल नहीं है। परन्तु यह सच नहीं है। 1968 में 379 औद्योगिक लाइसेंस और आशय पत्र दिये गये जबकि 1969 में ये आंकड़े 552 थे। 1965 से पूर्व के आंकड़ों की अबके आंकड़ों से कोई तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि उस समय 25 लाख के निवेश वाले अनेक उद्योगों के लिये बहुत बड़ी संख्या में लाइसेंस दिये गये थे और 1966 और 1968 के बीच अनेक मदों के लाइसेंस वापिस ले लिये गये ? उक्त सीमा को अब एक करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है और यदि भविष्य में लाइसेंसों की संख्या में कमी होने के बावजूद भी हमारी अर्थव्यवस्था में प्रगति होती रहे तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं होगी।

त्रिरूचि का कारखाना संतोषपूर्ण ढंग से काम कर रहा है। यद्यपि इसने तीन वर्ष पूर्व काम करना आरम्भ किया था तथापि उक्त कारखाने की कुल बिक्री 19 करोड़ रुपये से अधिक है। हरिद्वार स्थित एकक में 86 करोड़ रुपये की पूंजी परिव्यय किया गया है और यह एकक अभी निर्माण की अन्तिम अवस्था में है। यह कहना गलत है कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स पहले लाभ में चल रही थी अब घाटे में चल रही है। 1966-67 तक उक्त एकक निर्माणाधीन

था और 1967-68 में इस एकक ने उत्पादन कार्य आरम्भ किया। इसे तब हानि हुई जो 1968-69 तक जारी रही।

उत्पादन और बिक्री सम्बन्धी स्थिति में सुधार हुआ है और जिस आशय से इसका निर्माण किया गया था वह लगभग सिद्ध होता रहा है। गत दो वर्षों में, जो शिथिलता पर काबू पाने के वर्ष भी थे, इन सभी उद्योगों में उत्पादन और बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और उनमें से कुछ उद्योग निर्यात भी करने लगे हैं, जिसे साधारण सफलता नहीं कहा जा सकता। भोपाल स्थित हैवी इलैक्ट्रीकल्स कारखाने में 1967-68 में कुल 2300 लाख रुपये के माल का उत्पादन हुआ और 1968-69 में 3400 लाख रुपये के माल का उत्पादन हुआ। श्रमिकों में असंतोष के बावजूद भी 1969-70 में उत्पादन में वृद्धि हुई है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में मंदी और उसके बाद के प्रभाव के कारण उत्पादन कार्यक्रम में कमी कर दी गई थी लेकिन वर्ष 1968-69 में इसके उत्पादन में वृद्धि हो गई है और श्रमिकों की मजदूरी में भारी वृद्धि किये जाने के बाबजूद भी उक्त एकक को लाभ होता रहेगा।

नेपा मिल्स में 1969-70 में कागज का 39,000 टन उत्पादन हुआ जबकि 1968-69 में उक्त मिल में कागज का 31,000 टन उत्पादन हुआ। हिन्दुस्तान केबिल्स और नेशनल इंस्ट्रुमेन्ट्स कलकत्ता, जिन्हें घेराव और अन्य श्रमिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, को छोड़कर अन्य सब औद्योगिक एककों का उत्पादन इस मंत्रालय के नियंत्रण में है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले बड़े एककों को जिनका प्रबन्ध उच्च प्रसिद्धि प्राप्त फर्मों के हाथ में है और जिन्हें विदेशी विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त है, भी उद्योग आरम्भ करने के पहले 4 महीनों में अधिक लाभ नहीं हुआ।

यह कहा जाता है कि संगठित क्षेत्र में 50 प्रतिशत पूंजी लगाने के बाद भी सरकारी उपक्रम कुल उत्पादन का केवल 13 प्रतिशत उत्पादन करते हैं। इस प्रकार तुलना करना उचित नहीं। हमें सैकड़ों छोटे बड़े उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में लगे उद्योगों की तुलना उन सौ से भी कम सरकारी उपक्रमों के साथ नहीं कर सकते जो सामरिक क्षेत्र में हैं। उनका योगदान और कार्य भिन्न है यह हमें स्वीकार करना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिन क्षेत्रों में सरकारी उपक्रमों ने कार्य आरम्भ किया है वहां उत्पादन में काफी अधिक वृद्धि हुई है।

मैं यह बात स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ कि गत दो वर्षों में उद्योगों का विकास नहीं हुआ है या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य में सुधार नहीं हुआ है।

सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले उपक्रम प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित नहीं किये जा सकते इनको स्थापित करने का उद्देश्य न केवल निकट भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है बल्कि आगामी 10-15 वर्ष की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है अतः प्रारम्भिक अवस्था में उनकी क्षमता कम रहना स्वाभाविक है क्योंकि न तो उनके उत्पादों की देश में मांग होती है और ना ही उक्त विशेष मदों के लिये निर्यात बाजार का विकास होता है। मंत्रालय ने बहुत से ऐसे उपाय किये हैं जिससे उद्योग ऐसी वस्तुओं का निर्माण कर सकें जिनका निर्यात किया जा सके।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है। अभी भी इन क्षेत्रों में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। स्थिति में सुधार करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। आशा है कि उक्त कार्यवाही किये जाने के परिणामस्वरूप बेकार पड़ी क्षमता का प्रयोग किया जा सकेगा और ऐसा करने के बाद आन्तरिक प्रयोजन और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये ऐसे ही अन्य उद्योगों की स्थापना की जायेगी।

जहां तक कागज का सम्बन्ध है मांग की तुलना में सप्लाई कम है और 1972-73 तक 3 लाख टन कागज की कमी रहेगी। 1968 में इस उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था और काफी समय तक विनियन्त्रण भी रहा। उत्पादन शुल्क और विकास के लिए अच्छी छूट और अन्य रियायतें देने के बावजूद भी गत वर्ष में नये एककों की स्थापना के मामले में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। मूल्य विनियन्त्रण करने के 18 महीने बाद की अवधि में मूल्य बढ़कर लगभग 400 रुपया प्रति टन हो गये। उत्पादन के तरीके में भी परिवर्तन हो गया। स्कूल की कापियों के लिये प्रयोग किये जाने वाले कागज का उत्पादन घट गया और पैकिंग के कागज तथा अन्य कागज के उत्पादन में वृद्धि हो गई। इसके कारण देश में कागज की कमी हो गई और कागज को चोर बाजार में बेचा जाने लगा। जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई तो क्या सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती ?

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : What interim arrangements Government is making regarding the availability of the paper ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है। हमने निर्माताओं, व्यापारियों और उपभोक्ताओं की बैठक बुलाई है। इस मामले पर विचार हो जाने के बाद वर्तमान परिस्थिति के अनुसार जो भी कार्यवाही उपयुक्त होगी, वह की जायेगी।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : स्कूटरों की चोर-बाजारी की जा रही है। सरकार ने उनका उत्पादन बढ़ाने के लिये किसी नये कारखाने को लाइसेंस क्यों नहीं दिया ?

श्री कंवर लाल गुप्त : सरकार को सफेद कागज का निर्माण करने के लिये निर्माताओं पर जोर डालना चाहिए।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : इस कागज के उत्पादन के मामले में पुराने तरीके पर कायम न रहने के बारे में हम निर्माताओं से पूछेंगे।

स्कूटरों का निर्माण करने के लिए पांच फर्मों में से दो फर्मों का लाइसेंस दिये गये थे। उन्होंने स्कूटरों का उत्पादन न कर मोटर साइकिलों का उत्पादन आरम्भ किया। एक फर्म ने हाल ही में अपना लाइसेंस वापिस कर दिया है और एक अन्य फर्म ने अभी हाल ही में उत्पादन कार्य आरम्भ किया है। दो एकक ऐसे हैं जिनमें विस्तार की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मांग और सप्लाई में इतना अन्तर है कि इसकी पूर्ति के लिये सरकार को सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना खोलना होगा।

श्री विश्वनाथन मेनन (एरण्यकुलम) : आप उन कारखानों को केरल में खोलिए।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हमने इस बारे में कुछ शर्तों की घोषणा की है यदि केरल में ये शर्तें पूरी होती हैं तो वहाँ कारखाना स्थापित करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

स्कूटरों का सरकारी क्षेत्र में उत्पादन करने के बारे में अध्ययन करने के लिये एक तकनीकी समिति नियुक्त की गई थी । वह अपना प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करेगी । उसका प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर इस बारे में कार्यवाही की जायेगी ।

इस समय छोटी कार निर्माण कर रहे तीन कारखानों में से दो कारखानों की विस्तार में रूचि नहीं है । एक कारखाना विस्तार में रूचि रखता है लेकिन उसके द्वारा निर्मित कारों में शिकायतें मिली हैं अतः हमने उसे अनुमति नहीं दी ।

मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि चेतावनी देने के बावजूद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है ।

1972-73 में कारों की आवश्यकता प्रतिवर्ष 65,000 से 70,000 के बीच होगी । इसी कारण सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है । इस क्षेत्र में निर्मित कार का मूल्य बाजार मूल्य से 5,000 या 6,000 कम होगा । अब एक सरकारी उपक्रम भी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकता है । अतः अब हम इस बात का पता लगाने का प्रयास करेंगे कि सरकारी क्षेत्र में कारों का निर्माण करने के लिये हम वित्तीय संस्थाओं से कितनी सहायता ले सकते हैं ।

प्रधान मंत्री और उनके पुत्र ने कभी भी पक्षपात की मांग नहीं की है और न ही उनके साथ कोई पक्षपात किया जायेगा । इस सम्बन्ध में गुण और दोषों के आधार पर निर्णय किया जायेगा ।

प्रधान मंत्री के विरुद्ध राजनीतिक अभिप्रायों से धन लेने के आरोप निराधार हैं ।

कांग्रेस कोष के लिये दिये गये चन्दों के बारे में भी उल्लेख किया गया है । इसकी जानकारी संतुलन-पत्रों से प्राप्त हो सकती है और रजिस्ट्रार द्वारा छानबीन कर लेने के बाद ही इस बारे में कोई कार्यवाही की जा सकती है ।

Shrimati Jayaben Shah (Amreli) : The name of the company, which gave the advertisement should be made public. How can there be publicity without the name of advertiser.

श्री मृत्युंजय प्रसाद (महाराजगंज) : विज्ञापन देने वाले व्यक्ति या फर्म के नाम का पता तो अवश्य ही लगना चाहिए अन्यथा विज्ञापन कैसा ? यह विज्ञापन है अथवा दान ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में रजिस्ट्रार को लिख सकते हैं और फिर उस पर कार्यवाही की जायेगी । यहां पर इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठाये जाने चाहिए । यदि आपके पास कोई विशेष मामला है तो आप उसे मेरे पास भेज दें मैं उसे सम्बन्धित अधिकारी के पास उचित कार्यवाही के लिए भेज दूंगा ।

श्री मृत्युंजय प्रसाद : आज यह तय कर लिया जाये कि सभा में इस प्रकार के मामले

उठाये जायें या नहीं। मैं मंत्रालय से सम्बद्ध मंत्री के सामने यह कह रहा हूँ फिर मुझे रजिस्ट्रार के पास जाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस सम्बन्ध में मैं अधिक नहीं जानता। जहां तक धारा 293 क का सम्बन्ध है उससे केवल फर्मों द्वारा दलों को चन्दा दिये जाने पर रोक लगी है। किन्तु मैं यह नहीं जानता कि एक व्यक्ति विशेष को जिसने चन्दा दिया है, दंडित कैसे किया जाये।

यह कहना कि 1967 के बाद तमिलनाडु राज्य को लाइसेंस नहीं दिये गये गलत है। वर्ष 1967 में वहां से 42 आवेदन प्राप्त हुए थे और 17 आवेदकों को लाइसेंस और 15 आशय पत्र दिये गये थे। 1969 में कुल 100 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 13 पर लाइसेंस और 22 पर आशय पत्र जारी किये गये। कुछ आवेदन अभी विचाराधीन भी हैं। माननीय सदस्य ने भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड के सहयोग में बिना जोड़ वाली ट्यूबों के बनाने के लिए दिये गये आवेदन के बारे में भी जिक्र किया है। सरकार ऐसा संयंत्र हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के किसी कारखाने के समीप ही स्थापित करना चाहती है। बिना जोड़ वाली ट्यूबों को केवल भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड प्रयोग में लाता है। इस दृष्टि से इस संयंत्र को तमिलनाडु में स्थापित नहीं किया जा सकता। जो परियोजना तकनीकी दृष्टि से ठीक होगी, उस पर अवश्य विचार किया जायेगा।

जहां तक लघु उद्योगों को बैंकों द्वारा दिये गये ऋण का सम्बन्ध है, 30 नवम्बर 1969 तक 67396 लघु एककों को 676·58 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी थी।

गालिब शताब्दी समारोह में उद्योगपतियों ने चंदा दिया था एक माननीय सदस्य ने कहा कि उक्त प्रयोजन के लिए चंदा देने वाले उद्योगपतियों को मुझे रोकना चाहिए था। मैंने चंदा देने के लिए किसी पर दबाव नहीं डाला था। डा० कालेलकर के उल्लेख पर भी मुझे दुख हुआ। उनका मामला एक बार पहले भी सभा में उठ चुका है डा० कालेलकर के मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराई गई थी और निष्कर्ष यह निकला था कि दस्तावेज (फोटो स्टेट प्रति) जाली है। मामले की जांच अभी तक चल रही है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जांच के अन्तिम निष्कर्षों के अनुसार जो व्यक्ति अपराधी पाया जायेगा उसे कठोर दंड दिया जायेगा। जब तक इस मामले से सम्बद्ध अन्य प्रमाण न प्रस्तुत किये जायें तब तक इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो तीन संसद सदस्यों से पूछताछ करना चाहता था किन्तु उनमें से केवल एक सदस्य ने वक्तव्य दिया।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, on a point of clarification. I want to tell that the Madhu Limaye, Naidu and myself were the three Members who made this allegation. Nobody from C. B. I. came to me in this connection. I wrote to Shri Y. B. Chavan and Shri Sethi giving details of the specific allegations. Property worth lakhs of rupees is owned by Shri Kalelkar at various places. We are not prepared to disclose the source of information, though we can furnish the information which is required in this connection.

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस सम्बन्ध में अब तक जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, उसके अनुसार इस अधिकारी के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। अन्तिम प्रतिवेदन आने पर, जो कार्यवाही अपेक्षित होगी, की जायेगी।

श्री बिड़ला ने आरोप लगाया है कि कुछ मामलों में निर्णय करने में 9 वर्ष का विलम्ब किया गया। किन्तु यह आरोप गलत है। सम्बन्ध मामले में स्पष्टीकरण 19 दिसम्बर 1969 को दिया गया था और वास्तव में इसी समय ऐसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता अनुभव की गई थी। अतः विलम्ब का प्रश्न ही नहीं है। जहां तक रायलसीमा के विकास का सम्बन्ध है, पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक नीति सम्बन्धी निर्णय किया गया है। उसके अनुसार पिछड़े राज्यों में से दो-दो जिले चुने जायेंगे, जिनके औद्योगिक विकास के लिए सहायता आदि दी जायेगी। अन्य भी कुछ बातें हैं किन्तु मेरा समय पूरा हो गया है। अतः मैं उनका उत्तर यहां न दे सकूंगा। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि उन्होंने जो सुझाव दिये उनसे मैं लाभ उठाऊंगा और उनके अनुसरण में जो कार्यवाही अपेक्षित होगी वह की जायेगी।

Shri Kanwar Lal Gupta : Now it is not necessary to take licence for an industry with investment of one crore of rupees. This relaxation has created a kind of fear in the minds of owners of small scale industries. Now they think that they are not in a position to stand in competition with big industries. Though 56 items have been reserved, still there are hundreds of items which should be reserved for small scale industries. Will you find out some ways to see that the owners of small scale industries are not put to loss ?

Shri F. A. Ahmed : It is a policy matter. According to new policy we have delicensed upto the limit of one crore rupees, but some items have been reserved for small scale industries. In these items big industrialists will not be allowed to start an industry even with investment of less than one crore rupees. Moreover, we are preparing a list of some more items in addition to 52 items already reserved. A notification, to this effect will be issued after the list is finally prepared.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मध्य प्रदेश में मंदसौर के समीप सीमेंट में काम आने वाले कच्चे माल की उपलब्धता की दृष्टि से वहां एक सीमेंट का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव था। क्या सरकार ने अब उस परियोजना को छोड़ दिया है ?

Shri Rabi Ray : May I know the reason why the Government want to consider the question of setting up of small car project with an investment of Rs. 50 crores despite the fact that the Planning Commissio has objected to it an whether Government will give up the idea of setting up of this project ?

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : ऊड़ीसा राज्य ने कुछ परियोजनाएं तैयार की थी। और उनकी परियोजना-रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजी गई थीं। उनके बारे में केन्द्रीय मंत्रालय से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि लाइसेंस देते समय हम प्राथमिकता पिछड़े क्षेत्र को ही देते हैं। औद्योगिकीकरण की दृष्टि से उड़ीसा एक पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। विचाराधीन आवेदनों के सम्बन्ध में स्थिति से अवगत होने के लिए मैं पूछताछ करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

The cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय की निम्न लिखित मांगे मतदान के लिये रखी गई और स्वीकृत हुई :

The following Demands in respect of Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
57	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय	8057,000
58	उद्योग	4,62,78,000
59	नमक	61,85,000
60	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व	13,21,27,000
123	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	3,35,17,000

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय

वर्ष 1970-71 के लिए इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
82	इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय	21,95,000
83	इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	81,62,000
132	इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	73,35,63,000

इस्पात और भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
82	1	श्री यशपालसिंह	इस्पात के मूल्यों में तेजी हो रही वृद्धि को रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये
82	2	श्री यशपालसिंह	विभिन्न कारखानों की प्रबन्ध-व्यवस्था में भारतीय इन्जीनियरों को शामिल किया जाना प्रोत्साहित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
82	3	श्री यशपालसिंह	बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना में भारतीय परामर्शदात्री फर्मों को प्रोत्साहित करने में असफलता ।	100 रुपये
82	15	श्री शिव चन्द्र झा	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण न करना ।	राशि घटाकर 1 रुपया करदी जावे ।
82	22	श्री वेणी शंकर शर्मा	भारी इंजीनियरी निगम, रांची की पूरी क्षमता का उपयोग न करना ।	राशि घटाकर 1 रुपया करदी जावे ।
82	23	श्री वेणी शंकर शर्मा	बोकारो इस्पात कारखाने के लिए पुरानी मशीनें और संयंत्र सप्लाई करना ।	राशि घटाकर 1 रुपया करदी जाये ।
82	24	श्री वेणी शंकर शर्मा	इस्पात का वास्तविक रूप से उपयोग करने वालों को निश्चित मूल्य पर उचित तथा नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया करदी जावे ।
82	25	श्री वेणी शंकर शर्मा	सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में उत्पादन किये गये इस्पात की बिक्री तथा वितरण की दोषपूर्ण पद्धति ।	राशि घटाकर 1 रुपया करदी जाये ।

82	26	श्री वेणी शंकर शर्मा	वर्तमान इस्पात कारखानों की पूरी क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
82	27	श्री वेणी शंकर शर्मा	इंजीनियरी सम्बन्धी सामान के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए इस्पात के मूल्य में कमी करने की आश्यकता ।	100 रुपये
82	28	श्री वेणी शंकर शर्मा	सभी इस्पात कारखानों में श्रमिकों और प्रबन्धकों के सम्बन्धों को सुधारने की आवश्यकता जिससे देश की अत्यावश्यक मांग को पूरा करने के लिए नियमित तथा निर्बाध उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके ।	100 रुपये
82	29	श्री वेणी शंकर शर्मा	हमारे सभी इस्पात कारखानों में कम से कम पांच वर्ष के लिए औद्योगिक शान्ति के लिए प्रबन्ध करने की आवश्यकता जिससे मजदूरों में असन्तोष के फलस्वरूप हड़तालें, ताला-बन्दी और अन्य उपद्रवों के कारण उत्पादन में बाधा न पड़े ।	100 रुपये
82	31	श्री श्रीनिवास मिश्र	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को लगातार हानि होना ।	100 रुपये
82	32	श्री श्रीनिवास मिश्र	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधिकारियों के चयन में पक्षपात-पूर्ण रवैया ।	100 रुपये
82	33	श्री श्रीनिवास मिश्र	सरकारी क्षेत्र में इस्पात कारखानों में कर्मचारियों के साथ सहयोग पूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने में असफलता ।	100 रुपये
82	34	श्री श्रीनिवास मिश्र	इस्पात का उत्पादन बढ़ाने में असफलता ।	100 रुपये

83	35	श्री वेणी शंकर शर्मा	खनिज लोहे से कच्चा लोहा बनाने के लिए गैर-सरकारी अथवा सरकारी क्षेत्र में अधिक कारखाने लगाने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया करदी जाये ।
83	36	श्री वेणी शंकर शर्मा	मशीनों तथा संयंत्रों को हानि पहुँचाने, मजदूरों के किसी वर्ग अथवा समूह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के परिणामस्वरूप भारी हानि होने से बचाने के लिए मंत्रालय के अधीन सभी कारखानों में मर्मस्थलों पर औद्योगिक सुरक्षा बल रखना ।	राशि घटाकर 1 रुपया करदी जाये ।
83	37	श्री श्रीनिवास मिश्र	राज सहायता के बारे में समान नीति अपनाने में असफलता ।	100 रुपये
83	38	श्री श्रीनिवास मिश्र	इस्पात के मूल्य को स्थिर रखने में असफलता ।	100 रुपये
132	39	श्री श्रीनिवास मिश्र	बोकारो कारखाने को पूरा करने में अत्यधिक विलम्ब ।	100 रुपये
132	40	श्री श्रीनिवास मिश्र	बोकारो इस्पात कारखाने की लागत में लगातार वृद्धि ।	100 रुपये
132	41	श्री श्रीनिवास मिश्र	रूरकेला इस्पात कारखाने में बर्बादी तथा भ्रष्टाचार ।	100 रुपये
132	42	श्री श्रीनिवास मिश्र	रूरकेला इस्पात कारखाने के अधिकारियों का सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेना ।	100 रुपये
83	43	श्री श्रद्धाकार सूपकार	लोहे और इस्पात के बढ़ते हुए मूल्य ।	राशि घटाकर 1 रुपया करदी जाये ।
83	44	श्री श्रद्धाकार सूपकार	उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर लोहा और इस्पात न मिलना ।	राशि घटाकर 1 रुपया करदी जाये ।
	45	श्री श्रद्धाकार सूपकार	बोकारो इस्पात कारखाने के पूरा होने में विलम्ब तथा उसकी बढ़ती हुई लागत ।	100 रुपये

	46		खनन और संबद्ध मशीनरी निगम में भारी हानि तथा अकार्य कुशलता ।	100 रुपये
	47	श्री अद्वाकार सूपकार	सरकारी क्षेत्र की इस्पात परियोजनाओं में निरन्तर हानि ।	100 रुपये
	48	श्री अद्वाकार सूपकार	भारी इंजीनियरिंग निगम के कार्य में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
82	49	श्री रामावतार शास्त्री	भारी इंजीनियरी उद्योग में भीतरघात न रोकना ।	राशि घटाकर 1 रुपया करदी जाये ।
82	50	श्री रामावतार शास्त्री	भारी इंजीनियरी उद्योग को आत्म-निर्भर न बनाना ।	राशि घटाकर 1 रुपया करदी जाये ।
82	51	श्री रामावतार शास्त्री	गैर-सरकारी क्षेत्र के लोहा और इस्पात कारखानों का राष्ट्रीयकरण न करना ।	राशि घटाकर 1 रुपया करदी जाये ।
82	52	श्री रामावतार शास्त्री	इजारेदारों के दवाब में आकर इस्पात के मूल्य बढ़ाना ।	राशि घटाकर 1 रुपया करदी जाये ।
82	53	श्री रामावतार शास्त्री	भारी इंजीनियरी उद्योग के उत्पाद की खपत की गारंटी न देना ।	राशि घटाकर 1 रुपया करदी जाये ।
82	54	श्री रामावतार शास्त्री	सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के कारखानों के स्थान पर गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों से माल खरीदने की नीति बदलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
82	55	श्री रामावतार शास्त्री	भारी इंजीनियरिंग निगम की क्षमता का उपयोग न करना ।	100 रुपये
82	56	श्री रामावतार शास्त्री	जमशेदपुर के उन इंजीनियरी श्रमिकों के विरुद्ध मामले वापस न लेना और उन्हें नौकरी पर पुनः न लगाना, जिन्हें गत हड़ताल के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था	100 रुपये

82	57	श्री रामावतार शास्त्री	भारी इन्जीनियरी निगम द्वारा निर्मित वस्तुओं की खपत में असफलता ।	100 रुपये
82	58	श्री रामावतार शास्त्री	बोकारों इस्पात कारखाने के ठेकेदारों द्वारा अनियमितताएं न रोकना ।	100 रुपये
82	59	श्री रामावतार शास्त्री	जमशेदपुर स्थित टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी के कारखाने का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
82	60	श्री रामावतार शास्त्री	भारी इंजीनियरी निगम, रांची के कुछ उच्च पदाधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जनसंघ को दिया जा रहा प्रोत्साहन ।	100 रुपये
82	61	श्री रामावतार शास्त्री	मुस्लिम कर्मचारियों के पुनर्वास के बारे में सितम्बर, 1969 में, भारी इंजीनियरी निगम, रांची की सलाहकार समिति के निर्णयों को लागू न करना ।	100 रुपये
82	62	श्री रामावतार शास्त्री	भारी इंजीनियरी निगम, रांची में 1967 के साम्प्रदायिक दंगों में भाग लेने वाले श्रमिकों के विरुद्ध कार्यवाही न करना ।	100 रुपये
82	63	श्री रामावतार शास्त्री	भारी इंजीनियरी निगम, रांची के दंगा-पीड़ित मुस्लिम कर्मचारियों के पुनर्वास की उचित व्यवस्था न करना ।	100 रुपये
82	64	श्री रामावतार शास्त्री	भारी इंजीनियरी निगम, रांची के सुरक्षा सैनिकों की मांगें न मानना ।	100 रुपये
82	65	श्री रामावतार शास्त्री	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची के सुरक्षा सैनिकों के बारे में, मजूरी बोर्ड के निर्णयों को उनके प्रभावी होने की तारीख से लागू करने की आवश्यकता ।	

श्री मु० न० नाथूर (बेलगांव) : मैं इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय की मांगों का विरोध करता हूँ। इन मांगों के औचित्य पर विचार-विमर्श करते समय हमें योजना बनाने वालों की दूरदर्शिता की सराहना करनी पड़ती है क्योंकि उन्होंने स्वाधीनता प्राप्ति के तुरन्त बाद ही इस्पात संयन्त्रों के महत्त्व को समझ लिया था। देश भर में अमरीका, रूस, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी के सहयोग के साथ विभिन्न इस्पात संयन्त्रों की स्थापना की गई। भारत ने तीन इस्पात संयन्त्रों पर 1,100 करोड़ रुपये लगाये हैं। तीन वार्षिक योजनाओं और तीन पंच-वर्षीय योंजनाओं के दौरान हमने एक करोड़ मीटरी टन इस्पात का निर्माण करने की संभावना पैदा की है। इन राष्ट्रीय साधनों को लगाने के बाद यह विश्वास दिलाना आवश्यक हो गया है कि जिन संयन्त्रों की हमने स्थापना की है उनसे हमारे देश की पर्याप्त धन मिलेगा। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि भारी धनराशि लगाने पर भी हमारे इस्पात यूनिट केवल 48 लाख टन का उत्पादन कर रहे हैं जबकि इनको 80 लाख या 90 लाख टन का उत्पादन करना चाहिये। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इन यूनिटों की स्थापना के समय जितनी हमने उत्पादन सक्षमता बनाई थी हम उसका केवल 50 प्रतिशत उत्पादन करने में भी समर्थ नहीं हुये। दूसरी ओर टाटा स्टील कम्पनी, जो गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत है, सम्भावित उत्पादन के 90 प्रतिशत भाग का उत्पादन कर रहा हैं।

हमारे देश में इस्पात की वर्तमान मांग 60 लाख टन है, जबकि हमारा उत्पादन 40 लाख टन का है। आजकल हमारे देश में इस्पात की कमी है। इसी कारण स्थानीय औद्योगिक विकास इंजिनियरिंग यूनटों का विकास, औजारों के कारखाने, मकानों का निर्माण तथा अनेक कृषि-विकास कार्यक्रम अस्त-व्यस्त हुये पड़े हैं। अतः हमें अपने देश की भविष्य की जरुरतों के विषय में सावधानी बरतनी चाहिये और देखना चाहिये कि जो कुछ प्रस्ताव या परियोजनाएं सरकार के सामने है उन पर शीघ्र ही कार्य आरम्भ किया जाना चाहिये।

1974 में प्रयोग में लाए जाने वाले 35 लाख टन इस्पात की कमी होगी। इसलिए हमें हौसपेट, विशाखापटनम तथा सेलम तीनों इस्पात संयन्त्रों के मामले में तुरन्त ही कुछ कार्यवाही करनी होगी। इसे हम और अधिक समय के लिए विचाराधीन नहीं रख सकते।

हौसपेट के मामलें को तो नियुक्त की गई विभिन्न समितियों ने स्पष्ट कर दिया है। भारत सरकार ने दक्षिण भारत में एक इस्पात संयन्त्र स्थापित करने के लिये स्थान चयनार्थ 1964 में एक समिति बनाई थी। इस समिति ने हौसपेट में तीरांगल स्थान पर 30 लाख टन इन्गौट की क्षमता वाले इस्पात संयन्त्र की स्थापना की सिफारिश की है। इस स्थान के कई लाभ हैं—जैसे कि यंत्र अच्छे लोहे के भण्डार नजदीक हैं जहां से लगभग 90 साल तक लोहे की निरन्तर उपलब्धि का अनुमान है। दूसरे हौस्पेट तुलनात्मक दृष्टि से अन्य क्षेत्रों से रेल तथा सड़क द्वारा दक्षिणी भारतीय बाजार के भी नजदीक है और पूर्वी तथा पश्चिमी इस्पात उपभोगी क्षेत्रों से भी इसकी अच्छी पहुंच है। कच्चे माल की कीमत भी हौस्पेट में गोवा की तुलना में कम है और लोहे धातु हौस्पेट क्षेत्र में यह मिलता भी अच्छी किस्म का है और इससे एक टन उष्ण धातु के लिए कम सामग्री का ही प्रयोग होता है। इस प्रकार यह अनुमान लगाया गया है कि हौस्पेट में गोआ की तुलना में तैयार माल पर 32 रुपये की अपेक्षा 40 रुपये प्रतिटन

लाभ होगा । हौस्पेट में संयन्त्र के स्थापन पर बहुत कम अतिरिक्त ज्यादा होगा । इसीलिए सरकार को न केवल उपरोक्त समिति बल्कि वर्तमान हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को उच्च स्तरीय समिति के तकनीकी सुझाव का अनुसरण करते हुए स्पष्ट रूप से इस्पात संयन्त्र को चलाने का निर्णय करना चाहिए । इसके विषय में और अधिक विचार करना व्यर्थ होगा ।

मैं पहले कह चुका हूँ कि हम इन तीन इस्पात संयंत्रों पर 1,100 करोड़ रुपये का निवेष कर चुके हैं । अब जरा हम इस निवेष के उत्पादन और हानियों पर भी विचार कर लें । हमारे 1,100 करोड़ रुपये के निवेष पर हमें कम से कम 55 करोड़ रुपये का लाभ मिलना चाहिए था । परन्तु गत तीन या चार वर्षों में हमारा यह कार्य बहुत असन्तोषजनक रहा है । 1969-70 के दौरान 40 करोड़ रुपये की हानि हुई है । अतः अपने निवेष पर 55 करोड़ रुपये कमाने की अपेक्षा हमें 40 करोड़ रुपये की हानि हो रही है और अभी तक हमें 200 करोड़ रुपये की हानि हुई है । लोगों पर प्रतिवर्ष नये कर लगाये जा रहे हैं । अब समय आ गया है कि हमें इन समस्याओं का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन कर उनका समाधान करना होगा ।

यह तो हमारी इस्पात परियोजनाओं का एक अंग हुआ, इस के दूसरे अंग यथा बोकारो इस्पात संयन्त्र पर भी हम 1,100 करोड़ रुपया लगाने जा रहे हैं । योजना के पहले ही चरण में हम 700 करोड़ रुपया लगायेंगे और तीन वर्ष के बाद हम 17 लाख टन इस्पात का उत्पादन कर सकेंगे इसके बाद हम 400 करोड़ रुपया और खर्च करेंगे तो अन्य पांच वर्षों के बाद 23 लाख टन इस्पात का उत्पादन कर सकेंगे । इस का तात्पर्य यह हुआ कि कुल 1,100 करोड़ रुपये की पूंजी की लगाने के बाद हम 40 लाख टन का उत्पादन कर सकेंगे । इन अनुभवों के आधार पर तो मैं बोकारों जैसे बड़े इस्पात सयंत्र का कोई औचित्य नहीं समझता ।

हमें इस प्रकार की परियोजनाओं की अपने राष्ट्र पर नहीं मड़ना चाहिए । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त किया है, जिसमें बताया गया है कि औसतन प्रत्येक एकक को 100 टन प्रतिजन वर्ष उत्पादन करने के योग्य होना चाहिए । परन्तु स्थति यह है कि भिलाई का उत्पादन 76 टन प्रति जन वर्ष है और राउरकेला 68 टन प्रति जन वर्ष । दुर्गापुर केवल 47 टन प्रति जन वर्ष उत्पादन करता है और विश्व का औसत उत्पादन 125 टन प्रतिवर्ष है । जापान ने 400 टन प्रति जन वर्ष उत्पादन किया है । इससे पता चलता है कि तीनों एककों में से किसी ने भी अच्छा उत्पादन नहीं किया और दुर्गापुर का उत्पादन तो इन तीनों से अधिक असन्तोषजनक रहा । कम उत्पादन के लिए प्रबन्धकों की दुर्बलता उपयुक्त तकनीकी जानकारी का अभाव आदि कारण कहे जा सकते हैं । समय-समय पर इस मंत्रालय के मंत्रियों में जो परिवर्तन किया जाता रहा उससे भी इनकी कार्यनीतियों को काफी क्षति हुई । अच्छे उत्पादन के लिए दीर्घकालीन नीति और उचित निर्देश भी तो आवश्यक है । हमारे केन्द्रीय इंजीनियरिंग और डीजाईन ब्यूरों में 600 से लेकर 1,000 तक प्रशिक्षित इंजीनीयर हैं परन्तु हम उन की सेवाओं से लाभ उठाने की अपेक्षा विदेशी तकनीकों पर अधिक निर्भर करते हैं । तथ्य तो यह है कि हमने इन बड़े सयंत्रों के साथ बड़ी-बड़ी समस्या भी मिल लेती है ।

पिछले दशक में इस्पात के उत्पादन के तकनीकी पहलू में बड़ी क्रान्ति हुई है । रूसी सहयोगियों ने ईरान, ईराक यूगोस्लविया और संयुक्त अरब गणराज्य जैसे छोटे-छोटे देशों की

भी नवीनतम जानकारी और "एल० डी० कनवर्टर" की नवीनतम प्रणाली दी है जबकि वोकारो संयंत्र उसी पुराने ढाचें पर निर्भर कर रहा है। जिससे उन नवीन संयत्रों के मुकाबले में, जोकि इन छोटे देशों को दिये गये हैं, 20 प्रतिशत कम उत्पादन होगा।

अतः मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि उसके पास जो इस्पात संयंत्र हैं, उन्हें आधुनिक मशीनों से लैस किया जाना चाहिये क्योंकि यह इस्पात संयत्र हमारे देश के बड़े सरकारी उपक्रम हैं, इन पर लगभग 2,500 करोड़ रुपया व्यय हो चुका है और हमारे देश में रेलवे के बाद दूसरा स्थान इन्हीं का आता है। हमें इस दृष्टि से पूरी सावधानी बर्तनी चाहिये कि हमारे पास जो इस्पात संयंत्र हैं, उन्हें नवीनम आधुनिक तकनीकी कुशलता से चलाया जायें।

श्री हनुमन्तय्या (बंगलौर) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय सदस्य ने रचनात्मक भाषण दिया है। उन्होंने समस्या का उचित विश्लेषण करते हुये, बड़े अकाट् तर्क प्रस्तुत किये हैं। मैं उनकी केवल इसी मांग पर कुछ कहना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने आग्रह किया है कि मैसूर के हौस्पेट को इस्पात संयत्र स्थापना के लिए चुना जाये। वैसे इसके लिए प्रत्येक दक्षिणी राज्य यथा मद्रास, आन्ध्र और मैसूर ने मांग की है। हमारे तकनीकी जानकारों का यह विचार है कि बहुत बड़े-बड़े इस्पात कारखाने लगाना न तो आवश्यक ही है और न ही लाभदायक। यदि छोटे कारखाने लगाये जायें तो उनको बेहतर प्रबन्ध, बेहतर पर्यवेक्षण की सुविधा होगी और उसमें यदि कोई त्रुटि भी होगी तो उसे समय पर सुधारा जा सकेगा और साथ ही वह गलती भी छोटी ही होगी। यदि एक बड़ा इस्पात संयंत्र लगाने की अपेक्षा तीन इस्पात सयंत्र विभिन्न स्थानों पर लगाये जायेंगे, तो वह राष्ट्र की समृद्धि के लिए अधिक लाभप्रद होगा और विभिन्न स्थानों के प्रति न्याय भी हो सकेगा।

जहाँ तक सलेम का सम्बन्ध है, सलेम का अयस्क हौस्पेट के अयस्क के मुकाबले में उच्च ग्रेड का नहीं है। ऐसा होने पर भी प्रत्येक राज्य ने जो मांग की है, उसे वित्तीय दायित्वों पर तौला जाना चाहिए। मैसूर राज्य में जब हमने अपना लौह और इस्पात सयंत्र चालू किया था तब उस समय केन्द्रीय सरकार ने हमारी सहायता नहीं की थी, लेकिन हमने ऐसा अपनी पहला पर किया था। आज भी केन्द्रीय सरकार केवल भद्रावती आइरन तथा स्टील प्लान्ट की सहायता कर रही है। इस्पात संयत्रों के बारे में भी ऐसी ही नीति अपनाई जानी चाहिए। तामिलनाड सरकार द्वारा सलेम के लिए इस्पात कारखाने की मांग कुछ वित्तीय दायित्वों के साथ स्वीकृत की जा सकती है, जिससे राज्य सरकार इस परियोजना के प्रति न केवल इसकी स्थानीयता की विकट दायित्व का अनुभव करें बल्कि इसलिए भी कि उसने इसके लिए धन लगाया है। इसी प्रकार जहां तक इस्पात कारखाने की स्वीकृति का सम्बन्ध है, विशाखापट्टनम की स्थिति अधिक अच्छी है।

इस्पात कारखानों में हानि का एक कारण यह भी है कि उत्पादन का लाभ मिलने से पूर्व ही, अधिकारियों और श्रमिकों के लिए भवनों और अन्य सुविधाओं पर आठ-आठ करोड़ रुपया खर्च किया गया है। प्राशानिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया था कि भविष्य में

तरणताल, खेल के मैदान और बड़े भवनों तथा वातानुकूलित निवासों पर व्यय नियंत्रित ढंग से किया जाना चाहिये। यह भी सुझाव दिया गया था कि आगे से सरकार कारखाने के प्रबन्ध के मामले में पूर्ण स्वायत्तता दे सकती है परन्तु जहां तक सुविधाओं और उन पर व्यय होने वाले खर्च का प्रश्न है उस पर सरकारी उद्योगों के ब्यूरो का नियंत्रण होना चाहिये, जो वित्त मंत्रालय में स्थाई विभाग है।

इन स्पात कारखानों में नुकसान के लिये उत्तरदायित्व केवल प्रबन्धकों का नहीं है बल्कि मजदूर संघों का भी है। देश को समृद्ध बनाने के लिए हमें मजदूर संघों का ध्यान खींचना होगा जिससे उत्पादन में रुकावट न पड़े। हमने प्रशासनिक सुधार आयोग को सुझाव दिया था कि गैर-सरकारी उद्योगों की तुलना में सरकारी उद्योगों के मामले में श्रमनीति भिन्न प्रकार की होनी चाहिये। कुछ मजदूर संघों ने मत व्यक्त किया था कि सरकारी उद्योगों के संघों को अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से आचरण करना चाहिये। समाजवादी देशों में हड़तालों, तथा प्रदर्शनों के लिए कोई स्थान नहीं होगा और न हीं सरकारी क्षेत्र में उस ढंग की सौदे बाजी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिये जो गैर सरकारी क्षेत्र में मजदूर संघों द्वारा की जाती हैं। जब तक हम अपनी श्रमनीति में ऐसे आधार भूत परिवर्तन नही करते, हमारे सार्वजनिक उपक्रम सम्पन्न नही हो सकते।

इसके बाद लोकसभा शुक्रवार 17 अप्रैल, 1970, 27 चैत्र, 1892 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjorned till Eleven of the Clock on Friday, the 17th April, 1970, Chaitra 27, 1892 (Saka)

Printed at Akashdeep Printers, 20 Darya Ganj, Delhi-6.